वर्ष : 35, अंक : 135, जुलाई–सितंबर, 2012

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

जन जन की भाषा है हिंदी

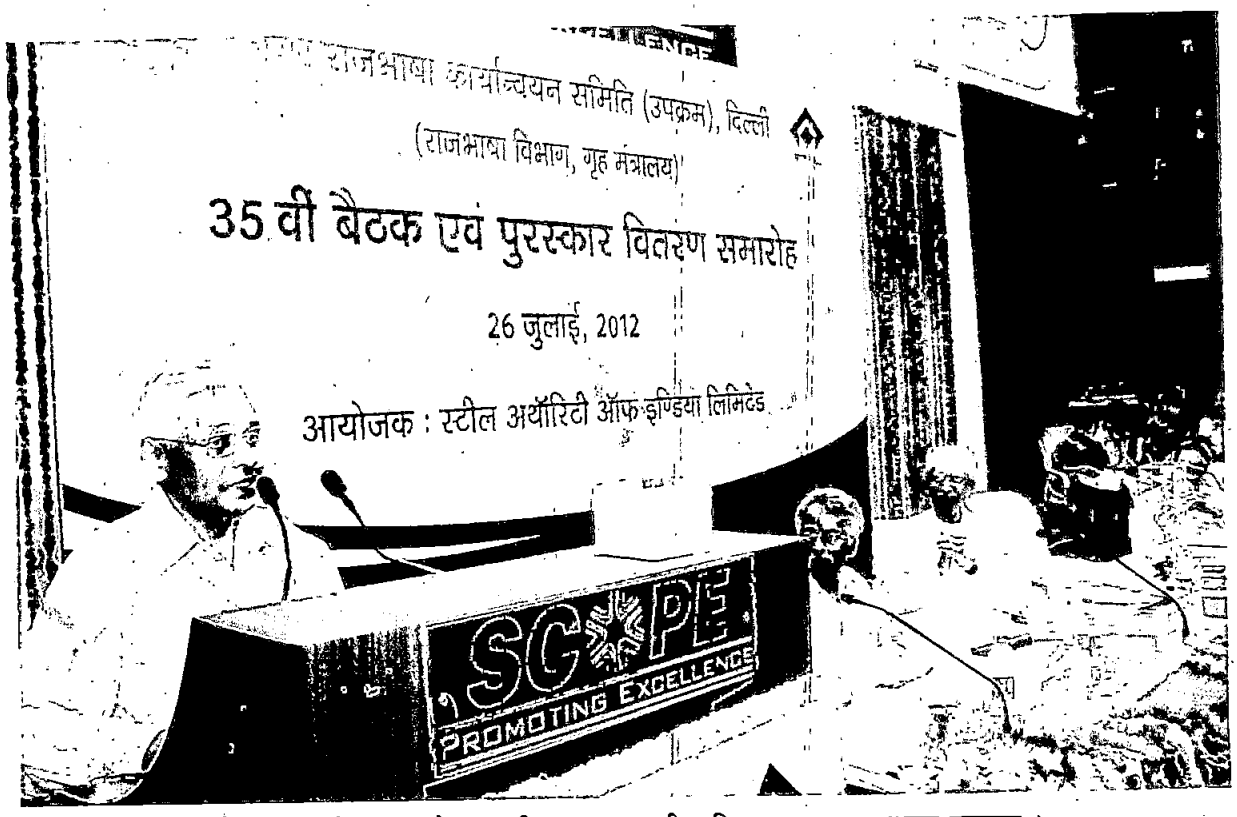

सभा को संबोधित करते हुए श्री शरद गुप्त जी सचिव, राजभाषा, भारत सरकार ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अप्रैल-जून, 2012 त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण सत्र के समापन अवसर पर 29 जून, 2012 को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया । दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री डी. के. पांडेय द्वारा प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-सामग्री के तौर पर 'संस्कृति के चार अध्याय' ग्रंथ भेंट किए । श्री पांडेय की बाईं ओर ब्यूरो के निदेशक डॉ. एस. एन. सिंह दर्शित हैं ।

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 35

अंक : 135

जुलाई–सितंबर, 2012

❑ संरक्षक :
शरद गुप्ता, भा.प्र.से.
सचिव, राजभाषा विभाग

❑ परामर्शदाता :
डी.के. पाण्डेय
संयुक्त सचिव (रा.भा.-I)

आर.के. कालिया
संयुक्त सचिव (रा.भा.-II)

❑ संपादक :
डॉ. जय प्रकाश कर्दम
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 011-23438129

❑ सहायक संपादक :
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 011-23438137

❑ निःशुल्क वितरण के लिए :
पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं । सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

❑ अपना लेख एवं सुझाव भेजें :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन डी सी सी-II भवन, चौथा तल,
बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल–patrika–ol@.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov.in.

विषय-सूची

			पृष्ठ
❑	हिंदी दिवस-2012 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण		(iii)
❑	**चिंतन**		
	1. हिंदी की अस्मिता-राजनीतिक संदर्भ	–प्रो. एस. एम. इकबाल	1
	2. हिंदी व भारतीय भाषाएं-अंतर्संबंध और विकास व संभावनाएं	–डॉ. नरेश कुमार	3
	3. राजभाषा के समक्ष चुनौतियां	–डॉ. पन्ना प्रसाद	5
	4. रोजगार के अवसर और हिंदी	–भगवान वैध 'प्रखर'	8
❑	**साहित्यिकी**		
	5. हरिवंशराय बच्चन के काव्यों में राष्ट्र प्रेम	–डॉ. चिट्टी. अन्नपूर्णा	12
❑	**बैंकिंग**		
	6. विपणन तकनीक: बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में	–हरिश्चंद्र अग्रवाल	16
❑	**पत्रकारिता**		
	7. दलितोद्धार और हिंदी पत्रकारिता	–डॉ. पवन कुमार शर्मा	21
❑	**कृषि**		
	8. बाजरा अनुसंधान की उपलब्धियां व अपेक्षाएं	–डॉ. उमा रघुनाथन	24
❑	**पर्यावरण**		
	9. पर्यावरण संरक्षण में लघु जल बिजली का महत्व	–किशोर तारे	27
❑	**स्वास्थ्य**		
	10. मानसिक तनाव से बचिए-स्वस्थ्य रहिए	–प्रो. योगेश चंद्र शर्मा	29
❑	**नारी विमर्श**		
	11. नारी शोषण–तब और अब	–डॉ. रुकमणी तिवारी	32
❑	**राजभाषा संबंधी गतिविधियां :**		
	(क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें		34
	–संस्कृति मंत्रालय, कृषि, वस्त्र, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, डाक विभाग, मानव संसाधन विकास, खान, दूर संचार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग, महिला एवं बाल विकास, रक्षा, तथा इस्पात मंत्रालय ।		

4202 HA/12–1A

विषय-सूची	पृष्ठ
(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें **'ग' क्षेत्र**–दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, मुख्यालय आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग; खादी और ग्रामोद्योग आयोग; हैदराबाद आकाशवाणी, कटक; आकाशवाणी, विशाखापट्टणम; पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. जम्मू। **'ख' क्षेत्र**–पश्चिम रेवले, दाहोद; मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर; **'क' क्षेत्र**–सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय एवं सेवा कर इंदौर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, मेरठ-द्वितीय; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भोपाल; मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकुला; पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर; दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली; आकाशवाणी, शिमला; भारतीय जीवन बीमा निगम, वाराणसी;	35
(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें **'ग' क्षेत्र**–कोलकाता; गुवाहाटी उपक्रम **'क' क्षेत्र**–देवास; दिल्ली उपक्रम; हिसार; मण्डी; सोनभद्र; फरीदाबाद; जोधपुर; बुलंदशहर;	43
(घ) कार्यशालाएं **'ग' क्षेत्र**–भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग; भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल शिलांग; केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षिण संस्थान, बहरमपुर; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, गुवाहाटी; एनएचपीसी लि. कोलकाता; राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता; खादी और ग्रामोद्योग, आयोग हैदराबाद; चेन्नई टेलीफोन; आकाशवाणी, चेन्नई, आकाशवाणी हैदराबाद ; **'ख' क्षेत्र**–पश्चिम रेलवे, राजकोट; भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा; केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे; दूरदर्शन, नागपुर; दूरदर्शन, राजकोट; पश्चिम रेलवे, दाहोद; राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर; **'क' क्षेत्र**–पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर; महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा बल, नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, पोर्टब्लेयर; उत्तर रेलवे, अंबाला छावनी; एच.एच.पी.सी. लि., फरीदाबाद; बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन बालांघाट; क्षेत्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान केंद्र, देहरादून; हवाई अड्डा, रांची; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जयपुर; दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली; आकाशवाणी, बीकानेर; आकाशवाणी, इंदौर;	67
(ङ) विश्व हिंदी दिवस बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद	
(च) हिंदी दिवस –गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली **'ग' क्षेत्र**–दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी रिफाइनरी; ई.सी.आई.एल. हैदराबाद; राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिशूर; एन.एच.पी.सी. मणिपुर; **'ख' क्षेत्र**–मध्य रेल पुणे; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नागपुर; आकाशवाणी, पणजी; **'क' क्षेत्र**–पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली; केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर; वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली; दूरसंचार भवन, नई दिल्ली; दूरसंचार, भोपाल;	
❑ संगोष्ठी/सम्मेलन दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद; पूर्व रेलवे, कोलकाता; मुख्य नियंत्रण सुविधा; बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली; आकाशवाणी, बीकानेर;	81
❑ प्रतियोगिता/पुरस्कार दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद; बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली;	84
❑ प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली; वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय, गाजियाबाद; मंडल रेल प्रबंधक जयपुर; केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली;	85
❑ कार्यालय ज्ञापन राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना; इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना; सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश	92
❑ पाठकों के पत्र	99

हिंदी दिवस-2012 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'हिंदी दिवस 2012' धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस अवसर पर दिया गया भाषण कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण और राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बल देने वाला है। इस अंक में संपादकीय की जगह 'हिंदी दिवस 2012' के अवसर पर राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के अभिभाषण को दिया जा रहा है।

–संपादक

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं

भारत के इतिहास में आज का दिन गौरव का दिन है। हमारे संविधान में हिंदी को, सन् उन्नीस सौ उनचास ('1949) में आज ही के दिन भारत की राजभाषा के रूप में पहचान मिली थी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विविधता के बीच एकता ही हमारे देश की विशेषता है और हिंदी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर का कहना था–'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी।'

लोकतंत्र में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वह सरकार और जनता के बीच संपर्क का माध्यम है। इसीलिए हमारे संविधान में केंद्र सरकार के कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और राज्य सरकारों के लिए प्रांतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया। भाषा से शासन और आम आदमी के बीच सहयोग और जवाबदेही का संबंध स्थापित होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र शक्तिशाली और प्रगतिशील बना रहे, तो हमें संघ सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषा का सम्मान करना होगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था–'अगर हमें हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है।' आजादी के पैंसठ वर्षों में बापू की यह बात सत्य साबित हुई है। हिंदी का प्रयोग अब पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हो रहा है। इसलिए शासन के कामकाज में भी राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। राजभाषा हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से सरकार की विकास योजनाओं को देश के गांवों और खेत-खलिहानों तक पहुंचाया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे अनेक अग्रणी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता में भाषा की बड़ी भूमिका है।

हिंदी आज एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी उभर कर आई है। इस समय विश्व के लगभग एक सौ पचास विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। यूनेस्को की सात भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई टेलीविजन चैनलों ने हिंदी के साथ-साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी अपने कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू कर दिए हैं।

आज व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। विदेशी कंपनियां भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं को अपना रही हैं।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने भी बहुत सी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों से हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है । हमारा संकल्प है कि राजभाषा हिंदी के साथ-साथ सभी प्रांतीय भाषाएं विकसित हों और हम इस दिशा में प्रयासरत हैं।

मुझे उम्मीद है कि आगामी बाईस से चौबीस सितंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में होने जा रहे नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित होने में सहायता मिलेगी। मैं जोहानसबर्ग सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं और विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने वाले दुनिया भर के हिंदी प्रेमी विद्वानों और भारत-मित्रों से आग्रह करूंगा कि वे इस दिशा में पूरी निष्ठा और समर्पण से प्रयास करें।

अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार पाने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को मैं बधाई देता हूं। मैं चाहूंगा कि आज इस समारोह में दिए गए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड और श्रेष्ठ-कार्य पुरस्कार सभी के लिए प्रेरणा बनें।

मैं, राजभाषा विभाग को, हिंदी दिवस के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सभी के योगदान और प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

जय हिंद ।

चिंतन

हिंदी की अस्मिता–राजनीतिक संदर्भ

–प्रो. एस. एम. इक्बाल*

26 जनवरी, 1950 से लागू भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की भाषा-नीति को सुनिश्चित करते हुए 14 भाषाओं को मान्यताप्राप्त कराई गई। इनमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, बंग्ला, मराठी, संस्कृत तथा हिंदी शामिल थी। क्रमशः इस अनुसूची का परिवर्धन होते गया। भाषाएं जुड़ती गईं। संख्या में वृद्धि हुई। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली, बोड़ो और डोगरी को संविधान ने भाषा का दर्जा दिया, जिनमें से कुछ भाषाएं भाषाविदों की दृष्टि में भाषा बनने की योग्यता नहीं रखती क्योंकि इन्हें बोलियों के स्तर की माना गया है। किसी भी बोली को भाषा बनने की योग्यता तभी प्राप्त होती है जब उसका भौगोलिक क्षेत्र सुनिश्चित हो और वह शिक्षा, शासन और साहित्य-लेखन का माध्यम बन सके। भाषा और बोली में उसके इतिहास, उसकी संरचना, उसके भूगोल, उसके प्रयोग और प्रयोजन के क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों की आवश्यकताओं की आपूर्ति भाषा के द्वारा ही संभव है। जबकि बोली निश्चित जन समुदाय के बीच सिर्फ बातचीत के लिए और लोक वार्त्ता के माध्यम के तौर पर प्रयुक्त होती है। इसकी अपनी लिपि नहीं होती। शिष्ट साहित्य नहीं होता। अन्यान्य कारणों से भाषाएं विघटित होकर बोलियां बनती हैं। बोली जब उपभाषा के रूप में विकसित होकर शिक्षा, साहित्य और शासन का माध्यम बनती है तो, उसे भाषा कहा जाता है। तब जनमानस की प्रतीक बन विभिन्न प्रयोजनों को साधने के काम में लाई जाती है। तभी इसे संविधान के द्वारा मान्यताप्राप्त होनी चाहिए। लेकिन आजकल संविधान की भाषा-नीति विभिन्न भाषा और बोलियों के बोलनेवालों की अस्मिताओं की राजनीति का शिकार होने लगी है। छोटी-छोटी बोलियों को भी संविधान द्वारा भाषा का जामा पहनाकर उसकी जो पहचान कराई जा रही है वह भाषाविदों की समझ से परे होती जा रही है। भाषा और बोलियों को लेकर एक संदिग्ध अवस्था बन रही है। भाषाओं की प्राचीनता को लेकर भी देश की भाषा-नीति को क्षति पहुंचाने की राजनीति जारी है। प्राचीनतम भाषा का ओहदा दिलाकर उस भाषा-साहित्य के विकास के नाम पर कुछ स्वार्थ सिद्धि में लगे राजनीतिज्ञों को आज के भाषा रूपों के विकास एवं लुप्त होती बोलियों की रक्षा की कोई परवाह नहीं है। प्राचीनतम भाषा के नाम पर पुरस्कारों के लिए, पुस्तकालयों को भरने के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर उसके उद्धार के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। इस तरह देश की भाषा-नीति राजनीति की शिकार होती जा रही है।

संघ का संविधान एक ओर जहां अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर चुका है और 351वें अनुच्छेद में उस के स्वरूप, प्रयोजन एवं विकास को सुनिश्चित किया गया है, वहीं हिंदी भाषा की बोलियों को अलग भाषाओं का दर्जा देकर हिंदी की शक्ति को खंडित किया जा रहा है। राजनीतिक कारणों से 2005 में मैथिली को भाषा की मान्यता देकर उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया तो भाषाविदों की आंखें खुलीं और उस निर्णय का खुलकर विरोध हुआ। कोलकाता के संगठन 'अपनी भाषा' के द्वारा उठाए गए विरोध से स्वर मिलाते हुए कई पत्र-पत्रिकाओं में समाचार, लेख और संपादकीय प्रकाशित हुए। मैथिली को भाषा की मान्यता देने की आलोचना करते हुए जिन-जिन पत्रिकाओं में विचार व्यक्त हुए उन में

*502, सूर्यजा कृष्णा टॉवर, नजदीक साइक्लोन वार्निंग सैंटर, किरलाम पुडी ले आउट, विशाखापट्टणम-530003 (आन्ध्र प्रदेश)

4202 HA/12—2A

वर्धा की 'राष्ट्र भाषा', 'वाराणसी से प्रकाशित 'भारतीय वाङ्ग्मय', देहरादून की 'साहित्य प्रभा', जयपुर की 'लोक शिक्षक', बिलासपुर से प्रकाशित 'नए पाठक', दिल्ली की 'हंस' ओर 'लोक यज्ञ', बेंगलोर की 'मैसूर हिंदी प्रचार परिषद् पत्रिका', गोरखपुर से प्रकाशित 'दस्तावेज' मुंबई की 'नवनीत' बीकानेर की 'वैचारिकी', अलीगढ़ से प्रकाशित 'वर्तमान साहित्य' आदि हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि बोली को भाषा की मान्यता दिलाने की मांग को राजनीतिक प्रयोजन की दृष्टि से न देखकर भाषाविदों की राय ली जाती तो संविधान की अष्टम अनुसूची में मैथिली जैसी बोलियों को भाषा का स्थान नहीं मिलता जो हिंदी भाषा की मात्र एक बोली है।

सविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 'हिंदी भाषा' से अभिप्राय उस भाषा से है जो संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र में याने-हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ प्रदेशों में शिक्षा शासन व साहित्य के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती है। हिंदी दिल्ली-मेरठ के आसपास की खड़ीबोली का ही मानक रूप है जिसका आधार कौरवी बोली है। संविधान की अष्ठम अनुसूची में नामांकित भाषाओं की बोलियां और उपबोलियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे गुजराती, सौराष्ट्री, गामडिया, खाकी आदि, असिमिया की झखा, मयांग आदि, उड़िया की संबलपुरी, कटकी, मुघलबंक्षी आदि, बंगाल की बारिक, भाटियारी, चिरमार, मल पहाड़िया, सामरिया, सराकी, सिरिपुरिया आदि, मराठी की गाड़वी, कसार गोंड, कोस्ती आदि उपबोलियां मिलती हैं। इनमें से किसी भी बोली या उपबोली को भाषा की मान्यता नहीं मिली है। अतः उन भाषाओं की क्षति नहीं हुई।

ऐतिहासिक दृष्टि से एक ही मूल से निकली हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। वे हैं–खड़ीबोली, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणी, दक्खिनी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाती, अहिरवाड़ी, जयपुरी, मगही, मैथिली, पूर्वी हिंदी, मध्यम पहाड़ी, कुमाऊनी। इन सभी बोलियों को मिलाकर एक सामूहिक नाम जो दिया गया है वही 'हिंदी' है। इन बोलियों में किसी का भी नाम हिंदी नहीं है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम चार वर्ण होने पर भी किसी भी वर्ण का नाम हिंदू नहीं है। सभी वर्णों को मिलाकर 'हिंदू' धर्म का नाम दिया गया है।

संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली, तत्सम एवं तद्भव शब्द प्रधान खड़ीबोली के मानक रूप हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित कर उस के विकास को सुनिचित करने के निर्देश भी अनुच्छेद 351 में दिए हैं। भारत की सामासिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली भाषा के रूप में हिंदी का विकास कराने का सरकार का संकल्प भी निश्चित है। क्योंकि यह क्षमता भारत की किसी भी अन्य भाषा में नहीं है। यह उत्तरदायित्व हिंदी के अलावा राष्ट्र की कोई अन्य भाषा निभा नहीं सकेगी। अतः इस भाषा के माध्यम से देश की अखण्डता एवं समग्रता को बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आठवीं अनुसूची में हिंदी की एक एक बोली को अलग कर भाषा की संज्ञा दी जाए तो हिंदी कहां सक्षम रह जाएगी? संपर्क भाषा के रूप में सारे देश को एक सूत्र में बांधे रखने का हिंदी का प्रयोजन कैसे साधा जा सकता है? संख्या बल पर हिंदी को प्रथम मानकर उसे राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा की जिम्मेदारियों को निभाने का दायित्व दिया गया। उसकी बोलियों को एक-एक कर अलग करने पर बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी के, संख्या बल खोकर, पदच्युत होने की संभावना है। हिंदी के बाद अत्यधिक लोगों द्वारा भारत में बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। तब क्या तेलुगु को राजभाषा बनाया जाएगा? दूसरी ओर अंग्रेजी इसी ताक में है कि हिंदी कैसे और कब कमजोर पड़े तो वह 'भारतीय अंग्रेजी' के नाम से हिंदी का स्थान ग्रहण करे।

ऐसी स्थिति में मैथिली को, जैसे भाषा बनाया गया वैसे ही अन्य बोलियां बोलने वाले भोजपुरी, छत्तीसगढ़, राजस्थानी भी अपने अस्तित्व की अलग पहचान के लिए राजनीति करेंगे तो हिंदी की अस्मिता को क्षति पहुंचेगी और साथ में भारतीय सामासिक संस्कृति छिन्न-भिन्न हो जाएगी। देश को एक सूत्र में पिरोए रखने की भाषाई क्षमता किसी भी भारतीय भाषा में नहीं रह जाएगी।

राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाओं के विकास और समृद्धि का उत्तरदायित्व निश्चित रूप से सरकार पर है, लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी भी बोली को संवैधानिक रूप से भाषा घोषित करने से पहले उसके इतिहास, उसकी संरचना, उसके प्रयोजन और अगल-बगल की बोलियों को उससे होने वाली क्षति का भी ध्यान रहे। दूसरी भाषा या बोलियों की अस्मिता पर आंच न आए। उदाहरण के लिए बिहार क्षेत्र में हिंदी की ही एक बोली 'मैथिली' को भाषा का दर्जा देकर उसी के साथ की अन्य बोली 'अंगिका' की उपेक्षा होने पर यह आरोप लगा कि मैथिली बोलनेवालों ने 'अंगिका'

शेष पृष्ठ 7 पर

4202 HA/12—2B

हिंदी व भारतीय भाषाएं–अंतर्संबंध और विकास की संभावनाएं

–डॉ. नरेश कुमार*

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन मानी गई। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत जब सामान्य के लिए क्लिष्ट एवं दुर्बोध होने पर पालि, प्राकृत आदि भाषाएं प्रचल्लित हुई; संस्कृत भाषा की विभक्तियों का बाहुल्य और उनकी अनिवार्यता के नियम प्राकृत और उपभ्रंश में शिथिल होते गए। आधुनिक भारतीय भाषाएं निर्विभक्तिक होती गईं। कारक विभक्तियों के स्थान पर इनमें परसर्गों का व्यवहार होने लगा। प्रान्तीय अपभ्रंशों महाराष्ट्री अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं–उपभाषाओं एवं बोलियों के विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। ई. 1000 के पश्चात् विकास की यह अवस्था देखने में आती है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, कोंकणी भाषा, मागधी अपभ्रंश की पूर्व शाखा से बंगला, उड़िया और असमी भाषा, मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषाएं अर्थात् अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू; नागर अपभ्रंश से राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। मराठी की शब्दावली संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से आई।

वैदिक भाषा, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी इस क्रम से तीन हजार वर्षों से भी अधिक लंबी अवधि तक भाषा का विकास हमारे देश में होता रहा। संस्कृत के लौकिक रूप से प्राकृत भाषाएं–शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची आदि विकसित हुईं और इन प्राकृतों के लौकिक रूप से शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश का विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि का संबंध है। मागधी अपभ्रंश से उड़िया, बंगला, भोजपुरी, मैथिली एवं मगही का विकास माना जाता है और ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी के विकास की परम्परा ध्यान देने योग्य है।

शब्द-रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का निकट का संबंध है। उदाहरणार्थ, प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के शब्दों में समानता देखिए–

पंजाबी	–	हिंदी
इकासी	–	इक्यासी
अग्गे	–	आगे
आसण	–	आसन
अन्हेरा	–	अंधेरा
इक्क	–	एक
वड्डा	–	बड़ा
छड्ड	–	छोड़ना
अद्धा	–	आधा

उड़िया भाषा और हिंदी के शब्दों में समानता देखिए–

उड़िया	–	हिंदी
अंकुश	–	अंकुश
अंगार	–	अंगार
अंगुलि	–	उंगली
अंत	–	अंत
अंधार	–	अंधकार
आग	–	आग

असमी और हिंदी के शब्दों में समानता देखिए–

असमी	–	हिंदी
आढ़ै	–	अढ़ाई
अठावन	–	अट्ठावन
आटचल्लिस	–	अड़तालीस
आपोन	–	अपना

गुजराती और हिंदी के शब्दों में समानता देखिए–

गुजराती	–	हिंदी
आँख	–	आँख्या
अगाड	–	आगे
वींछी	–	बिच्छू
शाणो	–	सयाना

*जे-235, पटेल नगर, प्रथम, गाजियाबाद-201001

मराठी और हिंदी के शब्दों में साम्य देखिए–

मराठी	–	हिंदी
अंगठा	–	अंगूठा
अठरा	–	अठारह
माणूस	–	मनुष्य
खांब	–	खम्भा
अन्धार	–	अन्धकार

राजस्थानी और हिंदी के शब्दों में समानता देखिए–

राजस्थानी	–	हिंदी
म्हारौ	–	हमारा
पाव	–	पांव (संस्कृत पाद)
अड़ाई	–	अढ़ाई
कीजइ	–	कीजिए
करीयइ	–	करिए

बंगला भाषा और हिंदी के शब्दों में समानता देखिए–

बंगला	–	हिंदी
अंग	–	अंग
अंगार	–	अंगारा
अन्ध	–	अन्धा
अठारा	–	अठारह

कोंकणी और हिंदी में समानता देखिए–

कोंकणी	–	हिंदी
भवज	–	भावज (संस्कृत भ्रातृजाया)

उर्दू भाषा का रूप-गठन, वाक्य-रचना की दृष्टि से हिंदी के अधिक निकट है। उर्दू भाषा हिंदी की निकटतम भाषा है। इन दोनों भाषाओं का संबंध दिल्ली-मेरठ की खड़ीबोली से है। दोनों भाषाओं का प्रयोग लोक-व्यवहार में होता रहा है। उर्दू हिंदी से कोई जुदा भाषा नहीं है। यह किसी जमात की भाषा न होकर हिंदुस्तानियों की भाषा है। हिंदी में अनेक शब्दों का हिंदी में समावेश हुआ और वे हिंदी में आत्मसात कर लिए गए।

शब्दों की विकास-परंपरा से भारतीय भाषाओं के उनके अंतर संबंध का बोध होता है। उदाहरणार्थ, उड़िया के 'अंकुश' (संस्कृत अङ्कुश > अपभ्रंश अंकुस) 'अंगार' (सं. अङ्गार > प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी अंगार), 'अंधार' (संस्कृत अंधकार > प्राकृत अंधयार > अपभ्रंश अंधार) आदि शब्दों के लिए अपभ्रंश साहित्य उपजीव्य रहा है। पंजाबी के इकासी' (संस्कृत एकाशीति > अपभ्रंश इक्कासी > हिन्दी इक्यासी), 'अट्ठ' (संस्कृत अष्टन् > प्राकृत, अपभ्रंश अट्ठ > हिंदी आठ) आदि शब्दों के उदाहरण से व्युत्पत्तिभूलक कहत्ता स्वतः सिद्ध है। गुजराती के 'छोडबुँ' (संस्कृत ठर्दय् > अपभ्रंश छड्ड > हिंदी छोड़ना)" 'शाणे' सं. संज्ञान > अपभ्रंश सयाणी > हिंदी सयाना) आदि शब्दों के विकास-क्रम से यह सिद्ध है कि अपभ्रंश और गुजराती का घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः अपभ्रंश भाषा ही गुजराती की जननी है। असमी के कुछ शब्द उदाहरणार्थ देखिए जिनसे यह स्पष्ट होता है कि असमी का विकास पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित अपभ्रंश से हुआ। असमी के 'आपोन' (संस्कृत आत्मन् > प्राकृत अप्पणझ अपभ्रंश अपन > हिंदी अपना) 'आटचल्लिस' (संस्कृत अष्टचत्वारिंशत् > अर्धमागधी अट्ठचत्तालीस, अठचालीस > अपभ्रंश अठतालिस, अट्ठचालीस > हिंदी अड़तालीस) आदि असमी के शब्दों का विकास-अध्ययन बिना हिंदी के पूर्व की भाषा अपभ्रंश के अधूरा ही कहा जाएगा। उपर्युक्त कतिपय उदाहरणों को देने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच विकास की परंपरा दिखाना है।

भारतीय भाषाओं और हिंदी के विकास की संभावनाएं

आज केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है, हिंदी के प्रचार-प्रसार करने और उसका विकास करने का कार्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की भाषा-नीति रही है कि आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी के शब्द-भंडार को समृद्ध करे। उदाहरणार्थ, हिंदी में मराठी का 'पावती' शब्द ग्रहण किया गया। उल्लेखनीय है कि अष्टम् सूची में 22 भाषाएं हैं–असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोड़ो, मैथिली, संथाली एवं डोगरी। इनमें कुछ भाषाओं के द्विभाषी कोशों का संपादन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कराया है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था करना अपेक्षित है। गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और शेष अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। आज आवश्यकता इस बात की है कि 'ग' क्षेत्र के अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए अपने विधान-मण्डल में संकल्प पारित करें ताकि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल सके। ■

राजभाषा के समक्ष चुनौतियाँ

—डॉ. पन्ना प्रसाद*

केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय सरकार की एक सुव्यवस्थित राजभाषा नीति है। इसके अंतर्गत संविधान, अधिनियम, नियम, राष्ट्रपति जी के आदेश, राजभाषा संकल्प आदि अनेक प्रगामी चरण हैं। कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश एवं कार्यक्रम के लिए राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति अपना कार्य पूरी दक्षता और सतर्कता के साथ सन् 1960 से पहले ही पूर्ण कर चुकी है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग और विधि मंत्रालय का राजभाषा खंड अपनी संपूर्ण ऊर्जा और कार्यबल के साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में लगे हैं। वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष भर के लिए हिंदी के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित करने और उसके अनुवीक्षण के लिए कार्यालय अध्यक्षों को जिम्मेदारी देने के साथ-साथ सतत् निगरानी और समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियां अपने पूरे उत्साह और गंभीरता के साथ कार्यरत हैं। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए हिंदी भाषा शिक्षण, टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की कार्याशालाओं के अनेक प्रशिक्षण सत्र पूरे हो चुके हैं और प्रोत्साहन के रूप में अनेक पुरस्कार, शील्ड, वेतन-वृद्धि एवं सम्मेलन समारोह पर पर्याप्त राशि खर्च की जा चुकी है किंतु राजभाषा की प्रगति जिस गति से होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है। हिंदी समर्थकों में इस बात को लेकर हैरानी है कि अब क्या किया जाए कि लोग हिंदी को बिना किसी झिझक या मनोग्रंथि के खुले मन से अपनाएं। यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी के सहज विकास के मार्ग में निम्नलिखित चुनौतियां अवरोध बनकर खड़ी हैं :-

1. अंग्रेजी भाषा :

हिंदी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी की है। यह हमारी गुलामी की निशानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत दोनों के कार्यकाल को मिलाकर अंग्रेजों ने लगभग 150 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया। इसमें लगभग 100 वर्ष तक अंग्रेजी हमारे देश की राजभाषा रही है। इस अवधि में शासन, प्रशासन, न्याय और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही है। प्राइमरी स्कूल की पाठ्य-पुस्तक में भी ''गॉड सेव द किंग' का गीत और किंग तथा क्वीन पर दो पाठ पढ़ाए जाते थे। इस तरह अंग्रेजी हमारे संस्कारों तथा कार्य-व्यवहार में बहुत गहरे पैठ चुकी थी। सन् 1947 में देश के आजाद होने पर यकायक इससे मुक्ति पाना संभव नहीं था। संविधान में हिंदी के बारे में जो अनुच्छेद लिखे गए वे भी अंग्रेजी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नाकाफी थे। हालांकि जब सन् 1955 में राजभाषा आयोग बना तो उसे स्पष्ट निर्देश थे कि वह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और अंग्रेजी को निर्बंधित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। लेकिन उसकी सिफारिशों की भी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समीक्षा की जानी थी और इस समिति की अपनी सीमाएं थीं। इसलिए किसी न किसी रूप में यथास्थिति ही बनी रही। आज 64 वर्ष बाद हालांकि पुरानी पीढ़ी का कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवा में नहीं है किन्तु पुरानी कार्यपद्धति में दीक्षित अधिकारियों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। इसलिए चाहकर भी नई और राष्ट्रवादी पीढ़ी अंग्रेजी का खात्मा उस सीमा तक नहीं कर पा रही है जिस सीमा तक अपेक्षित है। हां, यह जरूर है कि सन् 1835 से सन् 2011 तक 176 वर्षों के प्रयास के बाद भी इस देश में अंग्रेजी जानने वाले 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाए हैं और इस 125 करोड़ की भीड़ में 2 प्रतिशत का अस्तित्व समझ में आने वाली बात है।

2. क्षेत्रीयता :

हमारे देश में अनजाने ही एक मनोविज्ञान विकसित हो गया है कि हिंदी के बढ़ने से क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान होगा। जबकि हिंदी का विरोध सिर्फ अंग्रेजी से है। हमारी राजभाषा नीति का आधार यही है कि राजभाषा हिंदी का इस

*संयुक्त निदेशक (रा.भा.) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (मुख्यालय), पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

4202 HA/12—3A

तरह प्रसार किया जाए कि वह धीरे-धीरे राजभाषा अंग्रेजी का स्थान ले ले और किसी को कठिनाई भी न हो। हिंदी का प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर करने का न तो संविधान आज्ञा देता है, न ही अधिनियम। हिंदी कहीं भी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के मार्ग में आड़े नहीं आती। इस देश में सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। सबकी शब्दावली में लगभग समानता है इसलिए सभी भाषाएं विकसित होंगी तो हिंदी की शब्दावली को समझने और प्रसारित होने में मदद ही मिलेगी। इस काम में रुकावट सिर्फ अंग्रेजी डाल सकती है, यह बात हिंदी के लिए जितनी सही है, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी उतनी ही चेतावनीपरक है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार के लिए सरकार के कर्त्तव्यों का दिशा-निर्देश करते हुए विशेष निदेश दिया गया है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य केंद्र सरकार करेगी और हिंदी के विकास एवं संबद्र्धन के लिए संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त आठवीं अनुसूची की (22) भाषाओं से शब्द और शैली का चयन करेगी। इसका स्पष्ट संदेश है कि हिंदी का विकास क्षेत्रीय भाषाओं के आधारी पर ही होगा। क्षेत्रीय भाषाएं विकसित होंगी तभी विकसित हिंदी की सहायता कर पाएंगी। राजभाषा संकल्प 1968 में उल्लेख है कि हिंदी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची की सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने। संकल्प में क्षेत्रीय भाषा सौहार्द के लिए ही ''त्रिभाषा सूत्र'' का सुझाव दिया गया था।

3. कृत्रिम आधुनिकता :

आज भारत की वर्तमान पीढ़ी एक कृत्रिम आधुनिकता बोध से ग्रस्त है। आर्थिक उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन और मीडिया के प्रसार से अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा है। आज का नव आधुनिक युवक अधकचरी ही सही, अंग्रेजी बोलने में गर्व का अनुभव करता है। परंतु एक दो वाक्यों के बाद वह अपनी औकात में आ जाता है और अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने लगता है। इस वायरस का संक्रमण टीवी-रेडियो जॉकी से और फैलता है। अंग्रेजी शासकों की भाषा रही है, उसके उच्चारण में वह ठसक अब भी विद्यामान है। अंग्रेजी बोलने वाला सभ्य और कुलीन समझा जाता है। इस भ्रम से छुटकारा पाने के लिए हमारे अंदर राष्ट्रीयता बोध जरूरी है किंतु आजादी के बाद राष्ट्रीय भावना का क्षरण हुआ है। जैसे अन्य क्षेत्रों में हुआ है, वैसे ही हिंदी के बारे में भी राष्ट्रीय भावना में कमी आई है।

4. इच्छा-शक्ति में कमी :

किसी कार्यालय में हिंदी का प्रसार उच्चाधिकारियों की प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। प्राय: देखा गया है कि जिस कार्यालय का उच्चाधिकारी हिंदी का समर्थक है वहां हिंदी का प्रसार बिना रोक-टोक के निर्बाध गति से होता है। उच्चाधिकारी यदि किसी बैठक में हिंदी के पक्ष में एक वाक्य भी बोल दे या फाइल में एक वाक्य भी लिख दे तो अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बन जाता है। कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यालय अध्यक्ष को दी गई है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति अहिंदी भाषी होता है। फिर उसकी सीमाएं हिंदी का प्रयोग सीमित कर देती हैं।

5. हिंदी अधिकारियों की भूमिका :

जब से हिंदी अधिकारी का पद बना है और कार्यालयों में राजभाषा शाखा की स्थापना हुई है, यह समझा जाने लगा है कि कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राजभाषा शाखा की है। जबकि स्पष्टत: ऐसा नहीं है। भारत सरकार को कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान, हिंदी में कार्य करने की प्रतिशतता, फाइलों पर टिप्पणी, प्रशिक्षण आदि से संबंधित जो भी सूचनाएं भेजी जाती हैं वे सभी कार्यालय के संपूर्ण कर्मचारियों के आधार पर तैयार की जाती है, न कि हिंदी कार्मिकों के आधार पर। हिंदी का प्रयोग ऐसा राष्ट्रीय यज्ञ है जिसमें सबको आहुति डालनी पड़ती है।

कुछ कमियां हिंदी अधिकारियों की भी हैं। हिंदी अधिकारियों को अनुवाद, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के कार्य सौंपे गए हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय वे प्राय: तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते हैं और अप्रचलित दुरुह शब्दों का चयन कर यथास्थान फिट कर देते हैं इससे उनका अनुवाद-कर्म तो पूरा हो जाता है किंतु हिंदी का भला नहीं होता। पढ़ने वाले को एक अपरिचित अंग्रेजी शब्द के स्थान पर एक अपरिचित हिंदी शब्द मिल जाता है। बहुत से अनुवादक अनुवाद करते समय अंग्रेजी के मिश्र वाक्यों के अनुकरण का हिंदी में मिश्र (कदाचित् जटिल) वाक्यों की रचना कर देते हैं जिससे विषय और दुर्बोध हो जाता है। वस्तुत: अंग्रेजी पाठ को पढ़कर, उसका भाव समझकर, हिंदी में छोटे-छोटे साधारण वाक्यों में अनुवाद करना चाहिए। ऐसा करते समय बस इतना ध्यान रखा जाए कि अर्थ में परिवर्तन न हों। हिंदी को राजभाषा ही इसलिए बनाया गया

4202 HA/12—3B

था कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।

6. कंप्यूटरीकरण

उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण कंप्यूटरों का प्रयोग बढ़ा है। अनेक कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात (I.T. Rollout) हो चुका है। लेकिन पुरानी मानसिकता के लोग अपनी यथास्थिति से उबर नहीं पाए हैं। जो जैसे चल रहा है, वैसे ही चलते रहने में उन्हें सुकून मिलता है। चैंज मेनेजमेंट के प्रति उनके अंदर उत्साह नहीं है। दूसरी ओर कंप्यूटरों की सारी पद्धति अंग्रेजी पर आधारित है, हिंदी के प्रयोग की प्रक्रिया तो उस पर आरोपित की जाती है। इसलिए भी पुरानी पीढ़ी के कर्मचारी कंप्यूटर-हितैषी नहीं हो पाते। पहले कार्यालयों में बहुत से फार्म, प्रपत्र द्विभाषी मुद्रित कराए गए थे जिनमें हाथ से हिंदी में प्रविष्टियां कर दी जाती थी। किंतु कंप्यूटर में उनकी द्विभाषी फॉर्मेटिंग नहीं होती। परिणामत: ऐसे प्रत्र केवल अंग्रेजी में लोड किए जाते हैं और इनमें डाटा-फीडिंग भी स्वभावत: अंग्रेजी में ही आसान होती है। इसलिए कार्यालयों में हिंदी-कार्य की प्रतिशतता घटी है।

इसके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे कारण हैं जो हिंदी के अव्याहत प्रयोग में बाधक हैं। जैसे कर्मचारियों को कार्यात्मक प्रशिक्षण का अभाव, सहायक साहित्य, कोड, मैनुअल, नियमावली आदि का हिंदी में न होना, कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता की कमी, हिंदी संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं के समुचित प्रचार का अभाव, हिंदी टंकक/आशुलिपिक की अपेक्षानुरूप तैनाती न होना आदि।

इस प्रकार हमने देखा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। इनमें से कुछ संसाधनों से संबंधित है, कुछ आरोपित हैं और कुछ मानसिकता की उपज हैं। संसाधनों से संबंधित चुनौतियों का निराकरण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि भारत एक समृद्ध देश है जो दूसरों को संससाधन मुहैया कराता हैं आरोपित चुनौतियां कृत्रिम हैं उनका कोई मूल्य नहीं हैं मानसिकता में परिवर्तन के लिए हमें हिंदी को रोजगारपरक बनाना होगा क्योंकि इस उपभोक्तावादी युग में वही चीज चलती है जिसका बाजारभाव ऊंचा हो। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों और अभिव्यक्तियों की आवक बढ़ानी होगी ताकि प्रयोक्ताओं को लगे ही न कि वे किसी अन्य भाषा-माध्यम का प्रयोग कर रहे है। इस विशाल देश में भाषा वही जिएगी जो सबको साथ लेकर चलेगी। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अपने प्रांत तक ही सीमित है, केवल हिंदी ही है जो पूरे हिंद की बात करती है। चक्रवर्ती राजपोपालाचारी कहते हैं–"सबको हिंदी सीखनी चाहिए। इसके द्वारा भाव विनिमय करने से सारे भारत को सुविधा होगी।" महात्मा गांधी ने लिखा है–"बैरिस्टर बनने के बाद मैं स्वभाषा में नहीं बोल पाता था। ये मेरी जिंदगी के सबसे शर्मनाक क्षण थे।"

पृष्ठ 2 का शेष

में लिखे गए साहित्य को अपना मैथिली साहित्य बताकर प्रस्तुत किया। इस तरह होने से बोलियों के बीच आपसी अंतर्विरोध पनपने की बात देखी जाती है। राजनीतिक दबाव डालकर, अस्मिता का हवाला देकर अपनी बोली मैथिली को भाषा कहलवाने के स्वार्थी प्रयास में भले ही वे सफल हो गए हों, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 'मैथिली' अपने को अलग स्वतंत्र भाषा सिद्ध करने में सदियां लग जाएंगी। अपनी प्रादेशिक बोली को भाषा बनाने की मांग रखना संविधान से और देश की भाषा–नीति से खिलवाड़ करने के बराबर ही होगा।

हिंदी विश्व स्तर पर भारत की अस्मिता की पहचान कराने में सक्षम है। मैथिली जैसे उदाहरण भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त 'हिंदी' की शक्ति को छिन्न-भिन्न करने के काम आएंगे। हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं। हिंदी बोलने वालों की संख्या कम होगी तो हिंदी भाषी अलग-अलग पड़कर आपस में लड़ने लगेंगे। परिणाम यह होगा कि अंग्रेजी मजबूत होगी। बोलियां अलग-थलग पड़कर धीरे-धीरे खो जाएंगी। उनका समुन्नत एवं समग्र सहित्य भी नष्ट हो जाएगा। छः साल पहले भाषा बनी मैथिली की दशा यह है कि उसमें आज भी स्कूली या उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। परिनिष्ठित एवं प्राचीन हिंदी साहित्य पर मैथिली ने अपना दावा खो देने से उसी का नुकसान हुआ। अत: यही कहा जा सकता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में बोलियों को भाषा का दर्जा देकर सम्मिलित करना समीचीन नहीं है।

अनुवाद एवं अनुवादकों की परिसीमाओं को दृष्टि में रखते हुए पहले से ही बहुभाषिक स्थिति से जुड़ने वाले हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं विश्व-व्यापार के क्षेत्रों की समस्याओं की वृद्धि यदि रोकनी है तो अष्ठम अनुसूची में सम्मिलित की जाने वाली भाषाओं पर रोक लगे और राजनीतिक दांव-पेंच चलाने वाले देश की भाषाई अस्मिता पर अवश्य ध्यान दें।

रोजगार के अवसर और हिंदी

–भगवान वैद्य 'प्रखर'*

भाषा चाहे कोई हो, मूलत: वह संपर्क का माध्यम होती है। दो व्यक्तियों के बीच संवाद का, वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम। लिपियों के प्रादुर्भाव और विकास के साथ-साथ लेखन संस्कृति गतिमान हुई। ग्रंथों की रचना होने लगी। यद्यपि यह कहना कठिन है कि किसका विकास पहले हुआ? संस्कृतियों का या बोलियों का? लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विविध सभ्यताओं को, संस्कृतियों को वाणी देने के लिए बोलियां विकसित होने लगीं। भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली, लिखी जाने लगी। उन्हीं सैंकड़ों विकसित भाषाओं में से एक है, हमारी हिंदी। भारत सुदीर्घ और समृद्ध सामासिक संस्कृति संपन्न देश है। एक अनुमान के अनुसार यहां सोलह-सौ से अधिक बोलियां और लगभग आठ-सौ से अधिक भाषाएं हैं। भारत के संविधान की अष्टम सूची में जिन बाईस भाषाओं का उल्लेख है उनमें हिंदी भी सम्मिलित है। चूंकि हमारा विषय रोजगार और हिंदी है इसलिए यहां हिंदी के विविध रूप, बोलियां तथा उसके क्रमिक विकास आदि पर अधिक चर्चा करना प्रासंगिक नहीं होगा।

राजभाषा के रूप में हिंदी का अतिरिक्त दायित्व : भारत में चूंकि हिंदी सर्वाधिक बोली-समझी जाने वाली भाषा थी इसलिए उसे संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखित जाने वाली हिंदी को 'राजभाषा' स्वीकार किया गया। साथ ही, उनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा की प्रचार-वृद्धि, उसका विकास तथा समृद्धि सुनिश्चित करने का दायित्व केंद्रीय सरकार को सौंपा गया। मेरी दृष्टि में यही वह प्रथम ओर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है जिसने हिंदी के लिए रोजगार के दालान खोल दिए। हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं काफी बढ़ गईं क्योंकि बोलचाल तथा साहित्य के अतिरिक्त यह विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रशासन के क्षेत्र में भी प्रयोग में लाई जानी है। 14 सितंबर, 1949 अर्थात् हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त होने की इस तिथि से पूर्व हिंदी की ओर 'रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले एक माध्यम' की दृष्टि से शायद ही देख गया हो। केंद्र सरकार, उसके मंत्रालय और विभाग ही नहीं अपितु केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में कार्यरत तमाम निगम और उपक्रमों के कामकाज की भाषा बन गई हिंदी, उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वित होते ही। उम्मीद तो थी कि उनुच्छेद 343(2) द्वारा नियत पंद्रह वर्षों की कालावधि की समाप्ति के उपरांत सारा कामकाज हिंदी में होने लगेगा। लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) के प्रावधानों ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को असीमित अवधि के लिए बने रहने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तथापि हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए विविध स्तरों पर प्रयत्न जारी रहे। केंद्रीय सरकार द्वारा 'राजभाषा नियम 1976' बनाए गए जिनके अंतर्गत भारत के समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का क, ख तथा ग इन तीन वर्गों में वर्गीकरण किया गया। पत्राचार और अन्य कार्यालयीन कामकाजों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए वर्गवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस-विज्ञप्तियों आदि के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ उनका हिंदी अनुवाद अनिवार्य किया गया। हिंदीतर-भाषी राज्यों को अंग्रेजी में भेजे जाने वाले पत्र-परिपत्रों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भेजना आवश्यक निरूपित किया गया। अर्थात् केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी का उपयोग विधि द्वारा आवश्यक हो गया जिसके लिए हिंदी अधिकारी, अनुवादक, हिंदी सहायक, टंकक, आशुलिपिक आदि के हजारों पदों का सृजन हुआ और हिंदी को रोजगार की भाषा के रूप में देखा जाने लगा। यह अलग बात है कि इस प्रकार सृजित पदों की संख्या में वृद्धि निरंतर जारी नहीं रह सकी। एक बार एक पद भरे जाने के बाद संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक उस पद पर नई नियुक्ति संभव नहीं होती। परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार या उसके अधीन कार्यरत निगमों, उपक्रमों में नई नियुक्तियों की संभावनाएं नगण्य ही कही जाएगी।

*30, गुरुछाया कालोनी, साईंनगर, अमरावती-444607

तकनीकी भाषा के रूप में नया आयाम : 1991 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत Mission for the Technology Development in India Languages (TDIL) की स्थापना की गई। यह एक क्रांतिकारी कदम है। भारतीय भाषाओं की शब्द-संपदा विपुल है। उनमें अकूत उर्वरा शक्ति है। उनकी व्याकरणिक क्षमता अद्‌भुत है। इन बातों को ध्यान में रखकर हिंदी सहित संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित प्रत्येक भारतीय भाषा में तीस लाख विविध तकनीकी शब्दों के संचयन का निर्णय लिया गया। इस शब्द-संपदा के स्रोत के रूप में 1981 से 1990 के बीच प्रकाशित पुस्तकें, जर्नल्स, पत्र-पत्रिकाएं, अनूदित सामग्री तथा सरकारी दस्तावेजों का इस्तमाल किया जाएगा। कला, विज्ञान, वाणिज्य, कार्यालयीन कामकाज, मीडिया आदि छह प्रमुख विषयों में वर्गीकृत तथा मशीन से पढ़े जा सकने वाले हिंदी के 30 लाख शब्दों के संचयन का यह महत् कार्य कई अन्य संस्थाओं की सहायता से आय, आय, टी, दिल्ली में प्रगतिपथ पर है।

इससे हिंदी के 'तकनीकी भाषा' के रूप में विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

कंप्यूटर युग में गतिमान हिंदी : पिछले बीस वर्षों के दौरान घटित कंप्यूटर-क्रांति ने समूची विश्व का चित्र पलटकर रख दिया है। इसके प्रभाव से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह पाया। आरंभ में 'कंप्यूटर जी' केवल अंग्रेजी लिखते, समझते थे जिससे यह आशंका बलवती होने लगी थी कि इसका हिंदी की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ, लिपि, इजम, श्रीलिपि, अक्षर, यूनिकोड जैसे तेजी से विकसित किए गए कई वर्ड-पोसेसर्स ने इस आशंका को निर्मूल साबित कर दिया। जिसे टाइप-राइटर पर काम करना नहीं आता वह भी आज 'बरहा' जैसे साफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ही नहीं अपितु मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, आसामी, ओरिया इन भारतीय भाषाओं में एक साथ और आसानी से काम कर सकता है। दिन-ब-दिन सुलभ होती जा रही स्पेल-चैक, अनुवाद, शब्दकोश की सुविधाओं ने कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना और भी सहज और आनंददायी बना दिया है। कहना न होगा कि इससे हिंदी में कार्य-निष्पादन की गति में अप्रत्याशित अजाफा हुआ। साथ ही हिंदी की लोकप्रियता में चार चांद लग गए।

विश्व पटल पर हिंदी के बढ़ते कदम : हिंदी न केवल भारत की 90 प्रतिशत जनता द्वारा बोली, समझी जानेवाली लोकप्रिय भाषा है अपितु विश्व में सर्वाधिक बोली, समझी जाने वाली भाषाओं में प्रमुख है। कुछ अनुमानों के अनुसार तो हिंदी ने विश्व में प्रथम क्रमांक पर मानी जाने वाली चीनी भाषा को भी मात दे दी है। आज वस्तुस्थिति चाहे जो हो, पर विश्व-समुदाय की भारत में बढ़ती दिलचस्पी के मद्देनजर वह दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली, समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। इस 'विश्वास' का एक और कारण भी है। वह है, भारत की 120 करोड़ से अधिक अर्थात् विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, आबादी। आवागमन की बढ़ती सुविधाएं, संचार-क्रांति और वैश्वीकरण के कारण दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था आकार लेने लगी। विकसित राष्ट्र अपने उत्पादों के विपणन/विक्रय के लिए भारत की ओर एक विशाल 'मार्केट' के रूप में देखने लगे। साथ ही वे यह भी जान गए कि भारत की करोड़ों की आबादी तक अपने उत्पादों की जानकारी पहुंचाने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से भिन्न कोई भाषा नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक देशों में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए अध्ययन-अध्यापन केंद्र खुल गए। अमेरिका में फ्रेंच, स्पैनिश और जर्मन के साथ-साथ हिंदी भाषा को भी स्कूलों में, विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फ्रांस दूसरा बड़ा देश है, जहां हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। सोवियत रूस में अनेक हिंदी शोध संस्थान हैं। विश्व के 160 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी को एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है इससे स्पष्ट है कि आज पूरी विश्व ने हिंदी को एक 'आवश्यक' भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। नतीजतन, हिंदी की लोकप्रियता में दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि हो रही है और चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता प्रदान न भी करें तब भी इसमें कोई संदेह नही है कि हिंदी विश्व-समुदाय की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भाषा बन चुकी है।

रोजगार के अवसर और हिंदी : उपर्युक्त लोकप्रियता के परिणाम-स्वरूप हिंदी में रोजगार के विपुल और नित नए अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। इस प्रकार उपलब्ध रोजगारों को निम्नलिखित तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

रोजगार के अवसर

1. संवैधानिक बाध्यता से से सृजित पद	2. स्वतंत्र रोजगार	3. विदेश में रोजगार

1. **संवैधानिक बाध्यता के तहत सृजित पद :** इस वर्ग में केंद्रीय सरकार और उसके अधीन कार्यरत निगमों

4202 HA/12—4A

तथा उपक्रमों के कार्यालयों में हिंदी के कामकाज एवं उसके प्रगामी प्रयोग के लिए सृजित पद आते हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यद्यपि यह सच है कि एक बार भरे जाने के बाद उन पदों पर इन नियुक्तियों के लिए वर्षों तक गुंजाइश नहीं रहती तथापि उपयुक्त अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के अभाव में आज भी अनेक शासकीय कार्यालयों तथा उपक्रमों में सैंकड़ों पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए हिंदी में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी आवश्यक होती है। हमारे यहां राज्यों की अपनी राज्य-भाषाएं हैं जैसे महाराष्ट्र की मराठी या कर्नाटक की कन्नड़। राज्यों का कामकाज उनकी अपनी राज्य भाषाओं में चलता हैं उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों में की जाने वाली नियुक्तियों के लिए आने वाले उम्मीदवारों से यह अपेक्षा रहती है कि उन्हें राज्य-विशेष की राज्य-भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए।

2. भारत में स्वतंत्र रोजगार की संभावनाएं : इस वर्ग में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों की संक्षिप्त चर्चा यहां अनुपयुक्त न होगी।

(i) फिल्म उद्योग, दूरदर्शन एवं संचार माध्यम: भारत में 'फिल्म-निमार्ण' सबसे बड़ा उद्योग है और इसमें सर्वाधिक फिल्में हिंदी में बनती हैं। जो फिल्में प्रादेशिक भाषा में बनाई जाती हैं उनमें से भी कई उत्कृष्ट फिल्में हिंदी में 'डब' करके प्रदर्शित की जाती हैं। इन फिल्मों के लिए गीत, पटकथा, संवाद आदि लेखन के लिए, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषओं से अनुवाद के लिए बड़ी संख्या में भाषा-विदों की आवश्यकता होती है। यही स्थिति दूरदर्शन की भी है। आज भारत में अहर्निश चलने वाले चैनलों की संख्या चार-सौ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सर्वाधिक चैनल हिंदी कार्यक्रमों के हैं। उन पर दिखाए जाने वाले सर्वाधिक विज्ञापनों की भाषा हिंदी ही होती है। हमारे देश में एनिमेशनर फिल्म, नेशनल ज्योग्राफिक, कार्टून नेटवर्क, एनिमल प्लानेट, डिस्कवरी सहित अनेक ऐसे चैनल हैं जो हिंदी में 'डब' करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन चैनलों में अनुवाद करना, संवाद, सार-लेखन, डबिंग जैसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए हिंदी में प्रभुत्व प्राप्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या में जरूरत है।

आकाशवाणी में उद्घोषक, निवेदक, अनुवादक, समाचार-वाचक एवं विविध कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रस्तुति हेतु उपयुक्त अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के लिए सदा से रोजगार की संभावनाएं रही हैं।

(ii) समाचार-पत्र, पत्रिकाएं एवं संवाद एजेंसियां; भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र-पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। हिंदी के कई अखबारों की प्रसार संख्या लाखों में है। उनके पचासों संस्करण निकल रहे हैं। ऐसे अखबारों के लिए काम कर सकने वाले रिपोर्टरों के, अनुवादकों के, भाषा सहायकों के, डाटा ऑपरेटर्स, कंपोजिटर्स, उप संपादकों के पदों के विज्ञापन अक्सर देखे जा सकते हैं। हिंदीतर-भाषी क्षेत्रों से निकलने वाले हिंदी अखबार तो सतत् हिंदी में कार्य कर सकने वाले कुशल कर्मियों की तलाश में जुटे रहते हैं। मैं कर्नाटक से प्रकाशित होने वाले एक ऐसे हिंदी दैनिक अखबार को जानता हूं जो पिछले दस वर्षों से निकल रहा है। उसके संपादक का जब भी फोन आता है तब वे यह अनुरोध दोहराना नहीं भूलते कि 'भाईसाहब, हिंदी में काम करने वाला कोई लड़का हो तो जरूर भेजो।' पिछली बार फोन आया तो वे कहने लगे, 'एक एडिशन दिल्ली से आरंभ करने के बारे में सोच रहा हूं। वहां इस शर्त पर स्टाफ रखूंगा कि उन्हें साल में छह माह यहां कर्नाटक में डेपुटेशन पर काम करना होगा। उम्मीद है, इससे समस्या का हल निकल आए!' संवाद एजेंसियों का भी यही हाल है। हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी और एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं पर प्रभुत्व रखने वाले कुशल अनुवादक को कौन नहीं चाहता। कुल मिलाकर यही कि इस क्षेत्र में 'सर्वोत्तम' की तलाश सदैव और हर कीमत पर रहती है। उम्मीदवारों को जरूरत होती है तो बस, 'खुदी को बुलंद' करने की।

(iii) प्रकाशन-जगत में अनुवादकों की बढ़ती मांग : भारत में सर्वाधिक पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों के अनुवाद भी हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ समान प्रकाशन संस्थाएं श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित करती हैं। अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो केवल अंग्रेजी में ही थे, अब हिंदी में उपलब्ध कराने की मांग बढ़ती जा रही है। अर्थात् साहित्य की पुस्तकों के अतिरिक्त और भी कई विषयों की पुस्तकों के अनुवाद वांछित हैं। अनुवाद करने वाली अनेक निजी संस्थाएं भी हैं उन्हें कुशल अनुवादकों की सदैव तलाश रहती है। हिंदी

4202 HA/12—4B

सहित एकाधिक भाषाओं पर प्रभुत्व तथा अनुवाद-कला में नैपुण्य-प्राप्त व्यक्ति स्वतंत्र अनुवादक के रूप में भी अपना कैरिअर बना सकते हैं।

(iv) पर्यटन: संपूर्ण भारत में पर्यटन एक अच्छे उद्योग का रूप ले रहा है। विदेशी ही नहीं अपितु मध्यम-वर्गीय भारतीय भी साल में एक बार ही क्यों न हो, घर से बाहर निकलकर नहीं घूम आने की योजना बना लेता है। पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी-राज्य, राजस्थान, गुजरात आदि ने यह साबित कर दिखाया है कि पर्यटन आय का उत्तम स्रोत है। हिंदीतर-भाषी प्रदेशों में आने वाले पर्यटक उनकी अपनी भाषा में न सही पर हिंदी में जानकारी दे पाने में सक्षम 'गाइड' की सेवाएं सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।

(v) विज्ञापन क्षेत्र : भारत में विज्ञापन क्षेत्र भी एक 'उद्योग' के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हजारों उत्पादों से संबंधित जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार-पत्र तथा स्वतंत्र लीफलेट, ब्रोचर्स, सूचना-फलक आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है जिसे तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में हिंदी के जानकारों की आवश्यकता है।

(vi) हिंदी प्रशिक्षण, शिक्षण के लिए अध्यापक, प्राध्यापक : स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए उपयुक्त अर्हता रखने वाले अध्यापक, प्राध्यापकों की सदैव आवश्यकता रही है। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार तथा कुछ विश्वविद्यालय एवं निजी संस्थाएं हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण वर्ग तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं। हिंदी पर प्रभुत्व रखने वाले एवं अध्यापन-कार्य के अनुभवी व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में रोजगार की प्रबल संभावनाएं होती हैं।

3. **विदेश में रोजगार की संभावनाएं :** (i) भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकसित राष्ट्रों का भारत की ओर भावी महाशक्ति के रूप में देखने का नज़रिया तथा भारत में व्यापार की अच्छी संभावनाओं के मद्देनजर विदेशों में हिंदी सीखने में दिलचस्पी बढ़ी है। इसी कारण हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वानों की मांग दिन-पर दिन बढ़ती जा रही है।

(ii) विदेशों में 'पर्यटन' के क्षेत्र में हिंदी किस प्रकार लोकप्रिय हो रही है यह नागपुर (महाराष्ट्र) से प्रकाशित हिंदी अखबार नवभारत के दिनांक 25 मार्च, 2012 के अंक में, एजंसियों के हवाले से छपे पेरिस के एक समाचार से स्पष्ट हो जाएगा। समाचार के अनुसार, 'एफ़िल टॉवर पर तैनात फ्रांस के सुरक्षा कर्मी अब भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले पर्यटकों से बढ़िया हिंदी में बातें करते नजर आते हैं। अकेले एफ़िल ही नहीं अपितु पूरे पेरिस में जगह-जगह आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। इस बारे में पूछने पर एक सुरक्षा कर्मी ने बताया कि चूंकि यहां भारत, पाकिस्तान और बंग्लादेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं इसलिए सोचा गया कि क्यों न हिंदी सीखकर उनसे हिंदी में ही बात करके सारी जानकारी दी जाए।'

उल्लेखनीय है कि यह उस देश का समाचार है जहां के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर काफी कट्टर माने जाते हैं और किसी भी विदेशी भाषा में बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।

(iii) दुभाषिए के रूप में कार्य करने के लिए साथ ही राजायिकों/डब्लू एच ओ, यूनेस्को समान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा निजी अनुवाद संस्थाओं के लिए अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए हिंदी सहित विदेशी भाषाओं पर प्रभुत्व-प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार की अच्छी संभावनाएं रहती हैं।

सारांश: स्पष्ट है, हिंदी में रोजगार कम नहीं हैं। कंप्यूटर पर क्लिक करते ही लाखों का आंकड़ा सामने आ जाता है। naukari.com समान कितनी ही वेबसाइट्स देश-विदेश में उपलब्ध रोजगारों की अद्तन जानकारी मुहैया कराती रहती हैं। आवश्यकता है, 'परम श्रेष्ठता' (per-excellence) की। हिंदी में स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ-साथ एकाधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान, अनुवाद पाठ्यक्रम, जर्नालिजम, पटकथा-लेखन या एम बी ए सदृश कोई व्यवसायिक पाठ्यक्रम, पुरातत्व/इतिहास के अध्ययन समान अतिरिक्त योग्यता और कंप्यूटर में महारत रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। *हथौड़े के वार सहन कर सकने वाले पाषाण से मूर्ति तराशी जाती है, पीट-पीट कर तांबे की पतली तार बनती है ओर तपकर निकले सोने के आभूषण बनते हैं। अर्थात जो जितना परिश्रम करेगा, जितनी अर्हता हासिल करेगा, उतना पाएगा। हिंदी की उपाधि महज 'सेतु' है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैरों में शक्ति होनी चाहिए। मंजिल चलनें से हासिल होती है, पुल पर खड़े रहकर आसन की ओर ताकते रहने से नहीं ' ' '।* ■

हरिवंशराय बच्चन के काव्यों में राष्ट्र प्रेम

–डॉ. चिट्टी अन्नपूर्णा*

हिंदी साहित्य जगत् में हालावाद के सृजनकर्ता के रूप में श्री हरिवंशराय बच्चन जी का नाम सुपरिचित है। उनकी हालावादी कविताओं से आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में एक नई प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ। उसे हम हालावाद कहते हैं। ''मधुशाला'', ''मधुबाला'' और ''मधुकलश'' के द्वारा आनंद विभोर करने वाले कवि में राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय भावना भी कम नहीं। धर्म के नाम पर हुए देश विभाजन के प्रति व्यथा, देश की दयनीय स्थिति पर संवेदना, देश की सुरक्षा को लेकर और देशवासियों की देश के प्रति कम होती जा रही देश भक्ति के प्रति चिंता से वे पीड़ित थे तो दूसरी ओर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जैसे महात्माओं एवं देश के लिए बलिदान हुए शहीदों के प्रति श्रद्धा–भक्ति और आदर का भाव उन्होंने प्रकट किया। जिस 'मधु' के द्वारा साहित्य जगत को उन्होंने आसमान छूने का आनंद दिया, बाद में उसे छोड़कर देशभक्ति, देश की दुस्थिति, स्वतंत्रता की लड़ाई, अकाल से पीड़ित बंगाल की जनता की दयनीय स्थिति, गांधी जी के प्रति आस्था, उनकी मृत्यु पर वेदना, देश विभाजन की पीड़ा, देश सुरक्षा की चिंता आदि अनेकों राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति ध्यान दिया और साहित्य प्रेमियों एवं पाठकों को उस ओर जागृत किया ''बंगाल का अकाल'', ''खादी के फूल'', ''सूत की माला'', ''धार के इधर-उधर'', ''आरती और अंगारे'', ''बुद्ध और नाच घर'', ''त्रिभंगिमा'', ''चार खेमे चौंसठ खूंटे'', ''दो चट्टानें'', ''जल समेटा'' आदि उनकी राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत रचनाएं हैं।

''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'', ''रामायण'' का यह कथन मां और जन्मभूमि की गरिमा को उजागर करता है। जन्मभूमि को मां और उसकी प्रजा को उस भूमि की संतान मानने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अथर्ववेद में भी ''माता भूमिः पुत्र पृथिव्या:'' कहकर जन्मभूमि और उसके वासियों का संबंध स्पष्ट किया गया है। भारत देश ने ऐसे अनेकों पुत्रों को जन्म दिया, जो अपने बलिदानों और राष्ट्र प्रेम के लिए चिरस्मरणीय हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, भगतसिंह, वीरपांडी कट्टबोम्मन, अल्लूरि सीताराजराजू आदि ऐसे ही देश भक्त हैं, जिन्होंने अपने रक्त से मातृ भूमि को सींचकर राष्ट्र प्रेम को व्यक्त किया। सन् 1907 में प्रयाग में पैदा हुए श्री बच्चन जी बचपन में ही गांधीजी से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित श्री बच्चन ने उनके प्रति श्रद्धा भक्ति ही नहीं रखी, अपितु चर्खा और खादी का खूब प्रचार किया। उन्होंने गांधीजी से संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा ग्रहण की। बाप से मिली प्रेरणा से वे कई आंदोलनों में सक्रिया भाग लेने लगे। बापू से जो प्रेरणा उन्हें मिली थी उसको उन्होंने 'खादी का फूल', 'सूत की माला' आदि कविताओं में अभिव्यक्त किया। राष्ट्र भक्तों के प्रति श्रद्धा और प्रेम राष्ट्रीय भावना के परिचायक हैं। बापू पर लिखी गई ये कविताएं इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इन कविताओं में श्री बच्चन जी ने बापू की आत्मा को अमर और प्रेरणा की स्रोतस्विनी कहते हुए लिखा है–

क्षार क्षार होती है बापू की काया रह रह
भेद अवतीत एक स्वर उठता
नैंनं दहिति पावकः ।(1)

कवि श्री बच्चन को अपनी मातृभूमि पर गर्व है। क्योंकि वह भारत की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात् करते हुए जीव नदी की तरह निरंतर प्रगतिमान रही हैं। इसलिए

*एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा, हिंदी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मेरीना कैंपस, चेन्नई-600005

भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लौकिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन यहां का जीवन दर्शन है। इसलिए उसने असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतमगमया कहकर मानव को जीवन के प्रधान लक्ष्य से अवगत कराया। कवि भारत की इस विशेषता के कारण इस भूमि को ज्ञानभूमि, कर्मभूमि, सक्ष्यश्यामला और अन्नपूर्णा के रूप में वर्णन किया है और ईश्वर का भूमि पर अवतरित होने का विश्वास जताया है। इसीलिए भारत की इन महान् विशेषताओं पर कवि को गर्व है। यह स्वाभाविक ही है। उन्होंने भारत भूमि की इस गरिमा का गुणगान इस प्रकार किया :

हम अब भी अपनी भारत भूमि को नहीं भूले
वह ज्ञान भूमि है
धन धान्य भूमि
मधुगान भूमि
वरदान भूमि
भगवान भूमि। (2)

उनकी काव्य यात्रा की चौथे पड़ाव की कविताओं में राष्ट्रीय भावना प्रधान विषय रहा। देश भक्ति, देश सुरक्षा, परतंत्रता से मुक्ति आदि उनकी कविताओं के विषय रहे हैं। बच्चन जी की वेदना है कि परतंत्रता के कारण मातृभूमि अत्यंत व्याकुल है। मातृभूमि की व्याकुलता से व्याकुल कवि देश के परतंत्र की स्थिति पर निष्क्रिय जनता के प्रति निष्ठुर होकर उन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने का आह्वाहन करते हैं। देशवासियों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुए देश मातृभूमि की पुकार को कवि ने इस प्रकार सुनाई है :

न आसमान देखते रहो खड़े।
तुम्हें जमीन देश की पुकारती। (3)

भारत आत्मीय संस्कारों के लिए विश्व विख्यात है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" इसकी मान्यता है। अर्थात् संसार भर के प्राणी इसके बंधु-बांधव हैं। अहिंसा, प्रेम, दया, त्याग, बलिदान आदि मानवीय मूल्य इसकी विशेषताएं हैं। मानवतावादी चिंतन प्रधान इस संस्कृति के परिरक्षण के लिए समय-समय पर अनेकों महात्माओं का जन्म इस भूमि पर हुआ है। रामकृष्ण, महात्माबुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मागांधी, मदर टेरेसा जैसे महान पैदा होकर समय-समय पर देश की जनता का पथ प्रदर्शन करते रहे। इसने सिर्फ अपनी जनता को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और मार्गदर्शक बनकर विश्व के समस्त देशों का मार्ग दर्शन किया। ऐसी मूल्य प्रधान संस्कृति की रक्षा करना हरेक भारतवासी का कर्तव्य बनता है। कवि ने सबके मिलजुकर कर जीते हुए इन मानवीय मूल्यों को परिरक्षित करने का आग्रह लोगों से करते हुए कहा है :

भारत कहता मानवता के सांचे में सब लोग ढलो
देश देश के पाहुन भारत के जन गण का स्वागत लो
पूरब की इस परम पुरातन पर सब साथ मिलो। (4)

कवि श्री बच्चन के काव्य में एक ईमानदार कवि की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रोन्नति की भावना अद्यंत है। उन की रचनाओं के चौथे पड़ाव के काव्य अंग्रेजों की कूटनीति के परिणामस्वरूप हुए देश विभाजन से बेहद आहत उनकी आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। अंग्रेजों ने न केवल देश को विभाजन किया, बल्कि भाई-भाई का भी धर्म के नाम पर विभाजन किया। इससे देशवासियों की धार्मिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना तथा सहिष्णुता शाश्वत रूप से भंग हो गई। भारत की इस दुस्थिति पर कवि अत्यंत दुखी थे। वे दुविधा में पड़ गए कि देश की स्वतंत्रता पर खुशियां मनानी हैं। या विभाजन पर रोना है। अपनी असंमजसता और पीड़ा को अक्षरवद्ध करते हुए कवि ने लिखा है :-

नाम के आजाद हम हैं
देश की एकता खो गई है
क्या इसी पर दुख मनाएं
एक की कौम दो हो गई हैं। (5)

अंग्रेजों की कूटनीति का विषैला प्रभाव देश विभाजन के बाद भी सक्रिय रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश में सांप्रदायिक विद्वेष समाप्त न हुआ। सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देते हुए चंद राजनीतिक नेता गण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक विद्वेष का आसरा लेने लगे। देश में व्याप्त इस जहरीले वातावरण पर कवि हैरान है। धार्मिक और साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थापना आज भी सपना ही रह गया है। आजादी के बाद भी देश में व्याप्त धार्मिक और सांप्रदायिक विभेदों को देखकर कवि ने अपनी वेदना इस प्रकार व्यक्त की है :

उन विरोधी शक्तियों की आज भी तो चल रही है चाल
यह उन्हीं की है लगाई, उड़ रही जो घर लगार से ज्वाल
काटता उनके करों से एक भाई दूसरे का भाल
आज उनके मंत्र से हैं बन गया इन्सान पशु विकराल। (6)

4202 HA/12—5A

जनता के बीच परस्पर ईर्ष्या और द्वेष राष्ट्रीय एकता के बाधक और घातक तत्त्व हैं। अंग्रेजी के द्वारा बोई गई विद्वेष रूपी विष बीज ने देश की एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया। देश की भवितव्यता के प्रति निष्ठावान् शुभ चिंतक, लोगों के ऐक्य भाव के विघटन को लेकर चिंतित है। बच्चन जी भी ऐसे शुभ चिंतकों में से एक हैं। वे ऐसे विभाजनों और संघर्षों से देश की रक्षा करना चाहते थे। वे देश वासियों को धार्मिक राजनीति के हाथों बलि का बकरा बनते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए वे लोगों को उनकी कमजोरी और भूल से अवगत कराते हुए भविष्य में ऐसी भूलों से सतर्क करते हुए लिखा है :

सुमति स्वदेश छोड़कर चली गई।
ब्रिटिश कूटनीति से चली गई।
अमित मीत, मीत शत्रु-सा लगा।
अखण्ड देश खण्ड-खण्ड हो गया। (7)

टूटे दिलों को जोड़कर देश की जनता को परस्पर प्रेम और भाई चारे से जीने की प्रेरणा कवि ने अपनी कविताओं के द्वारा दी है। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा जहां जाति, धर्म, ऊँच-नीच का भेद नहीं रहता। उन्होंने संपूर्ण भारत वर्ष को ऐसी पावन मधुशाला के रूप में देखा, जहां सब जाति, धर्म के लोग मिलजुलकर परस्पर प्रेम और आत्मीय भाव से जीते है। कवि पावन मधुशाला की रूपकल्पना के द्वारा भावात्मक एकता, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना का परिचय दिया। इसके द्वारा उन्होंने एक स्वस्थ समाज की रूपकल्पना प्रस्तुत की है। कवि की दृष्टि में पावन मधुशाला का तात्पर्य उस दुनिया से है, जहां भेद भाव नहीं रहता, समता, समरसता, सद्भाव, का वातावरण रहता है। कवि ने अपनी मातृभूमि की कल्पना ऐसी दुनिया के रूप में की :

मुसलमान और हिंदू है दो
एक मगर उनका प्याला
एक मगर उनकी हाला
दोनों रहते एक न जब तक
मस्जिद मंदिर में आते
बैर बढ़ाते मस्जिद
मेल कराती मधुशाला
कभी नहीं सुन पड़ता इसने
हां, छू दी मेरी हाला
कभी न कोई कहता उसने
जूठा कर डाला प्याला
सभी जाति के लोग यहां घर
साथ बैठकर पीते हैं
सौ सुधारकों का करती है
काम अकेली मधुशाला। (8)

कवि ने सब लोगों को मिलजुलकर सद्भावना के साथ भाई-भाई के रूप में जीते हुए देखना चाहते थे। भारत बहुधर्मी देश है। हिंदू मुस्लिम के अलावा बौद्ध, जैन, सिक्ख, ईसाई, पारसी, आदि अनेक धर्मावलंबी सदियों से यहां के निवासी रहे हैं। वे सब मिलकर एकता के साथ जीते थे। कवि श्री बच्चन ने उस संगठन शक्ति में फिर से जान डालना चाहा और धार्मिक सद्भावना का संचार कर भारत भूमि पर फिर से अमन लाना चाहा। अपनी इस आकांक्षा को कविताबद्ध करते हुए कवि ने लिखा है :

इस पर बसते हिंदू मुस्लिम
बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई
और पारसी और सभी हैं
आपस में भाई-भाई। (9)

स्वतंत्रता के बाद भारत पर अनेक आक्रमण हुए हैं। अंग्रेजों से मुक्ति मिलने बाद पड़ोसी देशों की नीति देश के प्रतिकूल हो गई। वे भारत पर आक्रमण और हमला करने की भावना से निरंतर सक्रिय रहे। चीन, पाकिस्तान आदि देश मौके की तलाश में रहे। दुश्मन भारत की ताकत और संगठन शक्ति को क्षीण करने की साजिश करते रहे। इसके कारण भारत को निरंतर सतर्क रहना आवश्यक हो गया। देश की सुरक्षा खतरे में होते हुए देखकर कवि चिंतित थे। ऐसी दुष्ट ताकतों से देश की सुरक्षा के लिए कवि ने लोगों को सतर्क करते हुए यह उद्बोधन किया है।

अनेक शतृ देश पार है खड़े
अनेक शत्रु देश मध्य हैं खड़े
कुशल नहीं बिना हुए कड़े
सजग कृपाण हाथ में लिए रहो। (10)

कवि श्री बच्चन ने अपनी कविताओं के द्वारा जहां राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता का संचार किया, वहीं देश की दुस्थितिं पर अपना दुख भी प्रकट किया है। अकाल, गरीबी, भुखमरी से दिनोंदिन बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार, महंगाई, अनैतिक व्यवहार, मूल्य विघटन की स्थितियां और दिन व दिन क्षीण होता जा रहा सामांय जनता का आत्मविश्वास और आत्मिक

शक्ति से हुई देश की दुस्थिति पर कवि व्यथित थे। भारत की इस विकराल स्थिति पर कवि ने लिखा है :

साधन के फल भोगने-संजोने की वेला
भूखी, नंगी जनता गरीब की अवहेला
वह दिन-दिन भारी ऋणग्रस्त
दुर्दिन, अकाल महंगाई से
संत्रस्त पस्त
अधिकारी, व्यापारी, विचलित लोभी
भ्रष्टाचार मस्त
कर्तव्यमूढ़
आशाविहीन
संपूर्ण आत्मविश्वास-रिक्त
नव दृष्टि रहित
उत्साह क्षीण
उत्साह क्षीण
सब विधि वंचित
कुंठा कवलित भारत समस्त। (11)

कवि ने बंगाल में पड़ा अकाल और उससे पीड़ित जनता की तीव्र व्यथा को देखकर तिलमिला उठे। उनकी यह पीड़ा ''बंगाल का काल'' कविता के रूप में फूट पड़ी। सन् 1943 में बंगाल में पड़े अकाल में बंगाल की जनता को भूखो मरते देखकर कवि विचलित हो गए। बंगाल के लोगों की दुस्थिति पर कवि का कण्ठ गद्गद हो उठा। उनके कण्ठ से शब्द नहीं निकले। दुखी मन से उन्होंने गद्गद स्वर सें राष्ट्र गीत का आलाप किया :

वही बंगाल
देख जिसे पुलकित नेत्रों से भरे कंठ से
गद्गद स्वर से
कवि ने गाया राष्ट्र गान कह
वन्देमातरम,
सुजलाम, सुफलाम मलयजशीतलाम
सस्यश्यामलायम मातरम्। (12)

इस तरह कवि ने राष्ट्रीय भावना को अपनी कविता का विषय बनाकर देश की विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। श्री बच्चन जी ने अपनी कविताओं के द्वारा स्वतंत्रता का स्वागत कर नई जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए देश की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य होने की बात को याद दिलाया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन घटनाओं और तथ्यों को भावपरक रूप प्रदान कर सामयिकता के मोह से रहित शाश्वत मूल्यों का प्रतिपादन करना इनके राष्ट्रीय प्रेम की विशेषता रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण श्री बच्चन जी को हिंदी साहित्य जगत में अपना अलग स्थान प्राप्त हुआ।

संदर्भ सूची

1. सूत की माला, पृष्ठ सं. 172, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, बच्चन, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 2011
2. उभरते प्रतिमानों के रूप (जिप्सी), पृ. 328, बच्चन रचनावली-3, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1983
3. धार के इधर उधर (देश के कवियों से) पृ. 162, बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
4. त्रिभंगिमा (स्वागत गान) पृ. 506, बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
5. सूत की माला, पृष्ठ सं. 501, बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
6. धार के इधर उधर (आजाद हिंदुस्तान का अह्वान) पृ. 151, बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
7. धार के इधर उधर (देश विभाजन-1) पृ. 158 बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
8. मधुशाला, पृ. 52-53 बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
9. त्रिभंगिमा (स्वागत गान) पृ. 406, बच्चन रचनावली, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
10. धार के इधर उधर (देश के युवकों से) पृ. 160 बच्चन रचनावली-2, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1987
11. कटती प्रतिमाओं का, पृष्ठ 423, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, बच्चन, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 2001
12. बंगाल का काल, पृ. 22, बच्चन, राजपाल प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1964

विपणन तकनीक : बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में

–हरीशचंद्र अग्रवाल*

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य

भारत में बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ 2 जून, 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के साथ हुआ। दो सदियों की दीर्घ यात्रा तय करते हुए अनेक प्रक्रियागत आर्थिक तथा व्यावसायिक परिवर्तनों को संजोये हुए बैंकिंग व्यवसाय कार्यरत है। आजादी के पश्चात् दो दशकों तक तो धनाड्यों एवम् वृहदस्तर के उद्योगों हेतु ही बैंकिंग व्यवस्था प्रयुक्त हुई। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापक स्वरूप में विकसित होकर सार्वजनिक क्रियाकलापों को सम्पादित करते हुए सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया और राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहभागिता परिष्कृत हुई। आर्थिक क्षितिज में सेवादायी उद्योग बैंकिंग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहक है। विद्यमान घड़ी में इसमें अभूतपूर्व जीवंतता दृष्टिगत हो रही है। गत शताब्दी के नौवें दशक तक अर्थात् सरकारीकरण के पश्चात् दो दशकों तक संकीर्ण बैंकिंग के अंतर्गत सर्वथा सुरक्षित रहते हुए कार्पोरेट बैंकिंग या वृहदोद्योग चलाने हेतु ही बैंक कारोबार का उपक्रम करते थे, लेकिन दसवें दशक से संपूर्ण बैंकिंग में परिवर्तनों का दौर प्रारंभ होकर निरंतर यह जारी है। 1991 से आर्थिक उदारीकरण एवम् निजीकरण के साथ नए युग का सूत्रपात हुआ। मुक्त अर्थव्यवस्था के माहौल में क्रांतिकारी विस्मयजनक आर्थिक गतिविधियों का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि पूर्वी कार्पोरेट/संस्थागत बैंकिंग सीमित दायरे की थी, साथ ही उसमें अनर्जक आस्तियां बढ़ते पैमाने की जारी होने से लाभप्रदत्ता प्रतिकूल परिणामकारक हो रही थी। देश की आर्थिक जर्जरावस्था से संसद बौखला उठी। अतएव विश्वव्यापीकरण की अवधारणा आर्थिक क्षितिज में अपरिहार्य हुई। ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग/फुटकर बैंकिंग को महत्वपूर्ण व संयोगिक समझा गया क्योंकि यह ग्राहकाधार बढ़ाकर कम जोखिम की संभावना वाली अवधारण है। इसी सूझबूझ के मद्देनजर आज उपभोक्तावाद के विकासानुरूप बैंकिंग परिवर्तित स्वरूप में सेवारत है।

फिलहाल कार्पोरेट/संस्थागत ग्राहकों की बैंकों पर निर्भरता कम हो रही है क्योंकि वे शेयर/ऋणपत्र/आवधिक बांड आदि जारी करके सीधे शेयर बाजार से निधियां जुटाते हैं। वर्तमान में युक्तिसंगत तथा समयोचित प्रतीत होते हुए लघु उद्योगों व खुदरा व्यवसाय क्षेत्र की ओर बैंकिंग उद्योग आकृष्ट हो रहा है। सार्वजनिक बैंक आर्थिक क्षितिज में वाणिज्यिक तो कहलाए लेकिन वाणिज्यिक दृष्टिकोण जल्दी नहीं अपनाया। आज की बैंकिंग आर्थिक सुधारजनित बैंकिंग है, जिसमें ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक की अपेक्षाओं को महत्वपूर्ण समझकर मशीनीकरण हुआ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात और अनर्जक आस्तियों आदि के लिए व्यापक मानदण्ड तैयार किए गए, जिससे लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंक कार्यशैली संपूर्णत: ग्राहकोन्मुखी बनाकर बैंकिंग प्रणाली की परिचालनगत स्वायतता पर विशेष ध्यान दिया गया। 1997 में नरसिंहम् समिति की द्वितीय रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के आर्थिक सुधारों के संकेत बताए गए जिसमें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण हेतु प्रद्योगिकी सुधार, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा और परिचालनगत दक्षता पर खास ध्यान दिया गया जिससे बैंकिंग प्रणाली का परिदृश्य तत्पर रूपांतरण तथा विस्मयकारी बदलावों का साक्षी बनकर सामने आया जिससे कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में सैटेलाईट, टेलिकॉम, नेटवर्क द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान घड़ी में बैंकिंग के खास बिंदु अग्रलिखित हैं :

1. संयुक्त परिवारों के विघटन और मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्यावृद्धि आर्थिक विकास के कारण तीव्रता से हुई जिससे देश में उपभोक्तावाद जल्दी फैला। परिणामत: खुदरा ऋणों की मांग बढ़ी और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बैंकों

*शिव कृपा भवन, वानखड़े नगर, डाबकी रोड, आकोला (विदर्भ), महाराष्ट्र-444002

की ग्राहक सेवा सुधरी है। ब्याज दरें घटने से मध्यमवर्गीय लोग आवास ऋण तथा उपभोक्ता ऋण की ओर आकृष्ट हुए।

2. भारत में ब्याज दरों में लगातार कमी के कारण बैंकों में ब्याज फैलाव में कमी होने से बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव बढ़ रहा है। अतएव बैंक कम जोखिम वाले तथा लाभप्रदता बढ़ाने वाले क्षेत्र तलाशने लगे और इस परिप्रेक्ष्य में फुटकर बैंकिंग आदर्श क्षेत्र सिद्ध हो रहा है।

3. नौकरीपेशा वर्ग के बढ़ते वेतनमानों से बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रयशक्ति, प्रौद्योगिकी में हुए नवोन्मेष तथा कम ब्याज दर प्रणाली जैसे अन्य कारकों ने भी चिल्लर बैंकिंग में योगदान दिया।

4. जनबैंकिंग के तहत खुदरा ऋणावंटन में अनर्जक आस्ति में परिवर्तित होने की संभावनाएं कम होती हैं। थोक बैंक के अंतर्गत एक बड़े कार्पोरेट ग्राहक द्वारा ऋण न चुकाने पर बैंक को बहुत बड़ा नुकसान होता है। यदि यही राशि फुटकर बैंकिंग के अंतर्गत अनेक ग्राहकों को ऋणावंटनार्थ, प्रयुक्त हो तो इस संपूर्ण राशि का एक साथ पुनर्भुगतान बंद नहीं होगा।

5. चिल्लर बैंकिंग द्वारा बैंक अपनी अनर्जक आस्तियां काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं जिससे लाभप्रदता बढ़ सकती है। फुटकर बैंकिंग द्वारा बैंकों को नए ऋणी बाजार मिले हैं। इससे आय बढ़ सकती है। विद्यमान बैंकिंग में अपेक्षाकृत जोखिम की संभावना कम होने के साथ इनके लगातार निरीक्षण एवम् पर्यवेक्षण की भी अधिक जरूरत नहीं रहती है।

उपरोल्लेखित कारक आज बैंकिंग परिवेश में गत चंद वर्षों में ही क्रियाशील होते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। यही वर्तमान घड़ी के बैंकिंग का सत्यचित्रण है जिसने बैंकों को नई प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुस्थिति में उपयुक्त योग्य विपणन तकनीक अपनाने हेतु बाध्य किया है। विपणन रणनीति की अहमियतता महसूस हुई।

विपणन क्या है?—विपणन एक आधुनिक तकनीक है जिसका मूलाधार ग्राहक है। यद्यपि विपणन शब्द पहले से ही प्रचलित है किंतु आज ग्राहकों की जरूरत और अपेक्षाओं को समझना तथा उनकी पूर्ति करना ही विपणन है। आर्थिक जगत में व्याप्त भयंकर प्रतिस्पर्धा के दौर में विपणन एक घटना न होकर एक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ तो होता है किंतु कभी अंत नहीं होता है। इसमें सुधार कर सकते हैं या इसे परिष्कृत किया जा सकता है।

प्रभावी विपणन का मुख्य आधार ग्राहक की अपेक्षाओं को समझकर उनका सम्मान करते हुए उचित जरूरतों की पूर्ति हेतु व्यवस्था परिवर्तन करके ग्राहकों को संतुष्ट रखना माना गया है। बैंकिंग व्यवसाय के दो रूप-विपणन व उत्पादन एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि विपणन के लिए उत्पादों का होना एवं उत्पादन के लिए विपणन का होना आवश्यक है। विपणन एक वृहद संकल्पना है तथा विक्रय उसका एक अंग मात्र है क्योंकि विक्रय प्रक्रिया किसी वस्तु के उत्पादन पश्चात् शुरु होती है जबकि विपणन की प्रक्रिया वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन पूर्व ही शुरु होकर वस्तु विक्रय पश्चात् भी जारी रहती है।

बैंक विपणन क्या है?—बैंकों में दो दशकों पूर्व तक बैंक विपणन का सिलसिला बिल्कुल नहीं था। बैंकों में विपणन केवल जमा पखवाड़ों तक सीमित था। विगत सात-आठ वर्षों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों की तर्ज पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने विपणन को जोर-शोर से अपनाया है जो कि समयोचित है। सभी बैंकों ने महसूस किया है कि सर्वतोमुखी परिवर्तन के दौर में विपणन बिना प्रगति असंभव है। बैंक विपणन वह संघठनात्मक तकनीक है जिसमें साधनों और सेवाओं का प्रबन्ध ऐसे किया जाता है जिससे ग्राहक संतुष्ट होवें एवम् बैंक के लक्ष्य भी हासिल होवें। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के अनुसार बैंक विपणन एक समग्र कार्य है, जो कि बैंक को निर्देश देता है कि वे अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों से संबंधित सेवा, अपने प्रतियोगियों से अधिक दक्षतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से प्रदान करके संतुष्ट करें।

ऐतिहासिक रूप में विश्वभर में बैंकों का विकास संरक्षित वातावरण में हुआ है। ब्रिटिश बैंकों की ऊंची इमारतें सामान्य जनता में भय और विस्मय भरने के इरादे से ही मूल रूप में लाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उदारीकरण एवम् तदोपरांत बैंकों में प्रतिस्पर्धा भी 80 के दशक की शुरुआत में आरंभ हुई थी। भारत में भी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में खाता होना प्रतिष्ठा और गर्व का चिन्ह माना जाता था। काफी अवधि तक बैंकिंग विक्रेता का बाजार था। इस परिप्रेक्ष्य में विपणन पूर्वाभिमुखी एवम् ग्राहक पर ध्यान देना अधिकांश बैंकों के लिए परकीय विचार के समान था। 1991 में शुरु हुए उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण ने और बाद में वित्तीय सुधारों ने भारतीय बैंकिंग की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य किया है।

4202 HA/12—6A

बैंकिंग सेवा उद्योग है जो न केवल पारंपरिक रूप से जमा व ऋण सेवाएं प्रदान करता है बल्कि नई-नई गैर पारम्परिक सेवाओं का विकास कर रहा है। समयानुकूल वांछित फुटकर बैंकिंग के आकर्षक व्यवसाय को अपने बहियों में लाने हेतु बैंकों को विपणन कार्य करना अत्यावश्यक है क्योंकि आज वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में बैंकों की निरंतरता एवम् सफलता हेतु ग्राहकों की संतुष्टि सर्वाधिक जरूरी और महत्वपूर्ण तत्व है। मौजूदा हालातों में बैंकों में विपणन का अर्थ है–मानवीय जरूरतों की पहचान करना एवम् उपभोक्ताओं की विशिष्ट रुचि और जरूरतों के अनुरूप वस्तु एवम् सेवाओं (उत्पाद) को उपलब्ध कराना। ऐसे में बैंक विपणन एक ऐसी आवश्यक तकनीक है जिसके द्वारा ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के साथ संस्था के लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। बैंक विपणन द्वारा जहां एक ओर संस्था के संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, वहीं संस्था-छवि मुखरित होकर साख भी बढ़ाती है। वर्तमान बैंकिंग का मूलमंत्र कुशल विपणन ही है। पुस्तक ''बैंकिंग इन द न्यू मिलेनियम'' में उल्लेखित है कि ए.टी.एम. ने किसी भी समय बैंकिंग का मार्ग खोल दिया है। सेटेलाईट और टेलिकॉम नेटवर्क ने किसी भी स्थान पर बैंकिंग को संभव किया है और अब दौर शुरु हुआ है कि जब किसी भी प्रकार की बैंकिंग संपूर्ण व्यवस्था का अभिन्न अंग बनने वाली है। बदलते आर्थिक परिदृश्य, उभरते बाजार एवं उनमें पैदा होती चुनौतियों और अवसर वितरण के लिए चैनलों, बढ़ती स्पर्धाओं ने बैंकों को बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु गहन विपणन प्रयास की जरूरत का एहसास करा दिया है। अब तो अधिक स्वस्थ सुदृढ़ ही बाजार में स्थायित्व पा सकता है। माननीय वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने कहा था–आज हमारी सरकार और बैंक दोनों 4सी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं Competetion (स्पर्धा), Credit (ऋण), Customer (ग्राहक) और Control (नियंत्रण)।

अब तो अपने लक्ष्यों को हासिल करने हेतु चुस्त और लचीला रवैया वांछित है क्योंकि कल हासिल की गई सफलता भविष्य की जमीन नहीं है। आमतौर से बाजार में उत्पाद की सेलिंग को ही विपणन समझ लिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। प्रोफेसर टी. लेविट की मान्यता है कि बिक्री का अर्थ है अपने उत्पाद के लिए ग्राहक की तलाश करना, जबकि विपणन का आशय यह है कि आपके पास ऐसे उत्पाद हैं जिनकी मांग ग्राहक करते हैं। इसलिए बाजार शक्तियों द्वारा संचालित बैंकों के पास ऐसे ही उत्पाद होते हैं जो लक्ष्य बाजार की जरूरतों के अनुरूप होते हैं।

विपणन के उद्देश्य–विपणन के प्रमुख दो उद्देश्य होते हैं, अस्तु,

अ. सामान्य विपणन उद्देश्य–इसमें बाजार में अंश बढ़ाना, लाभार्जन तथा कारोबार में वृद्धि करना शामिल है। इसमें निवेश-प्रतिफल, लाभ और नगदी-प्रवाह पर ध्यान देना परमावश्यक होता हैं इसे वित्तीय उद्देश्य भी कहते हैं।

ब. परिचालनगत उद्देश्य–इसमें शाखास्तर पर कारोबार बढ़ाना, नवोन्मेषी बाजार प्रथाएं अपनाना, जमा राशियों का स्प्रेड, जमा राशियों पर दबाव तथा अर्जक और अनर्जक आस्तियों पर ध्यान देना जरूरी होता है।

बैंकिंग सेवा और उत्पाद के विपणन हेतु अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए अन्य सेवा प्रदाताओं से स्वयं की तुलना करने के प्रयोजन से अग्रलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना वांछित है–

बाजार–ग्राहक, उत्पाद, वितरण चैनल

संसाधन–पूंजी, मानव संसाधन, सूचना/जानकारी

संरचना–सूचना प्रौद्योगिकी, संगठन, अभिशासन

प्रक्रिया–परिचालन, विपणन, जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण

विपणन के घटक–वर्तमान बैंकिंग परिवेश में व्याप्त गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मजबूती भरा अस्तित्व बनाए रखकर टिकने और विपणन को प्रभावी बनाने के लिए विपणन घटक अग्रलिखित हो सकते हैं–

1. बैंकों के लिए बाजार का अभिनिर्धारण
2. विपणन योजना और रणनीति
3. सेवाओं की उत्कृष्टता, उत्पादों का श्रेष्ठतम विकल्प
4. उन्नत व अत्याधुनिक प्रचलित प्रौद्योगिकी की महत्तम प्रयुक्तता
5. स्टॉफ में उत्तम सेवादायी भावना व व्यावहारिक मधुरता
6. बाजार सूचना प्रणाली
7. सूचना प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित
8. समय की प्रतिबद्धता
9. उत्पाद, प्रचार, प्रसार नीति
10. कीमत निर्धारण स्थानन रणनीति

4202 HA/12—6B

11. अन्य से तुलना और कड़ी निगाहें

12. ग्राहकों का स्वरूप

विपणन के साधन–

भारतीय बैंकिंग के लिए विस्तृत बाजार है जिसमें विपणन को प्रभावी बनाने के विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ती है जो अग्रेलिखित चार चैनल हो सकते हैं–

(अ) प्रथम चैनल (बैंक शाखा)–शाखा में रहते हुए भी उत्तम विपणन करना संभव है। प्रभावी शाखा विपणन हेतु कुछ अधोलिखित शर्तें परमावश्यक हैं–

(1) बैंक परिसर स्वच्छ एवम् आकर्षक हो

(2) स्टॉफ उच्च तकनीक तथा उत्पाद-ज्ञान से निपुण हो

(3) शाखा काउंटर पर योजनाओं व उत्पादों संबंधी पेंफलेट्स उपलब्ध हों।

(4) शाखा के बाहर उत्पादों के पोस्टर और बैनर लगाने चाहिए।

(5) तकनीकाधारित बैंकिंग में दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सेवा तथा ग्राहकोन्मुखी परामर्श से विपणन बढ़िया हो सकती है।

शाखा विपणन करने के लिए स्टॉफ में भी रुची व रुझानपूर्ण मनोवृत्ती के साथ निम्नलिखित बातें होना वांछित है–

(1) स्टॉफ में बैंक के प्रति वफादारी हो

(2) ग्राहकोन्मुखी सेवा प्रदान करनी चाहिए।

(3) ग्रहक की अपेक्षाओं तथा रुचियों को समझने की पकड़ हो

(4) स्टॉफ में समय प्रतिबद्धता अनिवार्य हो

(5) उत्पादों/सेवाओं का ज्ञान संपूर्णत: हो जिससे ग्राहक को समझाने में सटीक हो

(6) व्यावहारिक शिष्टता और मधुरता समाई हो

उपर्युक्त सब बातों के साथ शाखा में ही उत्कृष्ट स्तर का विपणन किया जा सकता है।

(ब) द्वितीय चैनल–(व्यक्तिगत संपर्क)–वर्तमान बैंकिंग परिवेश में विपणन का यह समयोचित ढंग हैं व्यक्तिगत संपर्क द्वारा ग्राहकों तक बैंकों के उत्पादों की जानकारी कई रूप से दी जा सकती है–यथा, (1) स्टॉल लगाकर-बैंक उत्पाद के विपणन के लिए किसी विशेष स्थान पर स्टॉल लगाकर व्यक्तिगत (उत्पाद की) जानकारी दे सकते हैं। यह विपणन का अच्छा माध्यम सिद्ध हो सकता है–स्टॉल विभिन्न स्थानों पर लगा सकते हैं–जैसे

(1) बैनर, पोस्टर, इश्तेहार, टी.वी. रेडियो का सहारा लेते हुए सीधे सड़कों पर

(2) गली कूंचों में, नुक्कड़ पर, कॉलोनी गेट पर

(3) शहर के किसी भीड़ वाले चौराहे पर

(4) सामायिक प्रदर्शनियों या मेलों में

(5) साप्ताहिक या पाक्षिक लगने वाले बाजार में

(6) किसी विशेष मुख्य समारोह में

इन सब बातों को पूरा करने से पूर्व स्टॉफ में अग्रेलिखित बातों का होना जरूरी है–

(1) अपेक्षित कार्यकुशलता और गुणवत्ता

(2) जनसंपर्क भावना विकसित करना

(3) ग्राहकों की अपेक्षओं को समझने की पकड़

(4) परस्पर लाभ की अवधारणा के आधार पर परामर्श

(5) उत्पादों/सेवाओं की पूर्ण जानकारी देने की दक्षता

(ग) तृतीय चैनल–(इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया)–आज ई-बैंकिंग की ओर बढ़ते हुए अपनी सेवाओं/उत्पादों के विपणनार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सहारा उपयुक्त सिद्ध हो सकता हैं प्रभावशाली विज्ञापन बनवाकर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम पर देकर दूर-दराज के गांवों और शहरों तक पहुंचाया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विपणन हेतु दूरदर्शन, केबल टी.वी., रेडियो, एम.एम. बैंड सिनेमा घर, एस.एम.एस. और नेट तथा वेब आदि का भरपूर उपयोग कर रही हैं।

(घ) चतुर्थ चैनल–(प्रिंट मीडिया)–यह विपणन का वर्तमान दौर में सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसके तीन माध्यम बन सकते हैं–जैसे

(1) बड़े आकार के पोस्टर या बैनर–बैंक सेवाओं/उत्पादों के वृहदाकार पोस्टर और बैनर बनाकर बस अड्डों, होटलों, किसी संस्था के मुख्य द्वारों, धार्मिक स्थलों के नुक्कड़ पर लगा सकती है। विपणन का यह अच्छा जरिया सिद्ध हो गया है।

(2) समाचार पत्र–दैनिक समाचार पत्रों, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं आदि में सेवाओं/उत्पादों का

प्रभावी ढंग का विज्ञापन देना विपणन का बेहतर माध्यम है।

(3) होर्डिंग द्वारा–बैंक अपने उत्पाद/सेवा की जानकारी किसी विशेष स्थान अथवा चौराहों पर बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर जनता को दे सकते हैं। विपणन का एक अच्छा हिस्सा यह भी है।

बैंकिंग उत्पाद और ग्रामीण विपणन–

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था से दुगुनी तेजी से विकसित हो रही है परंतु उत्पाद एवम् सेवाओं के विपणनकर्ता ग्रामीण विपणन की चुनौतियों तथा अवसरों से लाभ उठाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। क्योंकि शहरी मानसिकता को ग्रामीण परिप्रेक्ष के अनुरूप ढालना असंभव है। ग्रामीण बाजार में असीमित अवसर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक शोध परिशद् (NCAER) के अनुसार ग्रामीण भारत देश का लगभग 41 प्रतिशत धन यहां से आता है और इस क्षेत्र में सन् 2010 तक मध्यआयवर्ग एवम् उच्च आयवर्ग परिवारों की संख्या ग्यारह करोड़ से अधिक होने को है किंतु इस विशाल ग्रामीण उपभोक्ता खंड के दोहनार्थ इस वर्ग की विशिष्टयाएं समझना अनिवार्य है। प्रतिव्यक्ति आय, भंडारण, परिवहन तथा संचार की अपर्याप्त सुविधाएं और सशक्त सांस्कृतिक पूर्वाग्रह ग्रामीण बाजार की अनोखी विशिष्टताएं हैं अत:एव इसके लिए तैयार किए गए उत्पाद/सेवाओं की आकृति/ मात्रा, पैकेजिंग एवम् मूल्य बाजारानुरूप होना वांछित है। ग्रामीण बाजारों में ब्रांड परिचय को विकसित करते समय प्रतीकों एवं रंगविन्यास पर अधिक जोर देना परमावश्यक है। विपणनकर्ता को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उपभोक्ता को उसके पैसे का पूरा मूल्य प्राप्त हो। ग्रामीण जनता की आय में भारी अंतर एक चुनौति होने के साथ-साथ अनुकूल अवसर भी प्रदान करता है। सेवा मूल्यों में कमी लाने के लिए प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। ग्रामीण विपणन में ऐसे नवोन्मेषपूर्ण एवं संदर्भ सापेक्षित व्यवसाय माडेल डिजायन करना आवश्यक है जो सस्ते प्रभावशाली और स्थानीय जरूरतों की पूर्ति करने वाले तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके पैसों का पूरा मूल्य दिलाए। अत: कम लागत के समाधान प्रस्तुत करने में तकनीक के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी बाजार की कार्यक्षमताओं को बेहद बिखरे हुए ग्रामीण बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए लागत कम करने हेतु तकनीक का नवोन्मेषपूर्ण प्रयोग आवश्यक है। कृषिप्रधान देश भारत का आधारभूत ढांचा ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं की उपस्थिति नगण्य रही है। विपणन वह हथियार है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सकता है। ग्रामीण उपभोक्ता की पसंद–नापंसद, उसका व्यवहार और गतिविधि की बेहतर समझ और विश्लेषण ही इस बाजार में सफलता की कुंजी है। वर्तमान ग्रामीण उपभोक्ता जागरूक और अत्याधिक वफादार है जिसे एक बार आ जाने पर बनाए रखना आसान होता है। ग्रामीण विपणन ग्राहक की इमानदारी और पुश्तैनी सहज परंपरा का प्रभाव सहजे हुए होता है जिसमें शहरों के समान धोखाधड़ी तथा जालसाजी की गुंजाईश कतई नहीं होती है। ग्रामीण उपभोक्ता उस बैंक को अधिक पसंद करता है जहां का कर्मचारी उसके बच्चों, परिवार और खेती के बारे में हालात पूछता है। ग्रामीण विपणन में स्थानीय भाषा एवं स्थानीय संस्कृति में मिश्रित सेवा ही उपभोक्ता के दिलों को छू सकती है। संप्रेषण स्थानीय भाषा में होना वांछित होता है। सेवाप्रदाता व्यक्ति का स्थानीय होना भी अहम महत्व रखता हैं मानवीय पहलुओं पर अधिक जोर देना जरूरी है। आक्रामक विपणन रणनीति ग्रामीण विपणन में निरर्थक सिद्ध होती है। स्थानीय कारकों के मद्देनजर ग्राहक की किस्म, आयु, लिंग, उसकी आय, जमीन उर्वरता, फसलचक्र, पट्टाधन, बाजार आदि सभी को ध्यान में रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वित्त सेवा प्रदाता को स्थानीय माहौल का विशेषज्ञ बनकर संयोगित विपणन रणनीति अपनाना युक्तिसंगत व अनुकूल फलदाई होगा। स्थानीय लोकाचरण व मार्केट के रग-रग से वाकिफ होकर बाह्य प्रतिस्पर्धा से उस बाजार में प्रत्येक मामले में अग्रणी रहने में सक्षम स्थानीय व्यक्ति अधिक सफल होना सहज सिद्ध बात है। ग्रामीण विपणन सतही तौर से तो आसान लगता है परंतु यह समझना अत्यावश्यक है कि ग्रामीण उपभोक्ता की जरूरतें अलग हैं और उनका गलत आकलन संस्था के लिए हानिकारक साबित हो सकता है और एक सही कदम सफलता के द्वार खोल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ यह सकारात्मक पहलु है कि वे ग्रामीण क्षेत्र में पहले से उपस्थित हैं क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ता सरकारी तंत्र पर अधिक विश्वास करता है। फिलहाल बैंकिंग में प्रत्येक पहलु पर विपणन तकनीक की भूमिका अहम है। ■

पत्रकारिता

दलितोद्धार और हिंदी पत्रकारिता

–डॉ. पवन कुमार शर्मा*

पत्रकारिता जन-जागृति एवं सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम है जो समाज के असंख्य लोगों तक अपनी प्रस्थापित विचारधारा को पहुंचाने का कार्य समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रभावी साधनों से करती है। किंतु इसके लिए पत्रकारिता को निष्पक्ष स्वतंत्रता चाहिए एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता ने दलितों पर होने वाले जुल्म-अत्याचार की दास्तान सुनाई और महिलाओं के चूड़ियों वाले हाथ लहराने की स्थिति भी बनाई। हिंदी पत्रकारिता केवल भारत में ही आम आदमी तक नहीं पहुंची बल्कि विदेशों में भी इसने अपना सिक्का जमाया है। पत्रकारिता वस्तुत: समाचारों के संप्रेषण का माध्यम है। समाज में घटित हो रही उन घटनाओं को जिनका समाज पर असर पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। समाज के समक्ष सही संदर्भों में प्रस्तुत करना ही तो पत्रकारिता का लक्ष्य है और ऐसा करने में पत्रकार अखबार अथवा पत्रकारिता माध्यम बन जाते हैं।

पत्रकारिता साहित्य की एक अविभाज्य विधा है। किसी पत्रिका अथवा पत्र का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक विकृतियों पर करारी चोट कर राष्ट्र को एक नवीन दिशा प्रदान करना है। साहित्य का उद्देश्य भी इससे परे नहीं होता।

हिंदी पत्रकारिता में दलित चेतना का प्रश्न पुरातन काल से भारतीय दलित समाज और शासन में आज तक विद्यमान है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के समाज-सुधारकों ने जो दलित समुदाय के थे और दलितों की पीड़ा से अनुभूत थे कुछ समाचार पत्रों का संपादन किया और दलितों में वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर उन्हें एकत्र करने की दिशा में अग्रसर हुए। इन्हीं प्रयासों की शृंखला में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सन् 1868 में 'सत्यसोधक समाज' की स्थापना की। दलितों के लिए पानी का होज खोला और ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त करने का प्रयास किया। यह घटना अत्यधिक प्रभावशाली एवं क्रांतिकारी कदम थां।

जनवरी, 1877 में कृष्ण राव मालेकर ने 'दीन-बंधु' नामक समाचार पत्र का संपादन शुरु किया। सन् 1910 में इसी क्रम में मुकंदराव पाटिल के संपादन में 'दीन-बधु' प्रकाशित हुआ। जुलाई 1917 में वालचन्द्र कोठारी ने 'जागरूक', 25 अक्तूबर, अक्तूबर 1917 को श्रीपदराव शिंदे ने 'जागृति' का प्रकाशन आरंभ किया।

इसी क्रम में 'विजयो मराठा' दिसम्बर 1919 में प्रकाशित हुई। ये अधिकांश पत्रिकाएं महाराष्ट्र में दलित चेतना में मील का पत्थर साबित हुई।

प्रथम दलित पत्रकार

गोपाल बाबा बलगकर एक महर जाति के भारत के प्रथम दलित पत्रकार थे। ये महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रावदक गांव में पैदा हुए थे। ये ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। इनके अधिकांश लेख 'दीन-बंधु', 'दीन मित्र' एवं 'शेतक यात्र केवारी' आदि पत्रों में छपते थे।

शिवराम जावना कांवलों पराधीन भारत के प्रथम दलित संपादक थे। इन्होंने 1903 में सांसबड़े नामक स्थान पर दलितों को प्रसादिक 'सोमवंशीय हित चिंतक मित्र समाज' नामक संस्था की स्थापना कर दलितोत्थान चेतना की लहर को गति प्रदान की। इस पत्र सोमवंशीय के केल 24 अंक निकले। यह मूल रूप से मराठी भाषा का पत्र था।

किसन फागुणी बंसोड (18 फरवरी 1879) दलित चेतना के प्रणेताओं में महत्वपूर्ण हैं। ये जाति से महर थे। इनका जन्म नागपुर के पास महोपा गाव में हुआ था। इन्होंने 1903 में 'संमार्ग निराश्रित समाज' नामक संस्था की स्थापना की। 'हिंदू समाज' सन् 1910 में, 'निराश्रित हिंदु नागरिक'

*सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, मलोट।

4202 HA/12—7A

1913 में, बिटाल सिंह वंसक, 1918 में मंजूर पत्रिका नामक समाचार पत्र निकाले। आर्थिक अभावों के कारण ये पत्र वंद हो गए। वुबोध पत्रिका, केसरी, मुंबई वैभव, ज्ञान प्रकाश आदि पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख लिखते रहे और दलितों पर हो रहे अत्याचार, अन्याय एवं शोषण के वि/द्ध अपनी आवाज को बुलंद किया।

इस दिशा में डॉ. बी. आर. अंबेडकर का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉ. अम्बेडकर ने दलित चेतना को सशक्त एवं धारदार बनाने के लिए पत्रकारिता का माध्यम चुना। फलस्वरूप 'मूक नायक' 1920, 'बहिष्कृत भारत' 1927 में, 'समता' 1930 में, 'जनता एवं प्रबुद्ध भारत' 1956 में आदि पत्रों का संपादन किया है। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अम्बेडकर जी ने दलित समाज की समस्याओं को उठाया तथा अपने दलित आंदोलनों से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। अम्बेडकर की निर्भीक पत्रकारिता दलित साहित्य लेखन की परम्परा में दलित विमर्श चेतना की प्रेरणा स्रोत बनी।

1968 में अस्मितादर्श (त्रैमासिक) साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन औरंगाबाद महाराष्ट्र से हुआ। बापूराव पाखिड्डे तथा गुरुनारायण सुर्वे ने इसे दलित साहित्य की प्रथम प्रत्रिका कहा है।

वर्तमान में अनेक दलित पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं तथा अनेक स्मारिकाएं देश भर से निकाली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 60 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।

'मूक भारत' 1978 में प्रकाशित एक वर्ष पश्चात् बंद हो गई।

मोती राम शास्त्री 'दलित चेतना' लखनऊ, राम स्वरूप वर्मा (अर्जक बनारस) आर. कमल (निर्णायक भीम इलाहाबाद) बद्री प्रसाद बाल्मीकानन्द-बाल्मीकि प्रकाश, विमल कीर्ति-अंगुतर

सन् 1900 में बापू श्याम सुंदर दास के संपादन में सरस्वती साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई। 1903 में इस पत्रिका के संपादन का कार्यभार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। इस पत्रिका में प्रथम बार हीरा डोम की भोजपुरी कविता अछूत की शिकायत शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापी थी जो दलित साहित्यकारों के लिए दलित चेतना की प्रथम मार्मिक एवं प्रभावशाली कविता थी।

मराठी साहित्य में दलित चेतना का उदय हुआ। दया पंवार और नामदेव दसाल जैसे रचनाकर्मियों के साहित्य में समाज की मूक धिक्कृत और सदियों से सताई हुई मानवता को नई वाणी मिली। दया पंवार ने लिखा है–

> असंख्य एक लव्यों के काटे गए अंगूठे,
> प्रचण्ड सामर्थ्य से फिर उग रहे हैं,
> अहा तू ही तो क्रांति के अग्रदूत,
> तेरे स्वागत में गूंज उठा जयघोष,
> मुट्ठियां तानकर।

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने इस विषय में कहा था–भारत का पूरा मन सड़ चुका है, लेकिन किया क्या जाए। जो कुछ बदलाव होता है ऊपरी और मुलम्मे वाला। असली मन दबा रहता है और हर ठीक मौके पर उमड़ पड़ता है। राम मनोहर लोहिया स्वयं को कुजात गांधीवादी मानते थे। डॉ अंबेडकर ने भी लोहिया की संघर्षशीलता का मूल्यांकन किया था। लेकिन दोनों महामानव एक दूसरे से मिल नहीं सके।[1]

महात्मा गांधी जी ने हरिजन का प्रकाशन किया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। चिंतक मधु लिम्ये ने लिखा है–

सन् 1919-20 के वर्षों में गांधी नाम की आंधी भारत में छा गई। यह आंधी रास्ते में आई हर चीज को अपने साथ उड़ा ले गई। स्थापित विचार व्यवहार गुट और नेता सब उखड़ गए। बहुत कम लोग इस आंधी के सामने डटे रह सके। गांधीवाद से अप्रभावित चंद लोगों में अंबेडकर और जिन्नाह आते हैं।

अंबेडकर की पत्रकारिता की मंजिल में मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता विशेष पड़ाव थे। प्रबुद्ध भारत अंबेडकर की पत्रकारिता का शिखर बिंदु बन सकता था लेकिन इस पत्र के प्रकाशन से पहले डॉ. अंबेडकर (6 दिसंबर, 1956) निर्वाण को प्राप्त हो गए। दलित पत्रकारिता एवं दलित जनसंघर्ष के लिए अंबेडकर मील स्तंभ की भांति थे।

स्वामी अछूतानन्द उत्तर प्रदेश के दलित नेता थे। इन्होंने 1933 में आदि हिंदू का प्रकाशन किया था। अल्मोड़ा में जन्में हरि प्रसाद कांता ने समता का और लखनऊ से दलित चेतना, गरिमा भारती, दलित लिबरेशन टुडे का प्रकाशन किया।

परिषद संदेश एवं अवंतिका ने नागमय संस्कृति का प्रकाशन दलित पत्रकारिता में अनूठी घटना है। दिल्ली से 'हिमायती', 'दलित महासंघ' की ओर से 'वायस ऑफ बुद्ध' प्रकाशित हो रही थी।

4202 HA/12—7B

बैंगलूर से वी.टी. राजशेखर अंग्रेजी पत्र 'दलित वायस' प्रकाशित हो रहा था। बहुसंख्यक दलित भूखा है। दलित पत्रकारिता ने इन प्रश्नों को छूआ है। प्रेम शंकर की पंक्तियां इसी सूत्र को प्रमाणित करती हैं :–

दलित ज़िंदा जलते रहे,
इधर नारियों से बलात्कार,
चीखती अस्मत की पुकार,
दलित नेताओं की सौदाबाजी,
मंत्री बनने का मोह,
क्या सब मीर जाफर बन गए।[2]

भारत की 70 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है। जिनकी आजीविका का आधार कृषि है। इनमें से भूमिहीनों की संख्या समूचे कृषि तंत्र में 42.4 प्रतिशत है। अधिकांश भूमिहीन दलित वर्ग के हैं। वे सामाजिक उत्पीड़न और शोषण के शिकार हैं। मार्क्सवादी चिंतक और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट नेता बी. टी. रणदिवे ने कहा था–

जब तक सामन्तवाद है, जाति समस्या और दलित समस्या रहेगी। क्रांति का आधार किसी समाज का भौतिक आर्थिक ढांचा होता है। क्रांति उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन का नाम है।[3]

बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सरकार के अथाह प्रयासों के बावजूद 90 प्रतिशत से अधिक आदिवासी अनपढ़ हैं, सो वे समाचार पढ़ने में असमर्थ हैं अतः उनके बारे में जो कहा जाता है या जो लिखा जाता है उससे उनका कोई तादात्मय स्थापित नहीं हो पाता है। आदिवासी इलाकों के एक नहीं अनेक दर्द हैं। समस्त भारत में इसकी जानकारी न के बराबर है। प्रैस की निष्क्रियता ने वहां के हालात को उजागर नहीं होने दिया है। जन से जुड़े लोग स्थानीय स्तर पर समस्याओं के तारनहार हैं। असद्वृतियां अखबारों में स्थान ले रही हैं तो साथ ही जन नायकों को उचित तरजीह दें तभी पत्रकारिता जन आंदोलन का रूप ले सकती है। नारीदेह को पत्रकार जिस बेशर्मी से पेश कर रहे हैं। पहले पत्रकारों पर सत्ता के दलाल होने का आरोप लगाया जाता था अब ऐसा न हो के उन्हें गैरकानूनी धंधों का सूत्रधार भी समझ लिया जाए।

वर्तमान में दलित वर्णन से संबंधित अनेक पत्र-पत्रिकाएं नियमित प्रकाशित हो रही हैं। 'हिमायती' भारतीय दलित साहित्य अकादमी, 'हमदलित' सामाजिक संस्थान, दिल्ली, 'नागमय संस्कृति' उज्जैन से आदि ऐसी ही दलित पत्र पत्रिकाएं हैं जो दलित लेखन एवं दलित विमर्श के सरोकारों से रूबरू होती हैं।

'मांझी' जनता 2000 दलित मीडिया की क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका दलित चेतना के सशक्त मशाल है। यह केवल भारती के संपादन में लखनऊ से प्रकाशित हुई। राजेन्द्र यादव द्वारा संपादित हंस के अनेक अंकों में दलित चेतना एवं चिंतन का स्वरूप उद्घटित हुआ है। डॉ. मही सिंह की साहित्यक पत्रिका, संचेतना है जो स्वातंत्रयोत्तर दलित पीढ़ी की संघर्ष गाथा एवं उनके सोच की प्रतिबद्धता को एक दिशा देने की कोशिश करती है।

साहित्य के विकास में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हजारी बाग बिहार से प्रकाशित युद्धरत आम आदमी (रमनिका गुप्ता) परिषद संदेश, सजग प्रहरी, ग्रीन सत्ता (साप्ताहिक) ऐसे अनेक पत्र हैं जिन्होंने दलित साहित्य चिंतन को अपना वर्ण्य विषय बनाया।

नया पथ जनवरी 1998, पश्यंती जनवरी मार्च 1998, आजकल अप्रैल 1991 एवं अक्तूबर, 1992 के अंक, पत्तल 23 जनवरी, 2000, वर्तमान साहित्य जून 1999 एवं संयुक्तांक मई जून, 2000 के शताब्दी विशेषांक में छपे आलेख संग्रथन (हिंदी विद्यापीठ केरल) पत्रिका एवं वागर्थ अंक 53, जनवरी 1999 आदि में प्रकाशित दलित लेख दलितों में पनपती चेतना के आकर्षक बिंदु हैं।

वर्तमान समय में दलित चिंतन एक विपुल विषय का रूप धारण कर चुका है। सरकार तथा बुद्धिजीवी वर्ग समय-समय पर इस विषय पर चिंतन कर रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन हो चुके हैं। इतना ही नहीं दैनिक आज दैनिक राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक हिंदुस्तान में समय-समय पर प्रकाशित लेख भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 11वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन समारिका 24-25 सितंबर 1995, प्रज्ञा साहित्य पत्रिका का संयुक्तांक सितंबर-दिसंबर 1999 एवं दलित अस्मिता-97 तथा नया मानदण्ड अप्रैल-जून 2000 का दलित साहित्य विशेषांक दलित चेतना के आधारभूत दस्तावेज हैं। सन् 2000 में यू.के. (लंदन) में दलित साहित्य का सम्मेलन दलित चेतना के विकास का पुष्ट प्रमाण है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. 21वीं सदी और पत्रिकारिता–डॉ. अमरेन्द्र कुमार।
2. दलित पत्रकारिता–दशा और दिशा–डॉ. शिव कुमार मिश्र।
3. दलित पत्रकारिता–दशा और दिशा–डॉ. शिव कुमार मिश्र।

कृषि

बाजरा अनुसंधान की उपलब्धियां व अपेक्षाएं

–डा. उमा रघुनाथन*

बाजरा फसल को उगाने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है । 88-90 प्रतिशत क्षेत्रफल और 82 प्रतिशत बाजरा उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है । क्षेत्र विशेष के लिए व्यापक स्तर पर शोध कर बाजरा काश्त की उचित तकनीक व नवीनतम प्रजातियों का विकास किया जा सके इसलिए भारतीय जलवायु के आधार पर दो मुख्य भागों (जोन ''ए'' और जोन ''बी'') में बांटा गया है । जोन ''ए'' (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र) के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश (भिण्ड, मौरैना एवं सीमावर्ती क्षेत्र) तथा पंजाब राज्यों को शामिल किया गया है । राजस्थान, गुजरात, तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों जहां 400 मि.मी. से कम वर्षा होती है जोन 'ए-1' में रखा गया है । जोन 'बी' (दक्षिण मध्य क्षेत्र) में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडू आदि राज्य सम्मिलित है ।

जोन ''ए'' में राजस्थान तथा जोन ''बी'' में महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं जिनमें बाजरा लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्रफल में उगाया जाता है । देश में बाजरा के कुल क्षेत्रफल का 46 प्रतिशत भाग राजस्थान में है अपितु उत्पादन मात्र 30 प्रतिशत यहां से प्राप्त होता है । खरीफ के मौसम में बाजरा अन्न व चारे की एक प्रमुख फसल है । इसे अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में अति शुष्क, कम उपजाऊ व कमजोर (लवणीय, क्षारीय) भूमि में भली प्रकार उगाया जा सकता है । इस फसल की काश्त देश के उन क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहां बारिश के मौसम में वर्षा 200-600 मि.मी. होती है तथा सिंचाई के साधनों की भी कमी होती है ।

सर्वप्रथम इस फसल पर अनुसंधान कार्य, राज्यों के कृषि विभागों ने सन् 1930 में आरम्भ कर देसी या संयुक्त किस्मों की उत्पादकता को बढ़ाने पर ही बल दिया और कुछ उन्नतशील देशी प्रजातियां जैसे अवसारी, ए1/3, जखराना, टी 55, आर.एस.के. तथा एस. 530 आदि का विकास किया गया । इन किस्मों की काश्त सीमित क्षेत्रों में ही हो पाई । बाजरा फसल पर समन्वित शोध सन् 1960 में अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना के अंतर्गत शुरू हुआ और 1965 में प्रथम संकर किस्में तैयार की गई जिनमें एच.बी. 1, एच. बी. 3, एन.एच.बी. 3, बी.जे. 104 तथा बी.के. 560 आदि संकर किस्में बाजरा हरित क्रान्ति की सूत्रधार बनी । समन्वित अनुसंधान प्रयासों से बाजरा की किस्मों की गुणवत्ता व रोगरोधी गुणवत्ता में अभिवृद्धि की गई तथा अधिक उत्पादन हेतु खेती की नई तकनीकों का मानकीकरण हुआ । इसके परिणामस्वरूप बाजरा उत्पादन की द्विगुणित वृद्धि हुई है । अब देश के उन असिंचित क्षेत्रों में जहां अन्य फसलें जैसे धान, ज्वार, कपास आदि उगाना सम्भव नहीं वहां अब किसान पहले से अधिक बाजरा उगाकर, अन्न व चारा प्राप्त कर रहे हैं और बाजरा की खेती एक आवश्यकता बन गई है । इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय शुष्क इलाकों में रहने वाले किसानों के अथक परिश्रम, उचित तकनीक, कारगर कृषि नीति एवं उसकी अनुपालना, खाद-बीज आपूर्ति, विस्तार कार्यकर्ताओं की लगन कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों को दिया जा सकता है । भारत की बढ़ती जनसंख्या (प्रोजेक्शन 2025 : 1330. 2 मिलियन, सेंसस 2001 : 10, 27, 015, 247) को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि शुष्क इलाकों की प्रति एकड़ बाजरा उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया जाए ताकि 72.2 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को अन्न, 30.7 मिलियन, कुक्कुट को दाना तथा 230.02 मिलियन मवेशियों को हरा या सूखा चारा मिल सके । इस कार्य के लिए ग्रामीण किसानों को बाजरा की फसल की काश्त के लिए जागरुक

*तकनीकी सूचना अधिकारी, फसल विज्ञान, कृषि भवन, नई दिल्ली

बनाने की दिशा में प्रयास आवश्यक हैं। पौष्टिकता की दृष्टि से बाजरा के दानों में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में होने के कारण राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा राज्य के लोग सर्दियों में इसे सर्वाधिक रूप से खाते हैं।

शोध उपलब्धियों के फलस्वरूप अनेक संकर व किस्मों का विमोचन किया गया। जोनवार अनुमादित बाजरा संकर व किस्में दर्शायी गयी हैं।

तालिका-1

तीन प्रमुख बाजरा उत्पादन जोन के लिए अनुमोदित बाजरा के संकर व किस्में

जोन	संकर	किस्में
ए 1	जी.एच.बी. 757, एच.एच.बी. 67, इम्प्रूवड, जी.एच.बी. 538, एच.एच.बी. 94, एच.एच.बी. 60, एच.एच.बी. 67, जी.एच.बी. 719.	पूसा संयुक्त 443 (एम पी 443) सी जेड पी 9802, एच सी 20, एच सी 10.
ए सी	पी.एच.बी. 2168, पी.एच.बी. 197, जी.एच.बी. 732, जी एच बी 744, जी.एच.बी. 757, जी.एच.बी. 719, 577, एच.एच.बी. 146, आर एच बी 121, पूसा 415, एच.एच.बी. 68, एच.एच.बी. 60, पूसा 605.	पी सी बी 164, पूसा संयुक्त, 383, जे बी वी 3, पूसा संयुक्त 334, जे बी वी 2, पूसा बाजरी 266, आइ टी पी 8203, आइ सी एम वी 221, राज 171, राज बाजरा चारी 2.
बी	जी के 1051, बी 2301, नन्दी 35, जे बी एच 2, आर एच आर बी एच 8924, (सबूरी), आइ सी आइ एम एच 312.	पी पी सी-6 (परभनी संपदा), ए आइ एम पी 92901 (संमृधि) अन्नतास (ए पी एस-1), आइ सी एम वी 221, आइ सी टी पी 8203, सी ओ 7, आइ सी एम वी 155, राज 171.
संपूर्ण भारत	जी.एच.बी. 558, पूसा 444, पूसा 322, (एम एच 322) आइ सी एम एच 356, एच एच बी 67 पूसा 23	राज 171, राज बाजरा चारी-2, आइ सी टी पी 8203, आइ सी एम वी 221.
ग्रीष्म	जी.एच.बी. 526, जी.एच.बी. 183.	राज 171.
चारा	जी.एच.बी. 15, जी.एच.बी. 235, एफ बी सी 16,	जाईट बाजरा, पी सी बी 15, पी सी बी 141, राज बाजरा चारी 2, ए एफ बी 2, सी ओ 8.

बाजरा की काश्त मुख्यत: असिंचित क्षेत्रों में कम उपजाऊ बंजर भूमि पर ही की जाती है। इस फसल में किसान उर्वरक न के बराबर डालते हैं जिसके फलस्वरूप इसकी उत्पादकता कम है। अभी तक बाजरा में अनुसंधान कार्य तथा प्रजातियों का विकास उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि उपजाऊ भूमि तथा सिंचित क्षेत्रों में बाजरा की और अधिक पैदावार (4.5-5.0 टन प्रति हैक्टर) ली जा सकती हैं। इन क्षेत्रों के लिए बाजरा की ऐसी प्रजातियों का विकास करना आवश्यक है जिनमें उत्पादन क्षमता अधिक हो तथा व्यापारिक रूप से अन्य फसलों से अधिक आमदनी हो। एच.एच बी.-50, एम.एच.-179, जी. एच.बी. 558, जी. एच.बी. 538, एच.एच.बी. 146, सी.ओ. एच. सी यु8, एच.एच.बी. 94 तथा पूसा-23 बाजरा की ऐसी प्रजातियां हैं जो उत्तम भूमि तथा सिंचित क्षेत्रों में अधिक पैदावार देती है।

बाजरा पारम्परिक तौर पर कम लागत की फसल है जिसे अर्ध-शुष्क व शुष्क क्षेत्रों, कम उपजाऊ व कम जल संचय करने वाली भूमि में ही उगाई जाती है तथा इससे कम उत्पादकता व अस्थिर उत्पादन जैसी दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान के खेत की प्रत्यक्ष पैदावार तथा सम्भावित पैदावार (30 क्विंटल प्रति हेक्टर) के अन्तर को अनुसंधान, प्रबन्धकों व उत्पादकों को एकजुट होकर दूर करना होगा।

भारतवर्ष की प्रावृतिक जटिलता के कारण राज्यों में बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने में विभिन्न बाधायें आती हैं। यह बाधायें प्रदेश विशेष के लिए भिन्न-भिन्न हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :

4202 HA/12—8A

जोन "ए"

1. **राजस्थान :** कम उपजाऊ भूमि, बीज व उर्वरक की कम क्रय क्षमता, संकर किस्मों की कम सहभागिता, उन्नत किस्मों का धीमा विस्तार, पौधों की कम संख्या, कमजोर बीज स्थापन, खरपतवार नियन्त्रण न होना, शस्य क्रियाओं के पालन का अभाव व निरन्तर जलशून्यता ।
2. **गुजरात :** कम उपजाऊ भूमि, अनिश्चित तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरा की खेती करना, जोगिया रोग, न्यूनतम सिंचाई, तटीय क्षेत्रों में लवणीय भूमि की समस्या ।
3. **उत्तर प्रदेश :** कम पैदावार देने वाली प्रजातियों का अधिक क्षेत्र में बोना, असिंचित व कम उपजाऊ भूमि में खेती करना, बीजाई में देरी, शस्य क्रियाओं का कम पालन, पौधों की कम संख्या, उर्वरकों का सीमित उपयोग, जोगिया व कांगियारी रोगों पर नियंत्रण न करना ।
4. **हरियाणा :** अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, पौधों की कम संख्या, शस्य क्रियाओं को सही ढंग से न अपनाना, खरपतवार नियंत्रण पर कम ध्यान देना, सीमित उर्वरक एवं सिंचाई का प्रयोग ।
5. **मध्य प्रदेश :** उन्नत व संकर किस्मों के रोग प्रतिरोधी बीजों की अनुपलब्धता, मिश्रित खेती, अपर्याप्त उर्वरकों का प्रयोग, शस्य क्रियाओं का अनुपालन न करना, उपेक्षित सिंचाई, जोगिया व कांगियारी रोग पर नियंत्रण न करना ।

जोन "बी"

1. **महाराष्ट्र :** उन्नत किस्मों का धीमा विस्तार, बहुत कम या बहुत अधिक पौधों की संख्या, उर्वरकों का सीमित उपयोग, अपर्याप्त खरपतवार नियंत्रण, उपेक्षित सिंचाई, जोगिया व चेपा रोगों की रोकथाम न करना ।
2. **कर्नाटक :** उन्नत किस्मों के विस्तार में उपेक्षा, उर्वरकों का न्यूनतम प्रयोग, सीमित खरपतवार नियंत्रण, न्यूनतम सिंचाई, जोगिया रोग पर नियंत्रण न करना ।
3. **आंध्र प्रदेश :** उन्नत किस्मों के विस्तार में उपेक्षा, उर्वरकों का न्यूनतम प्रयोग, सीमित खरपतवार नियंत्रण, न्यूनतम सिंचाई, जोगिया रोग पर नियंत्रण न करना ।
4. **तमिलनाडू :** उन्नत किस्मों का धीमा विस्तार, उर्वरकों का सीमित प्रयोग, सीमित सिंचाई, जोगिया रोग पर नियंत्रण न करना ।

समन्वित अनुसंधान प्रयासों से बाजरा में संकर और संयुक्त प्रजातियों का विकास किया जाता है । संकर प्रजातियां मादा व नर के संकरण से तैयार की जाती हैं । इनका बीज प्रति वर्ष नया ही बोना होता है जबकि संयुक्त प्रजातियों का बीज 2-3 साल तक प्रयोग में लाया जा सकता है । इन प्रजातियों को देसी किस्म के नाम से अधिक जाना जाता है । यह प्रजातियां आमतौर पर पहले से ही प्राप्त प्रजातियों या अन्तःप्रजातियों के चुनाव और सुधार करने पर विकसित की जाती हैं ।

बाजरा में सर्वप्रथम संकर किस्म 1965 में विकसित की गई और अब तक लगभग 105 संकर प्रजातियों का विकास हो चुका है लेकिन यह सभी संकर प्रजातियां लगभग एक ही स्रोत (टिपट 23ए) से ही तैयार की गई हैं । यद्यपि इस स्रोत का जोगिया रोग से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी संकर प्रजातियों में इस रोग का समय विशेष पर बहुत खतरनाक प्रकोप होता रहा है । बाजरा वैज्ञानिकों ने संकर किस्मों के मादा व नर में अनुवांशिक भिन्नता लाकर इस रोग पर नियंत्रण पाने में प्रयत्न किए हैं ।

भारत के किसान अपने खेतों पर अक्सर सुविधा अनुसार देसी प्रजातियां, संयुक्त व संकर किस्में उगाते हैं । यह देखा गया है कि देसी व संयुक्त किस्मों की औसत पैदावार संकर किस्मों से कम होती है । उन्नत संयुक्त किस्मों की ग्रहणता संकर किस्मों की तुलना में काफी कम है । देश में लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्रों में संकर किस्मों की काश्त होती है । उच्च पैदावार देने वाली प्रजातियों की सहभागिता राज्य दर राज्य भिन्न है । यह सहभागिता गुजरात, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु में 75 प्रतिशत, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 50 प्रतिशत और राजस्थान में केवल 25 प्रतिशत है ।

बाजरा के दानों को विभिन्न प्रकार से खाया जाता है । बाजरा के आटा से रोटी व राबड़ी तथा दानों को चावल की तरह पकाकर खिचड़ी बनाई जाती है । बाजरा के आटा से

शेष पृष्ठ 80 पर

4202 HA/12—8B

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण में लघु जल बिजली का महत्व

–किशोर तारे*

भारत एक विकासशील देश है, जिसकी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जहां पर ऊर्जा की आपूर्ति का स्रोत लकड़ी, कंडा, घास जैसी अपर्याप्त, अस्वास्थ्यकर और सीमित उपलब्धता वाले साधनों पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश होने के कारण खेती पर ही हमारी अजीविका निर्भर है। हमें अपनी उपज के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति की प्रसन्नता जहां खुशहाली लाती है, वहीं कम वर्षा सारे देश में भूखमरी लाती है। कम उपज देश की आर्थिक व्यवस्था भी चौपट कर डालती है, जिससे देश में चल रहे आर्थिक कार्यक्रमों पर गहरा असर पड़ता है। साथ ही देश के उत्पादन तथा विकास दर में गिरावट आती है। विकास की ओर अग्रसर हमारे आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हमारे देश की पेयजल व्यवस्था प्रति वर्ष होने वाली वर्षा पर ही निर्भर करती है। पीने के पानी की कमी होने से चारों ओर त्राहि-त्राहि मचती है। हम वर्षा के पानी को संग्रहीत कर पीने के उपयोग में लाते हैं। वर्षा का अधिकांश पानी तो हमारी अकुशल जल संग्रहण क्षमता तथा हमारी असावधानी के कारण व्यर्थ में ही बह जाता है। उचित संग्रहण की कमी के कारण कई बार लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। जब प्यासे कंठों को ही पानी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में सूखे खेतों की प्यास कैसे बुझेगी। दिनों-दिन प्रदूषित होता पर्यावरण भी कम वर्षा का कारण सिद्ध हो रहा है।

आज ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है। देश की प्रगति एवं विकास की गति ऊर्जा पर ही टिकी हैं। दिन प्रति दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर उस पर बढ़ती ऊर्जा की खपत एवं दुनिया में चल औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रति-स्पर्धा। यह सारी बातें अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन तथा ऊर्जा संरक्षण किए जाने की ओर संकेत करती है।

हमारे देश में ऊर्जा संबंधी समस्याओं की भरमार है। ऐसे कई प्रांत हैं, जहां पर ऊर्जा का संकट सदैव ही बना रहता है। नित्य हो रहे अंधाधुंध औद्योगिकीकरण की वजह से ऊर्जा खपत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन ऊर्जा उत्पादन के स्रोत तो सीमित ही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में अब हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भी गंभीरता से सोचना और विचार करना होगा। इसके लाभकारी कार्यक्रमों को जन-जन तक सुविधाजनक तथा कल्याणकारी तरीके से पहुंचाना होगा। इसके महत्व को तथा प्रकृति के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसे अपनाने में रुचि जाग्रत करनी होगी।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों की शृंखला में बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट कचरा आदि के अलावा लघु जल ऊर्जा भी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। वैसे तो ऊर्जा आपूर्ति हेतु ताप-विद्युत, जल-विद्युत एवं परमाणु विद्युत साधनों द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। फिर भी जल साधनों में लघु जल विद्युत स्रोत भी बहुत उपयोगी ऊर्जा साबित हो रहा है।

ऊर्जा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन जल है। अनुकूल वर्षा के कारण ही हमारे ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होना संभव है। भारत जैसे विशाल देश में ऊर्जा की खपत भी अत्याधिक है। जहां घरेलू क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की मांग बढ़ती ही जा रही है। वहीं बढ़ता औद्योगिकीकरण तथा उस क्षेत्र की ऊर्जा मांग को भी पूरा करना हमारी आवश्यकता और अनिवार्यता है।

ई-4/292, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.)

प्रोद्योगिकी के उन्नयन तथा बिजली की बढ़ती आवश्यकता तथा बिजली के और उत्पादन की अनिवार्यता के लिए हमें लघु पन बिजली परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन के लिए बाध्य कर दिया है । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विगत 15-20 वर्षों के दौरान लघु पन बिजली परियोजनाओं के पुनर्विकास की ओर हमारा ध्यान गया है ।

लघु जल विद्युत प्रणाली यानि प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा तकनीक । छोटे-छोटे जल प्रपात, नहर, नाले, नदियां, बांध आदि के प्रवाहित जल से ऊर्जा का उत्पादन किया जाना । यह तकनीक ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक पुरानी और विश्वसनीय है । जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने भी अनाज कूटने, पानी प्राप्त करने आदि के लिए किया था । ऊर्जा की यह एक कारगर तकनोलोजी है । जिसका उपयोग दूर दराज एवं ग्रामीण अंचलों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है ।

इसके पीछे प्रदूषित होता पर्यावरण, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बढ़ती ऊर्जा की मांग, उनका विद्युतीकरण किया जाना तथा ऐसे क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाना मुख्य कारण है । लघु पन बिजली परियोजनाएं इन सब विशेषताओं को अपने साथ लेकर चलती हैं । इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं पर सतत ध्यान रखना होगा । इस योजनाओं को हमें चुनौती मान कर स्थायी तरीके से युक्तिसंगत लागत, तकनोलोजी से परिपूर्ण बना कर पेश करना होगा । यह परियोजनाएं गुणवता, बेहतर डिजाइन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों । कार्य निष्पादन में सक्षम तथा आज की तकनोलोजी के समकक्ष साबित हों, तभी हम अपने प्रयोजन में सफल हो सकते हैं ।

कुछ लोगों का मानना है कि जल विद्युत एक पुराना ऊर्जा स्रोत है जिसमें और विकास होना संभव नहीं है । लेकिन नई तकनोलोजी तथा वैज्ञानिकों की नई सोच से इसमें आगे भी क्रांतिकारी परिवर्तन की अपार संभावनाएं बनी हुई हैं । उपकरण तथा अभिकल्प व्यवहार के अलावा गाद, गोदी टरबाइन एवं पेन स्टाकों, निम्न ताप नियंत्रणों, निम्न शीर्ष टरबाइनों का विकास तथा उपकरण के लिए सामग्रियाँ तथा अनुसंधान को लिया जा सकता है ।

भारत में लघु जल बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरण विनिर्माताओं का एक व्यापक आधार है । इस क्षेत्र में आधुनिकतम उपकरण स्वदेशी रूप में भी उपलब्ध हो रहे है । ग्यारह विनिर्माता सभी प्रकार के उपकरण की सम्पूर्ण शृंखला की संरचना करते हैं । इनकी क्षमता लगभग 250 मेगावाट प्रति वर्ष अनुमानित है । इसके अतिरिक्त पाँच अन्य विनिर्माता भी अति लघु बिजली एवं पनचक्की उपकरण का उत्पादन कर रहे हैं ।

हमारे देश में लघु जल स्रोत से लगभग 15,384 मेगावाट लघु पनबिजली उत्पादन की अनुमानित संभावना है । जिसमें लगभग 4250 मेगावाट की समग्र क्षमता वाले 1104 स्थलों की पहचान कर ली गयी है । लघु पनबिजली कार्यक्रम के सुव्यवस्थित विकास के लिए तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा कार्य नीति तैयार की गयी है । इसके विस्तृत विकास हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मौसम विभाग और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेन्सी के सहयोग तथा माध्यम से समयाकृतिक मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र, अवक्षेपण पर समय श्रेणी डाटा, आदि की जानकारी एकत्र की जा रही है ।

भारत सरकार की 10वीं योजना के अंत तक लघु पन बिजली की कुल संस्थापित क्षमता 1975 मेगावाट थी । लघु पन बिजली के 11वीं योजना (वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक) का लक्ष्य 1400 मेगावाट का है । जिसमें से 1050 मेगावाट वर्ष 2010-11 तक प्राप्त किया जा चुका है । वर्ष 2011-12 में 350 मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है । संचयी रूप से देश के विभिन्न भागों में कुल 3,252 मेगावाट की 864 लघु पनबिजली परियोजनायें लगाई गयी हैं । जिसमें से 1586 मेगावाट की कुल क्षमता की 313 लघु पनबिजली परियोजनायें निजी क्षेत्र में संस्थापित की गयी हैं । इसके अतिरिक्त लगभग 997 मेगावाट की 340 परियोजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 356 मेगावाट क्षमता की 148 लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना सरकारी क्षेत्र में की गयी है । अब तक कुल 187 मेगावाट की समग्र क्षमता की कुल 88 परियोजनायें लगाई गईं हैं । इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र में 37 पुरानी परियोजनाओं को उनके अभिनवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की गयी है । संलग्न तालिका में संभाव्यता, पूरी की गईं तथा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का राज्य-ब्यौरा दिया गया है ।

शेष पृष्ठ 33 पर

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव से बचिए : स्वस्थ्य रहिए

–प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा*

आज के युग में बढ़ते हुए शहरीकरण, यन्त्रीकरण, और भागदौड़ के कारण जीवन पहले जैसा सरल नहीं रह गया। जीवन के हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो गई हैं। जीवन की काल्पनिक तस्वीर और उसकी व्यावहारिकता में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। मनुष्य सोचता बहुत अधिक है, मगर पाता बहुत कम है। उसके स्वप्न और उसकी उपलब्धियों के बीच बहुत बड़ी खाई बन गई है। नतीजा यह होता है कि मनुष्य के दिमाग पर सदैव अपने अभाव और अपनी समस्याओं का बड़ा बोझ बना रहता है। इसी बोझ का नतीजा होता है--मानसिक तनाव।

तनाव अनेक रोगों की जड़ है। रक्तचाप तो इसका जुड़वां भाई है। इसके अतिरिक्त इससे हृदय रोग और गुर्दों में खराबी होने की आशंका भी रहती है। मानसिक विक्षिप्तता, तनाव की ही अगली सीढ़ी है। मानसिक तनाव के रोगी अक्सर धूम्रपान या मदिरापान आदि करने लगते हैं। कहते हैं कि नशे के द्वारा वे अपने गम गलत कर रहे हैं। मगर वास्तव में नशे से कोई भी गम गलत नहीं होते। चिंताएं और परेशानियां बराबर बनी रहती हैं। हां, यह बात अवश्य है कि नशा करने से मनुष्य के ज्ञानतन्तु कमजोर हो जाते हैं। इससे वह कुछ समय के लिए अपनी परिस्थिति और वातावरण को भूल जाता है। इस तरह केवल कुछ समय के लिए मनुष्य अपने उस तनाव को भूलता है मगर उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरी ओर धूम्रपान या मदिरापान जैसे नशों से वह अन्य अनेक प्रकार के रोग अपने लिए पाल लेता है।

मानसिक तनाव के कारण अनेक हैं। अमरीकी चिकित्सक डॉ. गुन्नार डिवाड़ के अनुसार अभी तक इस प्रकार के 90 कारणों को खोजा जा चुका है, जो मानसिक व्याधियों को जन्म देते हैं। भारतीय परिवेश में इसके मुख्य कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है :--

निर्धनता : मानसिक तनाव उत्पन्न करने में निर्धनता का अत्यंत महत्वपूर्ण हाथ है। व्यक्ति की जब आमदनी कम होती है और उस आमदनी में जब वह अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसमें हीनता घर कर लेती है। इधर-उधर से भी उसको काफी व्यंग्योक्तियां और कटूक्तियां सुननी पड़ती हैं। प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई उसे अलग कचोटती रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह चुनौती का सामना कैसे करें ? समस्या के समाधान के बारे में वह दिन रात सोचता रहता है, मगर उसे कोई समाधान सूझता नहीं। ज्यो-ज्यो उसे हल ढूंढने में असफलताएं मिलती हैं, त्यों-त्यों उसके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होती चली जाती है। इस दृष्टि से निम्न आय-वर्ग के व्यक्ति इसके जल्दी शिकार हो जाते हैं।

संयुक्त परिवार : यद्यपि संयुक्त परिवार की प्रथा तेजी से टूटती जा रही है, फिर भी भारत में संयुक्त परिवार काफी बड़ी संख्या में हैं। संयुक्त परिवार के सदस्यों में अगर पारस्परिक सद्भावना और समझ हो तो निश्चित ही इस प्रथा से अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। परंतु इन दिनों ये गुण कम ही प्राप्त होते हैं। इनके स्थान पर अधिकतर उनमें वैमनस्य, ईर्ष्या और असंतोष के भाव ही अधिक उत्पन्न होते हैं। आज के युग में जबकि जीवन काफी महंगा बनता जा रहा है और सामाजिक मान्यताएं तेजी से बदलती जा रही हैं, तब साधारणत: यह सहन किया जा सकना संभव नहीं है कि संयुक्त परिवार में केवल एक-दो व्यक्ति काम करें और शेष उस आमदनी पर ऐश करें। महिला सदस्यों में भी इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि कौन

*10/611 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर–302020 (राज.)

4202 HA/12—9A

कितना काम करती है अथवा किसके पास कितने वस्त्र या आभूषण हैं । परिणाम यह होता है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों में अपनी स्थिति के प्रति असंतोष के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है ।

बड़ा परिवार :-यदि किसी व्यक्ति का परिवार आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है तो भी परिवार पर तनाव-रोग, का आक्रमण स्वाभाविक है । प्रथम तो बदलते हुए परिवेश और बढ़ती हुई आर्थिक दुश्चिंताओं में अधिक बच्चों का पालनपोषण बड़ा कठिन हो जाता है । दूसरे, अधिक बच्चों पर उचित नियंत्रण और उनका सही मार्ग-दर्शन संभव नहीं रह पाता । नतीजा यह होता है कि बच्चे अनियंत्रित और पथभ्रष्ट हो जाते हैं । इससे माता-पिता का तनावग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है । स्त्रियों के बारे में दिल्ली में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार चार या इससे अधिक बच्चों के माता-पिता अक्सर इस रोग के शिकार होते हैं ।

अनमेल विवाह :--अनमेल विवाह की समस्या हमारे यहां काफी समय से चली आ रही है । यद्यपि बड़े शहरों में अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और विवाह में लड़के तथा लड़की की इच्छा को भी महत्व दिया जाने लगा है । मगर अधिकांशत: अब भी विवाह माता-पिता की इच्छा से ही होते हैं । कभी-कभी लड़के और लड़की एक-दूसरे की शक्ल तो देख लेते हैं और कभी कभी आवाज भी सुन लेते हैं, मगर अल्पकाल की उस मुलाकात में वे एक-दूसरे को ठीक तरह समझ नहीं पाते । इससे वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक दिन बीतने के बाद जब वे आपस के विरोधाभासों को पहचानने लगते हैं तो उसका परिणाम मानसिक तनाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता ।

शोरगुल :--आज के शहरी वातावरण में शोरगुल बेहद बढ़ रहा है । वाहनों की दौड़-धूप और शोर, बात-बात पर होने वाले झगड़े, तरह-तरह की नारेबाजी और माइक्रोफोन पर जोर-जोर से गूंजने वाले फिल्मी गीत या भाषणों की आवाज--सब मिलकर शहरी क्षेत्रों में शोरशराबे का ऐसा वातावरण बन जाता है कि मनुष्य के दिमाग की नसें फटने लगती हैं और उसे लगता है, जैसे वह पागल हो जाएगा । अवश्य ही कुछ समय बाद मनुष्य इस शोर का आदी हो जाता है । मगर तब भी इस वातावरण में अनजाने में ही उसके मस्तिष्क में तनाव बना रहता है ।

कुंठाएं :--प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ में कुछ ऊंचे-ऊंचे सपने देखता है । वह प्रगति के उच्चतम शिखर पर पहुंचना चाहता है । जब वह यह सब प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें अनेक प्रकार की कुंठाएं घर कर लेती हैं । उसे लगता है जैसे उसका जीवन व्यर्थ है । कभी-कभी अपनी इन कुंठाओं को दबाने के लिए वह आत्म-प्रचार करने लगता है अथवा सफल व्यक्तियों की अनावश्यक आलोचना करना शुरू कर देता है । इससे उसकी कुंठाओं का और भी पर्दाफाश हो जाता है । फल यह होता है कि वह अपने आप में ही सिमटकर तनाव-रोग पाल लेता है ।

पारिवारिक असुरक्षा :--प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके भावी कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है । मगर जब वह उनके लिए कुछ नहीं कर पाता तो उसे लगता है, जैसे उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार बेसहारा हो जाएगा । असमय ही मृत्यु का काल्पनिक भय उसे डस लेता है और पारिवारिक असुरक्षा की भावना उसमें मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती है ।

बौद्धिकता :--मानसिक तनाव के कारणों में बौद्धिकता का जिक्र, अपने आप में एक विरोधाभास जैसा शब्द लग सकता है, मगर है यह सत्य । मनुष्य का बौद्धिक होना भी उसके तनाव-रोग का एक कारण बन जाता है । साधारणत: अशिक्षित और कम बुद्धि वाला व्यक्ति समस्याओं पर अधिक सोच-विचार नहीं करता । अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो उस पर भी वह अधिक अफसोस नहीं करता । इससे लाभ यह होता है कि तनाव के चंगुल में आने से वह बच जाता है । मगर दूसरी ओर बुद्धिशील व्यक्ति समस्याओं पर अधिक चिंतन करते हैं और अपनी असफलताओं पर अफसोस करते हैं । इससे वे सहज ही तनाव-रोग के शिकार हो जाते हैं ।

भावनात्मक संबंधों में टूटन :--कभी-कभी व्यक्ति के घनिष्ट संबंधों में विभिन्न कारणों से टूटन आ जाती है । कहीं उसका माता-पिता या सगे संबंधी से मनमुटाव हो जाता है और कहीं उसके प्रणय संबंधों में दरार आ जाती है । स्पष्ट ही इससे व्यक्ति को जबर्दस्त ठेस पहुंचती है । इसका कोई हल उसे नजर नहीं आता । परिणाम यह होता है कि उसके मस्तिष्क में लगातार तनाव बना रहता है ।

अन्य :--मानसिक तनाव के अन्य अनेक कारण भी उल्लेखनीय हैं, जैसे किसी कार्य में असफलता का भय, आवास संबंधी समस्याएं, एकांत का अभाव, शुद्ध वस्तु का अभाव, बेकारी, अपनी गलतियों के पकड़े जाने की आशंका, अधिक कार्यभार, राजनीतिक पराजय आदि । वास्तविक

4202 HA/12—9B

बात यह है कि जितना हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उतनी ही जीवन की उलझनें भी बढ़ जाती हैं और उतना ही उससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है ।

प्रश्न उठता है, मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए ? स्पष्ट ही समाज की प्रगति और विज्ञान के विकास को रोका नहीं जा सकता । उसे रोका जाना उचित भी नहीं है । हमें समस्या का समाधान अपने वर्तमान परिवेश में ही ढूंढना होगा ।

मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए चिकित्सक साधारणत: विभिन्न प्रकार की औषधियां देते हैं । अस्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए ये औषधियां ठीक भी हैं मगर इन औषधियों का अधिक प्रयोग हानिकारक भी हो सकता है । कभी कभी कुछ व्यक्ति साधारण मानसिक तनाव महसूस करते ही बड़ी-बड़ी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं । इससे लाभ उतना नहीं होता, जितनी हानि की आशंका रहती है । वास्तविक स्थिति यह है कि यह एक मानसिक रोग है, जो हमारे वातावरण से उत्पन्न हुआ है । अतएव इसका समाधान भी ऊपरी दवाइयों से उतना संभव नहीं है, जितना मानसिक उपचार से संभव है । इस संदर्भ में निम्न सुझाव द्रष्टव्य है :--

सर्वप्रथम तो हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन हों कि व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उखाड़-पछाड़ न करनी पड़े । जिन व्यक्तियों की आमदनी कम है, वे अतिरिक्त समय में अन्य कार्य करके अधिक धन जुटाने की कोशिश करें । यदि यह संभव नहीं हो तो वे अपनी आवश्यकताओं को ही कम करने का प्रयत्न करें । जो वस्तु उपलब्ध नहीं है, उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से कोई लाभ नहीं । अपने से अधिक आमदनी वाले व्यक्तियों की तरफ देखकर अनावश्यक असंतोष और कुंठा पैदा करने के स्थान पर अपने से निम्न आय वाले व्यक्तियों की ओर देखकर प्रसन्नता और संतोष का अनुभव करना अधिक अच्छा है ।

अगर संयुक्त परिवार कष्टप्रद हो रहा है तो उसे विभाजित करने में कोई हानि नहीं । इसके साथ ही अपने परिवार को भी छोटा और सीमित रखना आवश्यक है । यह पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, बच्चों की प्रगति तथा आर्थिक स्थिति सभी के अनुकूल रहेगा ।

अनमेल विवाह को रोकने के लिए समाज की समस्त परंपराओं और व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आवश्यक है । इस समय जो व्यक्ति अनमेल विवाह के कुचक्र में फंस चुके हैं, उनके लिए तनावपूर्ण जीवन से बचने के दो ही उपाय हैं । प्रथम, न्यायोचित तरीके से तलाक । दूसरे, आपसी सामंजस्य, जिसमें पारस्परिक हस्तक्षेप न्यूनतम हो ।

शोरशाराबे से बचने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य यदाकदा शहरी वातावरण से बाहर निकलकर जंगल या पहाड़ी स्थानों पर कुछ समय के लिए विचरण करें । कम से कम अवकाश के दिनों में तो यह सरलता से संभव है ।

भावुकता की अति निश्चित ही हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है । इसके लिए व्यक्ति को अधिक भावुक नहीं होना चाहिए और जीवन की विभिन्न घटनाओं को सहज रूप में स्वीकारना चाहिए । अपने आप को आवश्यकता से अधिक महत्व देना भी गलत है । हमें यह सोचना चाहिए कि इस विशाल संसार में हमारा अपना महत्व ही कितना है । ऐसी स्थिति में यदि हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं कर सके तो उससे क्या अंतर पड़ता है ? इस संसार में बड़े-बड़े शक्तिशाली और सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके । फिर हमारी तो गिनती ही क्या है ?

मानसिक तनाव से छुटकारा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम जीवन में मस्ती से रहना सीखें । जिन वस्तुओं पर या परिस्थितियों पर हमारा अधिकार नहीं है, उनकी चिंता व्यर्थ है । ऐसे मामलों में कुछ लापरवाही बरतना भी लाभदायक रहेगा ।

संकट के समय परिवार के सदस्य तथा मित्रजन भी एक-दूसरे के साथ सद्भावना जताकर तनाव को दूर रखने में सहायता कर सकते हैं । यथासंभव तनावग्रस्त व्यक्ति को निष्क्रिय या अकेले नहीं रहना चाहिए । उसे अपने को सदैव किसी न किसी कार्य में अथवा अपने मित्र-परिजनों के साथ मनोरंजन में व्यस्त रखना चाहिए । ■

राजभाषा हिंदी में करना हर हस्ताक्षर ।
उत्तरदायित्व अपना निभाओ जी भर कर ॥

नारी-विमर्श

नारी शोषण--तब और अब

–डॉ. रुक्मिणी तिवारी*

वैदिक युग में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, या यूँ कहें कि वह पुरुष से भी ऊँचा स्थान रखती थी। वैदिक काल के पश्चात् उत्तर वैदिक काल से मध्यकालीन युग तक नारी की स्थिति में पतन होता गया। अरस्तु, प्लेटो, मिल्टन और रूसो जैसे विद्वानों ने भी महिलाओं को पुरुषों के समान स्वीकार नहीं किया था। भारत में भी उनकी पूर्ण स्वतंत्रता नष्ट हो चुकी थी। सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-वध, कन्या-बिक्रय, बहु-विवाह और कु-प्रथाओं ने उनका जीना दूभर कर दिया था। विधवा विवाह समाप्त हो गए थे। महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी बन गया था। शिक्षा के द्वार भी उनके लिए बंद हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से भी उनकी स्थिति बहुत खराब थी। वर्तमान में तो कहना ही क्या ? नारी का होना ही बोझ समझा जाता है।

पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज पर लंबे समय तक मजबूती से छाई रही जिससे आज भी समाज की महिलाएँ इन गली-सड़ी रूढ़ियों और कानूनों का दंश झेल रही हैं। शोषित होना और होते रहना औरतों को कवच पहनाकर मैदान में उतार दिया गया। महिलाओं की पीड़ाएँ तमाम खाँचे में बँट गईं--कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ से शोषक का खाँचा तो कहीं हिंदू एडप्शन एंड मेंटीनेस एक्ट का खाँचा। पर हर व्यवस्था में शोषित औरत ही हुई।

इस देश की स्त्रियों की समस्या का बुनियादी कारण जीवन में वह दोहरापन मापदंड है। एक ओर वह स्त्री को श्रद्धा घोषित करता है, दूसरी ओर उसके विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के तमाम उपाय करता है। वर्ष में दो-दो बार बालिकाओं की नौ-नौ दिन तक पूजा करता है, लेकिन उनसे जन्म लेने और जीने का अधिकार छीनने की साजिश भी करता है। सिद्धांत के स्तर पर तमाम परिभाषाएँ वह स्त्री के अनुकूल करता है। आचरण के स्तर पर स्त्रियों को उनका जायज अधिकार भी नहीं देना चाहता। यही कारण है कि स्त्रियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने वाले अनेक कानूनों के बनाए जाने के बावजूद उनके विरुद्ध हिंसा और अपराध निरंतर बढ़ोतरी पर हैं। यह बढ़ोतरी कुछ प्रांतों या जिलों में नहीं बल्कि समूचे देश में देखी और महसूस की जाती हैं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं और दूसरी ओर लड़कियों को जन्म से पूर्व ही मार रहे हैं।

वह नारी जिसको हर तरह से शोषित करने के बाद भी समाज एक मर्यादा देता रहा है। वह नारी जो हमारी कुल मर्यादा की प्रतीक है। वह नारी जो उच्छृंखलता से परे रह कर अपने कुल-परिवार को अपनी मधुर हँसी तथा ममता से सराबोर रखती है, छोटे-बड़े की सेवा करती है, जिसका श्रृंगार उसकी लज्जा का आभूषण है।

एक तरफ तो दुनिया-भर में तरक्की के ढोल पीटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ विकसित से लेकर पिछड़े देशों तक में औरतों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किए जाने की प्रवृति यथावत् है।

भारत में सरकार और समाज दोनों ने नारियों के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाए हैं और नित्यप्रति उनकी सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है, किंतु स्थिति दिन-प्रतिदिन विपरीत ही होती जा रही है। बहुत से नियम सिद्धांत ही बनकर रह गए हैं और उन पर किए जाने वाले अत्याचारों की निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यौनाचार तथा बलात्कार की इतनी अमानवीय घटनाएँ घट रही हैं। भारतीय समाज में दुनिया में होने वाले बाल-विवाहों में से 40 प्रतिशत बाल विवाह यहीं होते हैं। यही कारण है कि यहाँ एक रिपोर्ट के अनुसार 78 हजार लड़कियाँ प्रति वर्ष

*विभागाध्यक्ष हिंदी, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु की शिकार हो जाती हैं। यह हमारे समाज में नैतिक पतन का द्योतक है।

भावनात्मक हिंसा और भी गहरी चोट पहुँचाती है। पति की गालियाँ, पीहर के लिए कहे गए अपशब्द, दुश्चरित्र की संज्ञा, अवहेलना, अन्य स्त्री-संसर्ग मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। महिलाएँ प्राकृतिक रूप से इतनी भावुक और संवेदनशील होती हैं कि वह अपने दुश्मन को भी चोट पहुँचाने से पहले उस पर बार-बार विचार करती हैं। जबकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा दिन-प्रतिदिन यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यौनाचार तथा बलात्कार की इतनी अमानवीय घटनाएँ घट रही हैं। ससुराल वालों द्वारा विवाहिता को तंग करने के मामलों में तथा कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है।

आज घर-घर में अशांति, अव्यवस्था, कलह-क्लेश का वातावरण फैला हुआ है। परिवार टूट रहे हैं, पति-पत्नी में तलाक लेने में वृद्धि हो रही है, आपस में संपति को लेकर झगड़े अदालतों में हैं। उसका मूल कारण है नर-नारी में सामंजस्य का अभाव। नर-नारी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का ठीक-ठाक पालन नहीं कर पा रहे हैं। पुरुष सोच में यदि तनिक लोच लाने की कोशिश की जाए तो औरतें कब चाहती हैं कि कैरियर या परिवार में से वे एक को ही चुने। भारतीय नारी तो पूर्ण रूपेण समर्पणशील है, वह पतिव्रता बनी रहना चाहती है, वह पति से अतिरिक्त अपना अस्तित्व नहीं समझती, वह उसी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझती है। औरतें तो बाहें फैलाकर सारा जहाँ समेटने को आतुर ही रहती हैं, बस पुरुषों में थोड़ा-सा दबाव कम करने का माद्दा पैदा हो जाए तो सफल औरतें भी सुखद पारिवारिक जीवन छोड़े बिना डटी रहें। पुरुषों की व्यावहारिकता में परिवर्तन आते ही महिलाएँ स्वयं ही आगे बढ़ कर पूरा सहयोग देने को तैयार रहती हैं।

आचरण के स्तर पर स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी इस समय समाज की सबसे बड़ी माँग है। समाज को तटस्थ होकर विश्लेषण करना पड़ेगा कि स्त्रियों को उनका ठीक स्थान न देने के कारण इस देश को क्या और कितना नुकसान हुआ है। समाज का प्रभाव अधिक गहरा और स्थाई होता है। इसलिए हमें समाज में ऐसी चेतना उत्पन्न करने का प्रयास करना होगा ताकि बेटी और बेटे को एक समान मानने की प्रवृति न केवल विकसित हो बल्कि प्रबल भी हो।

पृष्ठ 28 का शेष

अक्षय ऊर्जा स्रोत हमें विद्धुत के नए आयाम तो देते ही हैं, साथ ही पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे वनों के विनाश को रोकने तथा पर्यावरण को बचाने में भी मदद मिलती है। पूर्व में विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा निधि (वि.प.सु.नि.) ने भी पूर्व में लघु जल ऊर्जा जल ऊर्जा के महत्व को समझते हुए इसका समर्थन किया गया था। प्रोत्साहन स्वरूप 12.52 मिलियन डॉलर अनुमोदित भी किए गए थे। पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए, लघुपन बिजली ऊर्जा क्षेत्र में विश्व एक मात्र योजना है।

लघु जल विद्युत कार्यक्रम का उद्देश्य नहरों के जल प्रपातों, जिनमें पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन की क्षमताएं हैं, उनके बहते जल से व्यर्थ जा रही ऊर्जा से विद्युत पैदा करना है। देश में लघु पन बिजली की संभावना उज्जवल है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते महत्व एवं विकास को देखते हुए, निजी क्षेत्रों ने भी पन बिजली उत्पाद में रुचि दिखाई है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा इस दिशा में सरकारी और निजी क्षेत्रों का काफी मार्ग दर्शन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

वास्तव में लघु जल विद्युत केंद्रों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में एक अहम् भूमिका अदा की है। विशेषत: दूर-दराज के पहाड़ों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है। लघु जल बिजली कार्यक्रम को चलाने से इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को विस्थापित नहीं किया जाता। इसके निर्माण एवं अनुरक्षण स्टाफ से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों पर तथा वनस्पतियों पर इस कार्यक्रमों का कोई खराब असर नहीं होता है।

इस बहुमुखी लघु पनबिजली ऊर्जा कार्यक्रम को हमें विकास कार्यक्रम मान कर चलाना होगा। तभी हम संपूर्ण भारत के पहाड़ी एवं ग्रामीण अंचलों को अपने प्रयासों से जगमग कर सकते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से पर्यावरण मित्र है। अत: इसे सहज रूप से अपनाया जा सकता है।

4202 HA/12—10A

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

संस्कृति मंत्रालय

माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री कुमारी सैलजा, की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2012 को अपराह्न 12.00 बजे नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

कृषि मंत्रालय

माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय के तीनों विभाग यथा-कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17 सितंबर, 2012 को अपराह्न 12.30 बजे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती पनबाका लक्ष्मी की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 18 अप्रैल, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, श्रीनगर में संपन्न हुई।

पर्यटन मंत्रालय

माननीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुल्तान अहमद जी की अध्यक्षता में पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 17 अगस्त, 2012 को अपराह्न 2.30 बजे, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन, एनेक्सी में आयोजित की गई।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में श्रम और रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 37वीं बैठक दिनांक 23-8-2012 को दोपहर 12.00 बजे मुख्य समिति कक्ष, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई ।

डाक विभाग (सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

डाक विभाग की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी की अध्यक्षता में डाक भवन के समिति कक्ष में दिनांक 21-8-2012 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गई ।

मानवसंसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक का आयोजन 4 जून, 2012 को नीटी, मुम्बई में किया गया ।

खान मंत्रालय

खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक माननीय खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनशा पटेल की अध्यक्षता में दिनांक 11-7-2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मिलिंद देवरा जी की अध्यक्षता में दिनांक 24-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे सांस्कृतिक कक्ष, यशवंत राव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुम्बई में आयोजित की गई । इस बैठक में पहली बार बैठक स्थल व संचार भवन, नई दिल्ली में विडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग किया गया ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3 अगस्त, 2012 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया की अध्यक्षता में 11.30 बजे पूर्वाह्न सम्मेलन कक्ष संख्या 47, उद्योग भवन नई दिल्ली में संपन्न हुई ।

4202 HA/12—10B

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक 25 मई, 2012 को माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में हॉल नं. 3 विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)

रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय की 11वीं बैठक माननीय रक्षा मंत्री श्री ए. के. अन्टनी की अध्यक्षता में दिनांक 17 जुलाई, 2012 को अपराह्न 2.30 बजे साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय की वर्तमान हिंदी सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक 5 जून, 2012 को समिति कक्ष-53, संसद भवन, नई दिल्ली में माननीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

'ग' क्षेत्र

दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

मुख्यालय

दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 26वीं बैठक श्री महेशचंद्र, मुख्य राजभाषा अधिकारी/दक्षिण मध्य रेलवे की अध्यक्षता में दि. 11-06-2012 को 11.00 बजे भंडार नियंत्रक सभागृह में संपन्न हुई ।

बैठक के प्रारंभ में उप महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने समिति के अध्यक्ष एवं मुख्यालय राजभाषा अधिकारी तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि मुख्यालय स्तर की इस समिति की बैठकों में मुख्यालय के विभिन्न विभागों और यूनिटों में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की जाती है और प्रगति की दृष्टि से आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं । इन निर्णयों पर सदस्यों द्वारा कार्रवाई से ही मुख्यालय में राजभाषा की विभिन्न मदों में प्रगति संभव हो पाती है । अत: सदस्यों को अपनी ओर से पहल और प्रगति की दृष्टि से आवश्यक उपाय करने चाहिए । उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढाने के लिए विभागों में विभागीय बैठकों का आयोजन अत्यंत लाभदायक होता है । समीक्षाधीन तिमाही में कुछ विभागों में विभागीय बैठकों का आयोजन किया गया, जिसका अच्छा परिणाम हुआ । अन्य विभागों में भी इसका आयोजन किया जाए । उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य राजभाषा कार्यान्वयन की मदों में और प्रगति की दृष्टि से अवश्य प्रयास करेंगे ।

इसके बाद मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं भंडार नियंत्रक श्री महेश चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सदस्य बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करने के लिए अपने-अपने विभागों में विभागीय बैठकों का आयोजन करें । उन्होंने चाहा कि सभी विभागों में हिंदी में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए । संगोष्ठियों में हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करने से हिंदी के प्रति झिझक दूर हो जाती है और कार्यालयों में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनता है । उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछली तिमाही में जिन विभागों की कुछ सामग्री वेबसाइट पर हिंदी में अपलोड कराने के लिए शेष थी, उसे अब पूरा कर लिया गया है । उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर समाग्री अपलोड/अपडेट करना एक निरंतर प्रक्रिया है । अत: इसे हिंदी में भी निरंतर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

इसके बाद, बैठक की मानक कार्यसूची की मदों पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिए गए, तत्पश्चात् सदस्यों से सुझाव व आश्वासन लिए गए ।

उप महाप्रबंधक (राजभाषा) के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद यह बैठक समाप्त हुई ।

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 136वीं बैठक में महाप्रबंधक श्री जी. एन. अस्थाना जी की अध्यक्षता में

दि. 29-06-2012 को 16.00 बजे महाप्रबंधक सभागृह में संपन्न हुई । इस बैठक में भाग लेने के लिए रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री सैयद हामिद अली विशेष रूप से पधारे थे ।

बैठक के प्रारंभ में उप महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य, मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर सदस्यों ने कार्रवाई की है और संबंधित मदों में प्रगति हुई है, जिसके लिए उन्होंने सदस्यों को धन्यवाद दिया ।

इसके बाद मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं भंडार नियंत्रक श्री महेश चंद्र ने समिति के अध्यक्ष श्री जी. एन. अस्थाना, अपर महाप्रबंधक श्री जे. एन. जगन्नाथ और रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया । उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि वेबसाइट की सामग्री हिंदी में भी अपलोड कराने की दिशा में प्रधान कार्यालय तथा मंडलों में पिछली तिमाही की तुलना में काफी प्रगति हुई है और अधिकांश सामग्री हिंदी में भी अपलोड करा दी गई है । यह एक निरंतर प्रक्रिया है और इस पर संतत निगरानी रखी जानी चाहिए, स्टेशनों पर प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और अन्य बोर्ड द्विभाषिक रूप में सुनिश्चित करने की दिशा में अधिकांश कार्य हो चुका है । शेष भी शीघ्र पूरा किया जाए । उन्होंने विभागीय बैठकों के आयोजन और हिंदी में तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन पर ज़ोर दिया ।

अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि इस रेलवे पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रधान कार्यालय सहित सभी मंडलों और कारखानों में अच्छा कार्य हो रहा है । उन्होंने स्टेशनों और शेडों में प्रदर्शित सभी सूचना और तकनीकी अनुदेशों से संबंधित बोर्डों को अंग्रजी के साथ-साथ हिंदी और स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित करने पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि जनसंपर्क स्थलों पर प्रदर्शित सभी बोर्ड, सूचना आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषिक/त्रिभाषिक रूप में प्रदर्शित किए जाएं । उन्होंने कहा कि वेबसाइट को और सुदृढ और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए । उन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया ।

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री सैयद हामिद अली ने अपने संबोधन में यूनकोड, वेबसाइट आदि के बारे में कुछ सुझाव दिए ।

इसके बाद, बैठक की मानक कार्यसूची की मदों पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिए गए ।

उप महाप्रबंधक (राजभाषा) के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद यह बैठक समाप्त हुई ।

मुख्यालय आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर भवन, महात्मा गांधी रोड, शिलांग

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम बैठक दिनांक 12 जून, 2012 को दोपहर 12.00 से 13.30 बजे तक श्री अशोक कुमार झा, भा. रा. से आयकर आयुक्त, शिलांग की अध्यक्षता में मुख्य आयकर आयुक्तालय, शिलांग के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई । श्री मनीष कुमार साह, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग ने सभी का स्वागत किया । श्री एल. आर. लाम्बा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बैठक का विधिवत संचालन किया । पिछली बैठक के कार्यवृत्त के संबंध किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, अत: इसकी पुष्टि कर दी गई । कार्यालय द्वारा भेजे गए हिंदी पत्रों के प्रतिशत पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में नियम-5 का उल्लंघन न हो । वित्त वर्ष में शतप्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए । अध्यक्ष महोदय ने धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने और हिंदी पत्राचार के बढ़ावा पर बल दिया । उन्होंने कार्यालय में छोटी-छोटी टिप्पणियों को हिंदी में लिखने का सभी सदस्यों को निदेश दिया । वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए हर तिमाही में कम से कम एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय ने शिलांग क्षेत्र के सभी आयकर कार्यालय जहां राजभाषा विभागीय कार्यान्वयन समिति का गठन अब तक नहीं हुआ है वहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करने का निदेश दिया और नियमित बैठक कर कार्यवृत्त समय पर भेजने को कहा । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फाइलों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां यथासंभव हिंदी में ही की जाए । हिंदी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जाए ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
राज्य कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं. 362,
एम.जे.रोड, गाँधी भवन, हैदराबाद-500001.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद की वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही की 'राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक' दिनांक 20-6-2012 पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता उप-निदेशक (प्र) डॉ एम. ए. खुद्दुस जी ने की ।

समिति की दि. 21-3-2012 की बैठक के मद सं. 3 (क) में लिए गए निर्णय के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों को द्विभाषी में भेजे जाने का प्रयास किया जा रहा है । मूल पत्राचार के संबंध में सभी निदेशालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के व्याख्या पत्र हिंदी में तैयार का सभी अनुभागों को दिया गया है । हिंदी में टिप्पणियाँ लिखने की संख्या को बढ़ाने की दृष्टि से नेमी कार्यालयीन टिप्पणियों की सूची सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया गया है । जिन पत्रों के उत्तर देना आवश्यक नहीं है उनके लिए पावती भेजी जानी चाहिए जिसके लिए एक मानक पावती का फार्मेट बनाकर सभी अनुभागों को वितरित किया गया ।

तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निदेश दिया कि धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागज़ातों को आवश्यक रूप से द्विभाषी में ही भेजा जाए ।

हिंदी में प्राप्त पत्रों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने कनिष्ठ हिंदी अनुवादक को निदेश दिया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर 100% हिंदी में भेजा जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निदेश दिया कि मूल पत्राचार के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है । इस संबंध में उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों को निदेश दिया कि वे इस संबंध में व्याख्या पत्र हिंदी में ही भेजा करें ।

हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों की संख्या के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निदेश दिया कि राजभाषा विभाग से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में टिप्पणियाँ लिखने का जो लक्ष्य है वह अब 30 प्रतिशत हो गया है अतः उन्होंने सभी अनुभाग अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने अनुभाग में टिप्पणियों की संख्या को और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें ।

(क) बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को निदेश दिया कि हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में सभी चर्चित विषयों का कडाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ।

(ख) अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण के लिए शेष सभी कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण या हिंदी टंकण के लिए यथाशीघ्र भेजा जाना चाहिए ताकि कार्यालय के 100 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षत हो जिससे राजभाषा कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके ।

आकाशवाणी, कटक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 13 जुलाई 2012 को पूर्वाहन 11.30 बजे डॉ. सुधा मिश्र केंद्र निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई । 12 अप्रैल 2012 को हुई तिमाही बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से पुष्टि के बाद विचार-विमर्श किया गया । अप्रैल-जून 2012 तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई । सहायक निदेशक (राभा) ने बताया कि कार्यालय में धारा 3(3) का शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा है । मूल पत्राचार की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि स्वर परीक्षण संबंधी सभी पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाए । हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया । केंद्र निदेशक ने सुझाव दिया कि कार्यालय स्तर पर हिंदी अन्ताक्षरी एवं कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने से यह और भी प्रभावी रहेगा ।

आकाशवाणी, केंद्र, विशाखापट्टणम

केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही बैठक दिनांक 28-6-2012 को कार्यालय प्रमुख महोदया श्रीमती हर्षलता की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई ।

4202 HA/12—11A

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूरु के उपनिदेशक (का.) द्वारा दिनांक 23-12-2011 को इस कार्यालय के निरीक्षण के बाद राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु रेडियो पर पुराने हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित 30 मिनट अवधि के एक और कार्यक्रम के प्रसारण हेतु दिए गए सुझावानुसार श्री आर.वी. रमण मूर्ति, कार्यक्रम निष्पादक (सम.) ने समिति को बताया कि फिक्स्ड पॉइंट चार्ट में इसे सम्मिलित किया गया है और इस संबंध में उपनिदेशक (कार्यक्रम) (द.क्षे.), चेन्नै से अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है । उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही अमल कर लिया जाएगा । इसके साथ ही समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

दिनांक 31-03-2012 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में उप निदेशक (का.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूरु से प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट को हिंदी अनुवादक ने पढ़कर सुनाया जिसमें कार्यालय से होने वाले मूल पत्राचार एवं हिंदी में टिप्पणियों को बढ़ाय जाने के प्रयास जारी रखने एवं वार्षिक रिपोर्ट के भाग-2 के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण हेतु शेष बचे हुए दो(भाषा), एक(आशुलिपि) और चार (टंकण) कर्मचारियों को अपनी कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षित किए जाने को कहा गया । इस संबंध में अध्यक्ष महोदया ने आगामी सत्रों में शेष कर्मचारियों को भाषा एवं टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित करने के निदेश दिए ।

सदस्य सचिव ने इंटरनेट पर राजभाषा विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए वर्ष 2012-13 के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी दी । हिंदी अनुवादक ने समिति को सूचित किया कि कार्यालय से होने वाला हिंदी में मूल पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से थोडा कम है जबकि हिंदी में निर्धारित 30 लक्ष्य से अधिक संख्या में टिप्पणियां लिखी जा रही हैं । इस पर अध्यक्ष महोदया ने अपनी खुशी जाहिर की । उन्होंने कहा कि पत्राचार हेतु निर्धारित 55 लक्ष्य को कार्यालय प्राप्त करने के बहुत करीब है जिसे थोड़ा और प्रयास करके हासिल किया जा सकता है । उन्होंने सभी अनुभागाध्यक्षों से राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के प्रावधानों एवं राजभाषा नियम 5 के प्रति जागरूक एवं इनके उल्लंघन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया । अध्यक्ष ने लेखापाल से वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार नागरिक चार्टर को यथासंभव शीघ्र द्विभाषिक बनवाने के मौखिक आदेश दिए ।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2 जम्मू, ओ.बी.-26, ग्रिड भवन, रेल हैड कंपलैक्स, जम्मू-180012

उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, क्षेत्रीय मुख्यालय की 44वीं बैठक श्री एस.सी. सिंह, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 6 जून, 2012 को 3.30 बजे (अपराह्न) आयोजित की गई ।

इस संदर्भ में पिछली बैठक के मदों पर की गई कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई । तत्पश्चात इसकी पुष्टि की गई । सदस्य-सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू एवं इसके अधीनस्थ समस्त प्रचालन व अनुरक्षण उपकेन्द्रों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवा लिया गया है । इस क्षेत्र में केवल नए कार्यालय भिवानी, साम्बा एवं न्यू वनपोह को अधिसूचित कराना शेष था जिनमें से भिवानी कार्यालय को दिनांक 25 अक्तूबर 2011 से अधिसूचित करा लिया गया है और साम्बा कार्यालय को दिनांक 12 मार्च, 2012 से अधिसूचित करा लिया गया है । न्यू वनपोह कार्यालय को अधिसूचित करवा दिया जाएगा ।

समिति को अवगत कराया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) आदेशात्मक है । इसके अंतर्गत आने वाले सभी 14 दस्तावेजों जैसे परिपत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, टैंडर आदि द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए । यह जिम्मेदारी उन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है । इस संबंध में इस धारा का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2012-2013 के वार्षिक कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया ।

'ग' क्षेत्र में मूल पत्राचार का लक्ष्य 55 प्रतिशत है जिसे प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन फिर भी हिंदी पत्राचार बढ़ाने हेतु और प्रयास किए जा रहे हैं । इस अवसर पर मु.प. (मा. सं.) ने स्थल कार्यालयों के नोडल हिंदी अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हिंदी पत्राचार को बढायें एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करें ।

4202 HA/12—11B

'ख' क्षेत्र

पश्चिम रेलवे कार्या. मुख्य कारखाना प्रबंधक, दाहोद

कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति-दाहोद की मार्च-2012 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 07-06-2012 को आयोजित की गई थी । इस बैठक में मुख्य कारखाना प्रबंधक जी सहित सभी अधिकारियों एवं वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियरों ने भाग लिया । श्री आर. के. गुप्ता कारखाना प्रबंधक, दाहोद ने राजभाषा बैठक में सभी अधिकारियों एवं वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियरों को राजभाषा बैठक के आयोजन के महत्व एवं उद्देश्य के बारे में बताया तथा कार्यालयों/अनुभागों में दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने को कहा । इसके अतिरिक्त श्री दिनेश जैन, सचिव राभाकास एवं उस मुपरिप्र. (बि.), दाहोद ने तकनीकी शब्दों का हिंदी में सरल उपयोग, फाइलों में हिंदी में टिप्पणियाँ लिखना, राजभाषा के नियमों/प्रावधानों के संबंध में विशेष निर्देश दिए ।

प्रधान कार्यालय, चर्चगेट में दिनांक 05-04-2012 को क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान राजभाषा संबंधी लघु चलचित्र "राजभाषा की डगर पश्चिम रेलवे" प्रदर्शित की गई थी, उसी चलचित्र को फिर से इसी बैठक में दिखाया गया । राजभाषा संबंधी इस चलचित्र को सभी ने उत्साहपूर्वक देखा और इसकी प्रशंसा की । इस चलचित्र को मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, चर्चगेट एवं श्रीमती रोशनी खूबचंदानी, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, चर्चगेट से प्राप्त किया गया था, इसके लिए उनका आभार प्रकट किया गया ।

श्री आर. के. गुप्ता, मुख्य कारखाना प्रबंधक जी ने कहा कि ऐसी बैठकों से राजभाषा का प्रचार-प्रसार होता है, अतएव ऐसी बैठकों का समयबद्ध आयोजन किया जाना चाहिए ।"

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर भवन, मक्बूल रोड, अमृतसर-143001

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 28 मई, 2012 को 03:30 बजे, अपराह्न को आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 (राजभाषा अधिकारी) श्री हरभजन सिंह की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में सदस्य सचिव सुश्री नोनिया धालीवाल, सहायक निदेशक (रा भा) ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी सदस्यों को दी । सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

प्रत्यक्ष कर समिति की 79वीं बैठक तथा क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति उ.प. क्षेत्र की दिनांक 29 मार्च, 2012 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया । बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

धारा 143(1) के तहत प्रोसेसिंग की हिंदी मोहर का ही प्रयोग किया जाए तथा उस पर हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं । इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा निरीक्षण किया जाए कि उपरोक्त कार्य हिंदी में हो रहा है । सचिव राजभाषा विभाग के दिनांक 26-09-2011 के पत्र के अनुसार अनुरोध है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने पत्राचार में सरल बोल चाल की भाषा का प्रयोग करे । सभी कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्य हिंदी में करने के लिए नियम 8(4) के अतंर्गत अधिसूचित किया जाए । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी में अनुवादित प्रोफार्मे सभी कार्यालयों को परिचालित किए जाएं ताकि ये कार्य हिंदी में शुरू हो सके । राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी नेम प्लेट तथा रबड़ की मोहरें हिंदी या द्विभाषी होनी चाहिए । यदि अभी भी कोई नेम प्लेट या रबड़ की मोहरें कहीं पर अंग्रेजी में हैं तो उन्हें तुरंत हिंदी/द्विभाषी बनवा लिया जाए । सभी प्रकार के अग्रेषण पत्र हिंदी में लिखे जाएं ।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है । मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र में 70 प्रतिशत से ज्यादा कार्य हिंदी में हो रहा है । अभी इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी से संबंधित रिपोर्ट तथा अन्य जानकारी सभी कार्यालय समय पर भेजें ।

'क' क्षेत्र

कार्यालय सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय एवं सेवाकर मणिकबाग पैलेस, पोस्ट बैग नं. 10, इंदौर (म.प्र.)

माणिक बाग पैलेस इंदौर स्थित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में 27 मार्च, 2012 को आयुक्त श्री आर. डी. नेगी जी की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 31 दिसंबर, 2011 को समाप्त तिमाही अवधि में हिंदी कार्य प्रगति की समीक्षा की गई । बैठक के दौरान आयुक्त महोदय ने आयुक्तालय द्वारा 31 दिसंबर, 2011 की तिमाही में भेजे गए पत्रों के प्रतिशत को संतोषपूर्ण बताया एवं इस लक्ष्य को 100 प्रतिशत हासिल करने हेतु पूर्णप्रयास करने के लिए प्रेरित किया तथा आगामी बैठक में इसे प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए ।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा प्रयोग का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देते हुए यह इच्छा व्यक्त की, कि किसी भी हालत में पुराने प्रतिशत से नीचे न जाते हुए उसमें इजाफा होना चाहिए तथा जिन मंडलों/कार्यालयों/शाखाओं का प्रतिशत घटा है उस पर चिंता जाहिर करते हुए तत्काल उसे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए (कार्रवाई हेतु सभी मंडलों एवं शाखा कार्यालयों को सूचित किया गया एवं कम प्रतिशत वालों को विशेष पत्र लिखने एवं प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं) ।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयुक्तालय, मेरठ- द्वितीय, निकट शहीद पार्क, दिल्ली रोड, मेरठ-250001

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ-द्वितीय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (अवधि 1-1-2012 से 31-3-2012 तक) दिनांक 28-6-2012 अपराह्न 4.00 बजे आयुक्त महोदय श्री राजबंस सिंह चहल की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

बैठक के प्रारम्भ में श्री मुहम्मद यूसुफ, सहायक निदेशक (राभा) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ-प्रथम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया, तदुपरान्त कार्य सूची के अनुसार बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई । पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा एवं कार्रवाई की पुष्टि की गई ।

अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से समस्त मण्डलों व मुख्यालय की शाखाओं के पत्राचार पर संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिया कि भविष्य में इसी तरह दिए गए निर्धारित लक्ष्य को बनाएं रखें । महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मण्डलों/शाखाओं का पत्राचार 75 प्रतिशत से कम है उन्हें पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए । राजभाषा नियमावली 1976 के नियम-5 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दें ।

मूल रूप से हिंदी पत्राचार करें, क्योंकि मेरठ-द्वितीय आयुक्तालय "क" क्षेत्र में आता है । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा हिंदी पत्राचार हेतु 75 से 100 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारत किया गया है । अत: लक्ष्य को देखते हुए अभी और प्रयास किया जाना अपेक्षित है । हिंदी पत्राचार बढ़ाने हेतु मूल पत्राचार, अनुस्मारक, व्यक्ति सुनवाई, अग्रसारण पत्र, अधिनिर्णय आदेश का प्रिएम्बल, सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्राचार हिंदी में ही किए जाएं । वे फाइलों पर लक्ष्य के अनुरूप 55 से 75 प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में ही लिखें तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें । हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति से सम्बन्धित तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् अगले माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मुख्यालय स्थित हिंदी शाखा को भिजवा दें, जिससे कि आयुक्तालय की रिपोर्ट को समेकित करके निरीक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली एवं मुख्य आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ आदि को समय से प्रेषित की जा सकें ।

मुख्यालय को धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कराया जाना है । इस सम्बन्ध में मण्डल बरेली, रामपुर, मुरादाबाद तथा मुरादाबाद (आई.सी.डी.) से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अत: इन मण्डलों से तत्संबंधी सूचना मंगाने के लिए पत्राचार किया जाए और मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मण्डल के उप/सहायक आयुक्तों से ये सूचनाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाए ।

कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, होशंगाबाद रोड, मुख्यालय भोपाल

कार्यालय आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयुक्तालय भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22-12-2011 की बैठक आयुक्त महोदया सुश्री हरमीत सिंह की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई ।

अध्यक्ष महोदया एवं समिति के सदस्यों के समक्ष पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया । समिति के सदस्यों द्वारा जिसकी पुष्टि की गई ।

प्रभागीय अधिकारियों द्वारा 01-10-2011 से 31-12-2011 तक की अवधि की राजभाषा हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए शाखाओं में शतप्रतिशत कार्य राजभाषा हिंदी में करने का लक्ष्य बनाए रखें ।

अध्यक्ष महोदया ने तिमाही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शाखा प्रभारियों/प्रभागीय कार्यालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर हिंदी तिमाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अगले माह की 05 तारीख तक हिंदी भाषा मुख्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ।

मुख्य आयकर आयुक्त स्तर, हरियाणा क्षेत्र, आयकर भवन-सैक्टर-2, पंचकुला-134112

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र पंचकूला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2011-12 की जनवरी से मार्च तिमाही की बैठक दिनांक 23-03-2012 को मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्री जैड. एस. कलार की अध्यक्षता में अपराह्न 12.30 बजे कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई ।

मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्री जैड.एस. कलार ने अपने संबोधन में कहा कि जब भी आयकर आयुक्त अपने रेंज अधिकारियों अथवा आयकर अधिकारियों के साथ बैठक करें तो वे हिंदी में हो रहे कार्यों की भी समीक्षा बैठक में करें । जो भी प्रयास राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए आप कर सकते हैं वे अवश्य करें । हमारे कार्यालयों में काफी काम हिंदी में हो रहा है फिर भी इसके अतिरिक्त निर्धारण कार्यों में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है । हमारे पास जनशक्ति की कमी है परन्तु हम प्रयास करके छोटे निर्धारण आदेश हिंदी में कर सकते हैं । तिमाही रिपोर्टों में आंकड़े ठीक भरें और रिपोर्ट सही समय पर इस कार्यालय में भिजवाएं । विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं ताकि हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें । मुख्य आयकर आयुक्त महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

पूर्व मध्य रेल, कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा) हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37वीं बैठक दि. 21-03-12, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर श्री वरुण भरथुआर की अध्यक्षता में मुख्यालय के नए प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक श्री वरुण भरथुआर ने कहा कि हिंदी में कार्य करना हम सबका कर्त्तव्य है । उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस रेल में सभी को हिंदी का ज्ञान है और अधिकांश हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं ।

इस अवसर पर उन्होंने कुछ दिशा-निर्देश भी दिए, जैसे-हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करें । विज्ञापनों पर किए जाने वाले खर्च की 50% राशि हिंदी के विज्ञापनों पर तथा 50% राशि अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं पर खर्च की जाए । हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए । कार्यालय में प्रयुक्त सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा सक्रिय कर अधिकारी व कर्मचारियों को उनमें हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए । सभी रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक तथा प्रविष्टियां हिंदी में हों । नामपट्ट, सूचनापट्ट, बोर्ड व रबर की मुहरें आदि हिंदी-अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी हों । धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी में जारी किए जाएं । सभी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों को नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाएं ।

4202 HA/12—12A

उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने पर रेलवे बोर्ड भी निरंतर जोर दे रहा है । हाल में ही इस संबंध में रेलवे बोर्ड से सलाहकार (औद्योगिक संबंध) का भी अर्द्ध शासकीय पत्र प्राप्त हुआ है । उन्होंने सभी से स्वयं हिंदी में काम कर अपने सहयोगियों व अधीनस्थों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा ।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दिनांक 10 जुलाई, 2012 को अप. 3.00 बजे श्री बी.एम. बख्शी उप महानिदेशक (कार्य.) की अध्यक्षता में केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया ।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया । इसमें उन्होंने केंद्र के लिए पत्राचार, टिप्पणी, प्रशिक्षण आदि हेतु निर्धारित लक्ष्य का उल्लेख किया । इस पर उप महानिदेशक (कार्य.) श्री बी.एम. बख्शी ने कहा कि हम लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पूर्ण प्रयास करेंगे ।

उप महानिदेशक (अभि.) ने यह जानकारी दी कि केंद्र की बेबसाइट द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं और सभी महत्वपूर्ण जानकारी उस पर उपलब्ध होगी ।

आकाशवाणी, शिमला

आकाशवाणी शिमला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून, 2012 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 28-6-2012 को अपराह्न 3.00 बजे केन्द्राध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की गई । तदोपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के आह्वान तथा राजभाषा की प्रगति रिपोर्ट पर सभी सदस्यों का उत्साहवर्धन किया गया । अन्य बिंदुओं पर चर्चा इस प्रकार रही :-

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पत्रिका के प्रकाशन को यथा समय अंजाम देने हेतु सभी इच्छुक कर्मियों एवं हिमाचल स्थित अन्य आकाशवाणी केन्द्रों से लेख आदि आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2012 निर्धारित की जाए और साथ ही सबसे इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया ।

18 जुलाई, 2012 को नराकास की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों की बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए सदस्य सचिव श्री हीर चंद नेगी ने यह भी जानकारी दी कि नराकास द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत आकाशवाणी शिमला को भी आयोजन समिति में सम्मिलित किया गया है । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में केन्द्र के कर्मी भाग लें ।

सदस्य सचिव द्वारा निकट भविष्य में कुल्लु स्थित आकाशवाणी रिले केन्द्र का उक्त समिति द्वारा किए जाने वाले निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम से सभी को अवगत कराया गया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि सभी अधिकारी/कर्मी अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ।

सदस्य सचिव ने कहा कि 2012-13 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी देने हेतु यद्यपि कार्यालय परिपत्र जारी किया जा चुका है तथापि इसे अमली जामा पहनने की दृष्टि से विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा को कार्यसूची में इसलिए शामिल किया गया है ताकि किसी को इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो विस्तृत जानकारी दी जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव रखा कि कार्यालय द्वारा खरीदे जाने वाले फाईल कवर तथा लिफाफों (एन्वेलप) पर आकाशवाणी का कोई स्लोगन आदि छपा हो तथा जहां आवश्यक हो लोगो एवं द्विभाषी विवरण अंकित हो । इस पर सभी सदस्यों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे तुरन्त रूप से अमल में लाने पर बल दिया ।

भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन प्रकाश, पो. बा. 1155, बी-12/120, गौरीगंज, वाराणसी-221001

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2011-12 की अंतिम एवं चतुर्थ तिमाही की बैठक वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक की अध्यक्षता में दिनांक 30-03-2012 को सायं 4.00 बजे आयोजित की गई । राजभाषा अधिकारी ने सचिव

4202 HA/12—12B

(न.रा.का.स.) को बताया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन (भारत सरकार) के गृह मंत्रालय द्वारा उपक्रमों की शृंखला में आठ राज्यों के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वाराणसी मण्डल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पूरा योगदान रहा और आपके यहाँ होने वाली छमाही बैठकों एवं आपके दिशानिर्देशों के तहत कार्य करने का ही यह प्रतिफल है। तत्पश्चात् वाराणसी मण्डल को प्राप्त शील्ड का विमोचन अध्यक्ष, वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक ने किया। वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक ने सदस्यों को एवं राजभाषा परिवार को इसके लिए बधाई दी और कहा कि यह हमारे निगम के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सतत मेहनत का फल है। सचिव (न.रा.का.स.) ने कहा कि उपक्रमों की शृंखला में भारतीय जीवन बीमा निगम के वाराणसी मण्डल का प्रथम स्थान होना, हम सभी के लिए गौरव का विषय है। हम सभी 'क' क्षेत्र में आते हैं। अतएव हमारा नैतिक दायित्व है कि हम हिंदी में ही अपना काम करें और ऐसा हम करते भी हैं। हमें चाहिए कि अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों का सही लेखा-जोखा रखा जाए और उसका समुचित प्रस्तुतीकरण भी हो, निगम के वाराणसी मण्डल ने ऐसा करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

मण्डल कार्यालय में बने जाँच बिन्दु के आँकड़ों की समीक्षा करते हुए राजभाषा अधिकारी ने कहा कि दिसम्बर तिमाही में सभी विभागों का हिंदी पत्राचार शत-प्रतिशत है। शाखा के जाँच बिन्दु की समीक्षा के दौरान राजभाषा अधिकारी ने बताया कि इस तिमाही में शाखाओं का पत्राचार भी शत-प्रतिशत है। इस पर सभी सदस्यों ने प्रशंसा की।

अन्य विषय के चर्चा में केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के मंत्री श्री शम्भू नाथ पाण्डेय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव से आग्रह किया कि महोदय मैं आपके ध्यानाकर्षण हेतु आपसे यह अनुरोध करूंगा कि नगरों में कुछ स्थानों पर लगे कतिपय अधीनस्थ कार्यालयों के विज्ञापनों पर द्विभाषी शब्द लिखे होते हैं किन्तु उनमें हिंदी के शब्द अंग्रेजी के शब्दों के आगे छोटे हो जाते हैं। यदि महोदय अपने यहाँ आयोजित छमाही बैठकों में उन कार्यालयों से वार्ता के द्वारा उनसे यह अनुरोध करें कि हिंदी शब्द कहीं से भी अंग्रेजी शब्दों से छोटे न दिखें। हमारे मण्डल में लगभग प्रत्येक जगह ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में ही संपादित किया जा रहा है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय की टीम बधाई की पात्र है।

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

'ग' क्षेत्र

कोलकाता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 53वीं बैठक दिनांक 28-5-2012 को अपराह्न 3.30 बजे सुचिंतन, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, युनाइटेड टावर के सम्मेलन कक्ष, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार ने की। बैठक में विभिन्न सदस्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि ने नराकास (बैंक) कोलकाता का एक वेबसाईट बनाने का सुझाव दिया।

इसके पश्चात् सदस्य-सचिव ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, कोलकाता के उप निदेशक (कार्या.) श्री बी एन पांडेय से मार्गनिर्देश देने के लिए अनुरोध किया। श्री पाण्डेय ने अपने वक्तव्य में विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से दिए जाने वाले आंकड़ों की तथ्यपरकता पर बल दिया।

हिंदी प्रशिक्षण की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए उसे समय-सीमा के भीतर पूरा करने की सलाह दी तथा कंप्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा विशेषकर यूनिकोड द्विभाषी सॉफ्टवेयर की अनिवार्यता की चर्चा की।

30-09-2011 को समाप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने सर्व-प्रथम वैसे सदस्य कार्यालयों की सूची अपने कार्यालय को भेजने की सलाह दी, जो बैठक में अनुपस्थित थे एवं जिन सदस्य कार्यालयों ने अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट संयोजक बैंक को नहीं प्रेषित की थी। साथ ही कार्यालय प्रमुख को संबोधित करते हुए इस संबंध में नराकास सचिवालय की ओर से पत्र जारी करने की सलाह दी।

इसके साथ ही हिंदी प्रचार-प्रसार पर व्यय, सी बी एस में द्विभाषी प्रयोग एवं हिंदी कार्यशाला के लिए अच्छे संकाय-सदस्य तथा अभ्यास की जरूरतों पर विशेष रूप से चर्चा की ।

श्री राम नारायण सरोज, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, कोलकाता ने अपने वक्तव्य में हिंदी प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारी की संख्या को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्ति संभव हो सके । उन्होंने इस संबंध में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए उसका अधिकतम लाभ उठाने की सलाह दी । साथ ही उन्होंने नराकास (बैंक) कोलकाता द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित किए जा रहे सक्रिय प्रयासों की भी सराहना की । श्री सतीश कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुए नराकास (बैंक) कोलकाता के सदस्य कार्यालयों को शामिल कर नराकास के स्तर पर एक पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी ।

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के स्थानीय संयोजक श्री यमुना प्र. राय ने समिति की गतिविधियों की सराहना की तथा बैठक के दौरान हुई सार्थक चर्चा पर संतोष व्यक्त किया । साथ ही केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नराकास (बैंक) कोलकाता द्वारा इसकी खरीद कर सदस्य कार्यालयों के बीच वितरण का अनुरोध किया ।

अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, संयोजक बैंक के महाप्रबंधक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नीतियों, अपेक्षाओं एवं सांविधिक दायित्वों का जिक्र करते हुए उनके अनुपालन पर जोर दिया एवं बैठक के दौरान हुई सार्थक चर्चा के परिप्रेक्ष्य में उसे सम्यक ढंग से क्रियान्वित किए जाने की बात कही ।

अंत में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री डी पी चड्ढा, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नराकास (बैंक) कोलकाता द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पूर्व क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की ।

गुवाहाटी (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की 39वीं बैठक दिनांक 25-07-12 को गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केन्द्र में नराकास(उपक्रम) के अध्यक्ष एवं गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक श्री विश्वप्रिय दास जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । सहायक निदेशक श्री अशोक कुमार मिश्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशक(पूर्वोत्तर) श्री एस.एल.एस पूर्ति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे । अपने भाषण में अध्यक्ष श्री विश्वप्रिय दास जी ने व्यापक सूचना आदान-प्रदान के लिए नराकास(उपक्रम) की निजी website खोलने की जरूरतों पर जोर दिया । हिंदी के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने के लिए उन्होंने आग्रह किया ।

भारत सरकार की प्रतिनिधि, राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक(कार्या.) श्री अशोक कुमार मिश्र जी ने नराकास की महती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक नराकास का होना जरुरी है । हिंदी शिक्षण योजना के श्री एस एल एस पूर्ति जी ने प्रशिक्षण संबंधी अद्यतन जानकारी दी ।

सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट का समेकित स्लाइड प्रस्तुत करके अध्यक्ष नराकास(उपक्रम) तथा श्री अशोक कुमार मिश्र के द्वारा आकलन किया गया और इसके पश्चात् इसी के आधार पर विचार-विमर्श, सुझाव तथा नए-नए रचनात्मक प्रस्ताव लिए गए ।

हर वर्ष की भांति इस बैठक के दौरान नराकास(उपक्रम) की वार्षिक हिंदी पत्रिका 'प्रागज्योतिका' का दसवां अंक नराकास(उपक्रम) के अध्यक्ष तथा गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक श्री बी पी दास जी के करकमलों से लोकार्पण किया गया तथा उत्कृष्ट रचनाकारों को पुरस्कार व प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया ।

बैठक में कुल 31 सदस्य (कार्यालयों) के उपस्थित प्रमुख कार्यालयों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, भारतीय पटसन निगम, भारतीय खाद्य निगम(क्षेत्रीय), भारतीय खाद्य निगम (आंचलिक), स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नेराप्रेक, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, केंद्रीय रेशम बोर्ड, मुगा बीज संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय (केंद्रीय रेशम बोर्ड), नीपको, नेडफी, आयकर आयुक्त कार्यालय आदि थे । बैठक का समापन उपस्थित सभी के द्वारा 'सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा' सामूहिक गीत से हुआ ।

क 'क्षेत्र'

देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 49वीं बैठक दिनांक 16-7-2012 को अपराह्न 3.00 बजे बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के महाप्रबंधक श्री बी. बर्मन जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री बी. बर्मन जी ने कहा - "नराकास देवास की उनचासवीं व इस वर्ष की पहली बैठक में आप सभी का स्वागत है" ।

"चूंकि यह हमारी इस साल की पहली बैठक है इसलिए इसमें हम 2012 के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे । इस बार राजभाषा विभाग ने कुछ परिवर्तित लक्ष्य रखे हैं । वार्षिक कार्यक्रम की एक-एक प्रति आप सभी को प्रदान की गई है, कृपया उसे अपने-अपने कार्यालयों में परिचालित कर कर्मचारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का अनुरोध करें । वैसे हमारी समिति का कार्य हमेशा से ही अच्छा रहा है। यही कारण है, कि मध्य क्षेत्र की 55 से अधिक समितियों में जिनमें कई बड़ी समितियां भी शामिल हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा लेते हुए बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति और समय पर रिपोर्टों का प्रेषण नहीं हो पाने जैसे कुछ छोटे-मोटे कारणों से हम पहला पुरस्कार पाने से वंचित रह जाते हैं । मेरी आपसे गुजारिश है कि इस साल इस कमी को पूरा कर लें ताकि एक बार फिर समिति अखिल भारतीय इंदिरा गांधी सम्मान प्राप्त करने का इतिहास दोहरा सके । इस साल भी हिंदी दिवस के अवसर पर प्रकाशित होने वाली हमारी पत्रिका इसी गुणवत्ता के साथ प्रकाशित हो इसके लिए आप सभी का रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है । आगामी माह हिंदी सप्ताह के दौरान हमें एक साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित करने हैं । संयुक्त हिंदी सप्ताह तथा गांधर्व के सफल प्रकाशन हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित है । यह समिति आप सभी की समिति है। अभी तक आपने इसे देश की एक चर्चित समिति बनाने में जो योगदान दिया है वह प्रशंसनीय है। आगे भी आपका ऐसा ही सहयोग, समर्थन और स्नेह मिलता रहेगा इसी आशा के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

भोपाल से पधारे विशिष्ट अतिथि श्री विनोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) के सुझावनुसार यह निर्णय लिया गया कि बैंक/बीमा आदि समस्त सदस्य कार्यालयों को समूहवार पृथक कर प्रति तिमाही संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बैंगलोर, चैन्नई व अहमदाबाद नराकास की वेबसाईट की तरह नराकास, देवास की वेबसाइट भी बनाई जाये । इस पर सहा. प्रबंधक (आई.टी.) ने पावर पाईट प्रस्तुति देकर वेबसाईट की उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला । बी एन पी के ही श्री ओम वर्मा, संपादक "बैनोप्रिन" ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सुझाव दिया कि ऐसी किसी वेबसाइट में वे नियमित रूप से साहित्यिक विचार, लेख, अन्य रचना, शब्दज्ञान, पहेली या ऐसी जानकारी पोस्ट कर वेबसाइट को और भी उपयोगी बना सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति प्रदान की ।

सिंडिकेट बैंक के श्री मधुर कुमार मिश्रा ने बताया कि जबलपुर में नराकास द्वारा सिंडिकेट बैंक के सहयोग से यूनिकोड पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था । सभी ने करतल ध्वनि से इसे सराहा । श्री शर्मा, उप निदेशक (कार्या.) ने भी कहा कि यूनिकोड हमारे हाथ में दिया गया ब्रह्मास्त्र है और काम करने वाले का ज्ञान अद्यतन होना चाहिए इसलिए यूनिकोड से सारा काम आसान हो जाएगा । यदि कोई शब्द अंग्रेजी में उचित लग रहा है तो वैसा ही लिख लें सिर्फ संकल्प की जरूरत है ।

दिल्ली (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यावयन समिति (उपक्रम), दिल्ली की 35वीं बैठक व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 26-7-2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे स्कोप ऑडिटोरियम, लोदी रोड, नई दिल्ली में किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सचिव (राजभाषा), भारत सरकार श्री शरद गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं आलोचक प्रो. नामवर सिंह ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी । आयोजन में समिति के संरक्षक एवं सेल के निदेशक (कार्मिक) श्री एच. एस. पति, सेल के कार्यपालक निदेशक (का. एवं प्रशा.) श्री भागीरथि धल, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री शैलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे ।

श्री धल ने सभी अतिथिगण एवं सदस्य उपक्रमों के उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत कराया कि हमारा प्रयास केवल बैठकों तक ही सीमित नहीं

4202 HA/12—13A

रहा अपितु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सदस्य उपक्रमों को आपस में जोड़ने का भी रहा है। नराकास (उपक्रम), दिल्ली ने विगत एक वर्ष में विभिन्न उप समितियों का गठन करके अनेक गतिविधियां की हैं। सभी सदस्य उपक्रमों के सहयोग से छः मासिक पत्रिका 'इंद्रप्रस्थ स्वर' का प्रकाशन करने के साथ नराकास की अलग से वेबसाइट बनाई गई। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी हैं जैसे आज भी सभी कार्यालयों में यूनिकोड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए अब हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी यूनिकोड इंस्टाल करवाएं और लोगों को उनके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित करें। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों के लिए भी राजभाषा संबंधी विशेष कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह हिंदीतर भाषी कार्मिक भी हिंदी का अधिकतम उपयोग करें, इसके लिए विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों द्वारा उनमें हिंदी में रुचि जागृत की जा सकती हैं।

निदेशक (कार्मिक) श्री एच.एस. पति जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि नराकास की संस्था हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बनी है। अपनी भाषा का विकास होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति गर्व व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि वे प्रशासनिक तौर पर अपनी ओर से इसके विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा "यह बात सिद्ध है कि मानीटरिंग के बिना सुधार नहीं दिखाई देता, अत: जरूरी है कि हर निर्णय की मानीटरिंग की जाए। उन्होंने कहा उपसमितियों की बैठकें नियमित रूप से हों और उनमें लिए जाने वाले निर्णयों की समय-समय पर मानीटरिंग होती रहे।" उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को गति देने के लिए नगर स्तर पर नराकास एक बड़ा मंच है जिसके माध्यम से सभी सदस्य उपक्रम मिलकर संगठित प्रयासों से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि इस बैठक में सभी प्रतिष्ठानों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और सदस्यों को मेनस्ट्रीम में लाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि सभी सदस्यों के सहयोग से 'इंद्रप्रस्थ स्वर' पत्रिका का प्रकाशन और वेबसाइट का बनाया जाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज इन दोनों के लांच होने के बाद इनका इस्तेमाल करना हम पर निर्भर करता है। वेबसाइट के लिए जरूरी है कि उसका नियमित अपडेशन होता रहे, सभी लोग उसे एक्सेस करें, उसमें सूचनाएं शेयर करें और मानीटरिंग करते रहें। उन्होंने सभी सदस्य उपक्रमों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के प्रति सजग रहने और अपेक्षित कार्रवाई करने का आह्वान किया।

सदस्य उपक्रमों द्वारा संशोधित प्रोफार्मा में नराकास सचिवालय को भेजी गयी छ:माही रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने बधाई दी और कहा कि सेल की अध्यक्षता में विभिन्न उप-समितियां बनाकर राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कार्यों को गति देने के लिए सभी सदस्यों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं।, जिससे इसे नई दिशा प्राप्त हुई है। उन्होंने आशा जताई कि यह समिति देश की सर्वश्रेष्ठ नराकास समितियों में अपना स्थान बनाएगी। उन्होंने कहा कि 92 सदस्यों में से 77 सदस्यों की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनकी समीक्षा से ज्ञात हुआ कि सभी कार्यालयों में राजभाषा की स्थिति कमोवेश बेहतर है लेकिन कुछ सदस्य जैसे कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी, कोल इण्डिया लि. अभी भी लक्ष्य से पीछे हैं। उन्होंने राजभाषा में सराहनीय कार्य के लिए नेशनल सीड्स कार्पोरेशन, पावर ग्रिड कार्पोरेशन, हुडको, सेल, एनटीपीसी, सेंट्रल वेयर हाऊस कार्पोरेशन, एमएमटीसी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धारा 3(3) और नियम 5 का शत प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है। सभी कार्यालय प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर बनाएं और प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करें। कार्यालय में द्विभाषी कंम्यूटरों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 90% कार्यालयों में कंप्यूटर यूनिकोड समर्थित हैं किन्तु कुछ कार्यालय जैसे इण्डियन रेलवे फाइनांस कार्पोरेशन, कोल इण्डिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, नेशनल शेड्यूल ट्राइब, सेंट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस, न्यू इण्डिया एश्योरेंस, खादी ग्रामोद्योग, सीमेण्ट कार्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि में कम्प्यूटरों को शीघ्र यूनिकोड समर्थित किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने अधिक से अधिक हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने पर जोर दिया तथा इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रही कंपनियों जैसे हिंदुस्तान प्रीफैब, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस, भारतीय कण्टेनर कार्पोरेशन, सेल, भारतीय निर्यात ऋण गारण्टी निगम और

4202 HA/12—13B

और विशेष रूप से एनटीपीसी, आरईसी लिमिटेड तथा एफसीआई की सराहना की ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा मंचासीन महानुभावों द्वारा नराकास पत्रिका "इन्द्रप्रस्थ स्वर" के प्रवेशांक का विमोचन भी किया गया । सदस्य सचिव ने सदन को बताया कि पत्रिका के प्रकाशन में सभी सदस्य कार्यालयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया है । साथ ही नराकास (उपक्रम) दिल्ली की वेबसाइट का अनावरण किया गया । इसी क्रम में प्रो. नामवर सिंह को हिंदी में उनके कृतित्व और अद्वितीय योगदान के लिए "नराकास साहित्य सम्मान" से सम्मानित किया गया ।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदी के सुप्रतिष्ठित साहित्यकार एवं आलोचक प्रो. नामवर सिंह जी ने कार्यक्रम में भाग लेने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा "मैं यहां दो शब्द साझा करने आया था परन्तु आप सब ने मुझे मालामाल कर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं । हिंदी को औपचारिकता में न बांधें उसे भाषा ही बने रहने दें, तभी वह सहज हो सकेगी । जरूरी है कि आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को लेकर हिंदी को आगे बढ़ाया जाए फिर उनसे शब्दकोश अपने आप बन जाएंगे"। हिंदी भाषा के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल की जो खिचड़ी भाषा हिंगलिश है उससे हमें परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि विभिन्न भाषाओं से प्रचलित शब्दों को लेकर ही भाषा समृद्ध होती है । अपनी बात की पुष्टि उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का उदाहरण देकर की कि हर वर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विभिन्न भाषाओं से तथा विशेषकर हिंदी से नए शब्द अपने शब्दकोश में जोडंती है और यही गुण अंग्रेजी को विश्व की सबसे बड़ी भाषा बनाता है । जरूरत नए शब्दों को गढ़ने की नहीं है बल्कि प्रचलित शब्दों को अपनाने की है, चाहे वह अंग्रेजी से लिए गए हों, संस्कृत से या अन्य भारतीय भाषाओं से । उन्होंने कहा कि गांधी जी जो स्वयं गुजराती थे तथा जिनकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई, वे स्वयं बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। उन्होंने भारत देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखा, उसे अपनाया और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया । हिंदी को सभी ने स्वीकारा और वह देश की संपर्क भाषा बन गई। हिंदी भाषा आम जनता के मध्य खूब बोली जा रही है, अनेक प्रकाशन भी हो रहे हैं यहां तक कि विदेशी प्रकाशक भी हिंदी भाषा में पुस्तकें छाप रहे हैं परंतु प्रशासन के क्षेत्र में अभी भी हिंदी का प्रयोग कम ही हो रहा है। प्रो. नामवर सिंह जी ने सभा से कहा वे आशावादी हैं और आशा करते हैं कि सभी हिंदी भाषा को मन से अपनाएंगे तथा मूल रूप से कार्य सरल हिंदी में करना प्रारंभ करेंगे ।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री शरद गुप्ता, सचिव (राजभाषा) भारत सरकार ने कहा कि मैं आया तो था एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने परंतु यहां आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ है क्योंकि मुझे प्रो. नामवर सिंह जी से मिलने का, उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । हिंदी भाषा पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक हिंदी भाषा का सवाल है, संविधान में हिंदी भाषा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उनसे हम सब अवगत हैं, परंतु सिर्फ इससे ही काम नहीं चलता है और जोर देकर इसे लागू करना भी उचित नहीं है । सभी को हिंदी को माता के समान आदर से देखना चाहिए । उन्होंने एक संस्मरण सुनाते हुए कहा कि हिंदी के सेवकों का जितना सम्मान होगा हिंदी भाषा का भी उतना ही सम्मान होगा । उन्होंने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि हिंदी में कार्य करना अत्यंत सरल है, जो मन के भाव हों उन्हें सरल भाषा में लिखा जा सकता है। माननीय सचिव महोदय, जो स्वयं भौतिकी के विद्यार्थी रहे हैं, ने हिंदी के दो रूप - पहला जो बहुत सरल है तथा दूसरा जो साहित्यिक है - में अंतर समझाते हुए स्वरचित दो सुंदर छंद "हमारा नया घर" तथा "शाश्वत अस्तित्व" सुनाए और आग्रह किया कि इनमें से किसी भी रूप को अपनाया जा सकता है । उन्होंने कहा कि हिंदी बोलें, हिंदी लिखें और गर्व का अनुभव करें । उन्होंने प्रेरणास्वरूप वाक्य से अपने वक्तव्य को विराम दिया कि हिंदी जानने का यह कदापि अर्थ नहीं होता व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता ।

इस अवसर पर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु उत्कृष्ट पत्रिका प्रकाशन के लिए विजेता उपक्रमों को सचिव महोदय द्वारा नराकास शील्ड से सम्मानित किया गया । प्रथम पुरस्कार सेल की गृहपत्रिका "इस्पात भाषा भारती", द्वितीय पुरस्कार एअर इंडिया की 'विमानिका' को, तृतीय पुरस्कार बीएसएनएल की गृह पत्रिका 'संचार सारिका' को और विशेष प्रशंसा पुरस्कार एनटीपीसी की 'विद्युत स्वर', भारतीय कंटेनर निगम की 'मधुभाषिका', दि हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 'बढ़ते कदम' हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की 'ताम्रलिपि' और

केंद्रीय भण्डारण निगम की गृह पत्रिका 'भण्डारण भारती' को प्रदान किये गए।

इसके बाद विचार-विमर्श का दौर प्रारंभ हुआ। एन टी पी सी के अपर महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसे आयोजन में सभी प्रतिभागियों को भेंटस्वरूप हिंदी की कोई पुस्तक दी जानी चाहिए। इसका व्यय स्वेच्छा से किसी भी सदस्य उपक्रम द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है। उन्होंने पूर्व में दिए गये सुझाव का हवाला देते हुए कहा कि नराकास की अगली बैठक या सभी के सहयोग से एक सम्मेलन सेल के किसी संयंत्र में किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, सदस्य सचिव ने अक्तूबर-नवम्बर माह में नराकास स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के लिए सदस्य उपक्रमों से नाम आमंत्रित किए। एनटीपीसी, ईआइएल, गेल (इण्डिया) लि., बी एच ई एल, आर ई सी लि., एन बी सी सी, एच पी सी एल, पी एफ सी, ई पी आई, कॉनकार, सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पो., एफसीआई ने इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए स्वेच्छा से अपने नाम दिए। सदस्य सचिव ने कहा कि इन सबकी शीघ्र ही बैठक बुलाकर प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार की बैठक दिनांक 20-3-2012 को अपराह्न 02:00 बजे आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री अशोक कुमार सरोहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में सर्वप्रथम समिति के नये अध्यक्ष एवं आयकर आयुक्त हिसार श्री अशोक कुमार सरोहा का अभिनंदन किया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष, न.रा.का.स., हिसार ने अपने प्रथम अभिभाषण में कहा कि राजभाषा हिंदी एक सशक्त भाषा है। जिसकी अपनी सार्थकता है। हिंदी के मुकाबले कोई अन्य भाषा में कार्य करने से उतनी सशकतता नहीं मिलती जितनी इस भाषा में करने से मिलती है।

यह देखा गया कि इस बैठक में सदस्य कार्यालयों के स्थानीय मुखियाओं की उपस्थिति बहुत कम थी। इतनी कम संख्या में सदस्य कार्यालयों के स्थानीय मुखियाओं की उपस्थिति राजभाषा हिंदी के प्रति उदासीनता को दर्शाती है। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि जिन अधिकारियों के प्रतिनिधि यहां आए हैं वे यह सन्देश अपने अधिकारी को दे दें। अध्यक्ष महोदय ने सचिव महोदय को यह भी निर्देश दिए कि वे अनुपस्थित कार्यालय प्रमुखों/ अध्यक्षों को पत्र लिखें और स्थिति से अवगत करवायें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक पूरक बैठक का शीघ्र ही आयोजन किया जाए।

सचिव महोदय ने यह बताया कि बार-बार अनुरोध करने के पश्चात् भी सदस्य-कार्यालय अपनी-अपनी छमाही रिपोर्ट समय से सचिवालय को नहीं भिजवा रहें हैं। रिपोर्टें न मिलने के कारण समीक्षा करना असम्भव हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें रिपोर्टें समय से नहीं प्राप्त हो रही हैं। और सभी सदस्य कार्यालयों के मुखियाओं से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी छमाही रिपोर्ट की प्रति समय से इस समिति को भिजवाना सुनिश्चित करें। सचिव महोदय ने यह अवगत करवाया कि सचिवालय को रिपोर्टें समय से प्राप्त नहीं होती हैं। जब तक सचिवालय को रिपोर्टें प्राप्त नहीं होती तब तक समीक्षा करना असम्भव हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि अब रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती हैं तो सम्बन्धित कार्यालय के स्थानीय मुखिया ही जिम्मेवार होंगे।

सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सचिव महोदय ने माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अवगत करवाया कि चालू वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है और उम्मीद की कि सभी ने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया होगा। और विनती की कि इस सम्बन्ध में लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धी अपनी अनुपालना रिपोर्ट सचिवालय को भिजवाएं ताकि पूर्ण रिपोर्ट गृह-मंत्रालय को भेजी जा सके। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी ने लक्ष्य के अनुरुप ही कार्य किया होगा।। अध्यक्ष महोदय ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि कार्य-योजना को ध्यान में रखते हुए पत्राचार के प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना, समिति की नियमित बैठक करना, धारा 3 (3) का अनुपालन, जिन पत्रों का जबाव नहीं दिया जाता उनकी पावती भेजना, जाँच बिन्दुओं की स्थापना और सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करना इत्यादि कार्य करने होगे।

मण्डी

मण्डी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 11-6-2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विस्को रिजोर्ट, मण्डी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयकर अपर आयुक्त एवं समिति अध्यक्ष श्री आर.एस. मेहता ने की।

चित्र समाचार

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री आर. के. कालिया, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में 24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुवाद-कौशल-अभिवृद्धि विषय पर एक आंतरिक परिसंवाद में मुख्य अतिथि के रूप में रूसी-हिंदी के विश्व प्रसिद्ध अनुवाद-विशेषज्ञ श्री मदनलाल मधु का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए ब्यूरो के निदेशक डॉ. एस. एन. सिंह ।

दिनांक 10-02-2012 को बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली अंचल द्वारा ''अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट बनाम भारतीय अर्थव्यवस्था'' विषय पर अखिल भारतीय स्तर की संगोष्ठी के आयोजन पर संबोधित कर रहे हैं श्री संजीव पाठक, मुख्य प्रबंधक, मानव संसाधन विकास विभाग, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली। मंच पर (बाएं से दाएं) बैठे हैं श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, विशेष अतिथि श्री एस. के. मल्होत्रा, निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मुख्य अतिथि डॉ. तरसेम चन्द, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री डी. पी. भटेजा, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय एवं श्री ए. पी. महान्ति, आंचलिक प्रबंधक, नई दिल्ली अंचल ।

दिनांक 14-06-2012 को बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में कार्यरत मुख्य प्रबंधकों हेतु आयोजित ''बैंकों में विपणन का महत्व'' विषय पर हिंदी संगोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (नीति/तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय संबोधित करते हुए । सामने बैठे हैं श्री आर. सी. खुराना, महा प्रबंधक, उनके दाएं ओर बैठे हैं श्री ए. के. वर्मा, आंचलिक प्रबंधक ।

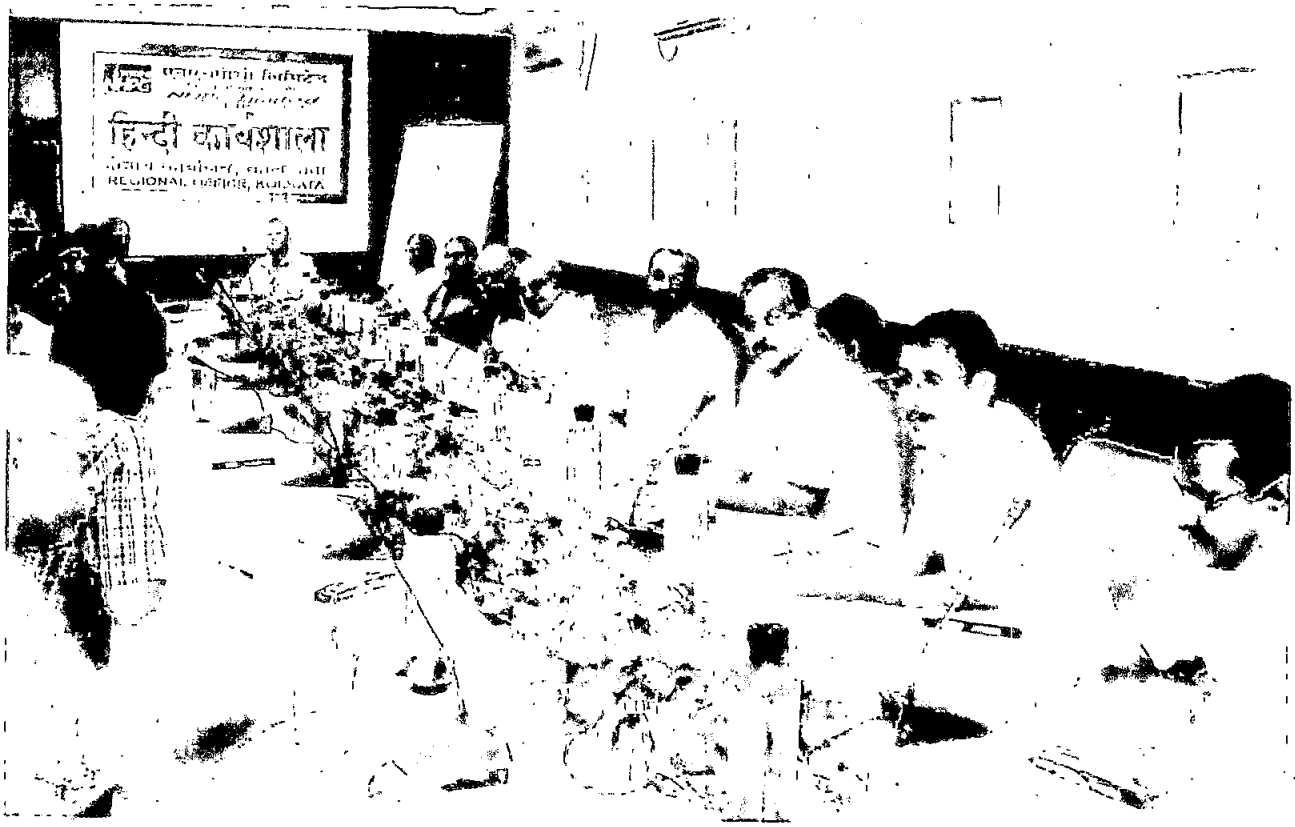

एन. एच. पी. सी. लि. क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला की झलक ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर द्वारा राजभाषा कार्यशाला की झलक ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद में दिनांक 27-6-2012 को आयोजित 'हिंदी कार्यशाला' में अध्यक्षीय भाषण देते हुए निदेशक (प्र.) डॉ. एम. ए. खुद्रूस ।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जयपुर द्वारा आयोजित 21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की एक झलक ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि नराकास की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैठक में की जाने वाली चर्चा को और अधिक सकारात्मक बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के दायित्व का निर्वाह हम गम्भीरता पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है तथा इस के प्रचार व प्रसार का सभी कार्यालयों के प्रमुखों का विशेष दायित्व है। अत: इस संबंध में सौपे गए दायित्व का हमें पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए। इस संबंध में गठित संसदीय राजभाषा समिति एक संवैधानिक संस्था है जिसके द्वारा भारत सरकार के कार्यलयों में हिंदी में हो रहे कार्य का समय-समय पर निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती है। इस निरीक्षण एवं समीक्षा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी विशेष उत्तरदायित्व होता है। राजभाषा विभाग द्वारा भी समय-समय पर नराकास एवं भारत सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों के निरीक्षण किए जाते हैं। अत: यह हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है कि हम सरकार तथा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गम्भीरता पूर्वक प्रयास करें। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि समिति की बैठकों में सभी कार्यालय प्रमुख स्वयं भाग लें। ऐसा करने से बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समिति की अगली बैठक में सभी कार्यालय प्रमुख स्वयं उपस्थित होंगे तथा बैठक में की गई चर्चा और अधिक सार्थक सिद्ध होगी।

सोनभद्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सोनभद्र की 9वी बैठक श्री जय नारायण सिंह, महाप्रबंधक एनटीपीसी/सिंगरौली की अध्यक्षता में एनसीएल खडिया परियोजना के सम्मेलन कक्ष में दीप प्रज्जवलित करके आयोजित की गई। बैठक में सोनभद्र जिले में स्थित केंद्र सरकार के 36 से अधिक विभागों के प्रमुख/प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें एनसीएल खडिया, ककरी, बीना एनटीपीसी शक्तिनगर, रिहंदनगर, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम शक्तिनगर, बैंक आफ बडौदा अनपरा, ओबरा, राबर्टसगंज, इलाहाबाद बैंक खडिया, सीआईएसएफ अनपरा, शक्तिनगर यूबीआई, बीएसएनएल प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढाने के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुपालन, पत्राचार बढ़ाने, तिमाही बैठक समय पर आयोजित करने और तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजने तथा हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से पधारे श्री राकेश कुमार जी ने वार्षिक कार्यक्रम 2012-13 के हिंदी लक्ष्यों पर ध्यान आकर्षित किया और अनुपालन हेतु संयक मार्गदर्शन किया। बैठक का संयोजन सदस्य सचिव आदेश पांडेय द्वारा किया गया।

फरीदाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद की वर्ष 2012-13 की पहली बैठक श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी लिमिटेड की अध्यक्षता में दिनांक 8-6-2012 को अपराह्न 3.00 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनएचपीसी लिमिटेड कार्यालय परिसर में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में कार्यपालक निदेशक (मा.सं. व विधि), एनएचपीसी ने माननीय श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) एवं पीठासीन अध्यक्ष महोदय एवं विभिन्न सदस्य कार्यालयों से आए प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमारे माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के निर्देशन में हमारे निगम में राजभाषा संबंधी गतिविधियों को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि हिंदी के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष भी हमारे निगम को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार दो वर्षों से हमारे निगम को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। यह हमारे निगम के लिए बड़े ही गौरव की बात है।

बैठक की निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही शुरू करने से पूर्व नगर राजभाषा शील्ड योजना के तहत वर्ष 2010-2011 के विजेता कार्यालयों को निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी एवं पीठासीन अध्यक्ष महोदय के कर-कमलों से पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

बैठक में पीठासीन अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अपने कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना हमारा संवैधानिक

एवं नैतिक दायित्व है । उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में सरल हिंदी का प्रयोग करने का आग्रह किया । उन्होंने नराकास, फरीदाबाद के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, किन्तु कुछ कार्यालय लक्ष्य से बहुत पीछे हैं । उन्होंने कहा कि राजभाषा की प्रगति के लिए हमें सभी संभव प्रयास करने होंगे । उन्होंने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2012-13 में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गंभीर एवं ठोस उपाय अपनाने पर जोर दिया ।

उन्होंने नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं तथा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि नराकास का कार्य सार्थक रूप में तभी आगे बढ़ेगा जब मिले-जुले प्रयासों से कठिनाईयों को दूर करेंगे ।

इससे पूर्व बैठक में सदस्य सचिव ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हिंदी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत की तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम 2012-13 में दी गई मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में बताया । साथ ही उन्होंने आगामी छह माह के दौरान आयोजित किए जाने वाले भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी । बैठक में विभिन्न सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को रखा ।

जोधपुर

दिनांक 22-6-2012 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उ.प. रेलवे, जोधपुर में जोधपुर नगर राजभाषा कार्यान्यन समिति की बैठक श्री राजेन्द्र जैन अध्यक्ष नराकास एवं मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह समिति राजभाषा प्रयोग प्रसार की दृष्टि से सदैव अग्रणी रही है । संघ की राजभाषा नीति का मूल उद्देश्य हिंदी को जनमानस की भाषा के रूप में विकसित करना है ताकि सरकारी गतिविधियों व उपलब्धियों को आमजन तक आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें । इस नीति से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ-साथ जनमानस में हमारी विशेष पहचान स्थापित होगी ।

श्री जैन ने कहा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा प्रयोग व प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आदेश - निर्देश जारी किए जाते हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना हमारी प्रशासनिक जिम्मेदारी है । हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में आवश्यकतानुसार हिंदी पदों का सृजन कियां जाए ।

आज के सूचना एवं तकनीकी प्रधान युग में कम्प्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुए श्री जैन ने कहा कि कार्यालय में प्रयुक्त कंप्यूटरों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को हिंदी कुंजीयन का प्रशिक्षण विभागीय स्तर पर दिलाया जाए ।

श्री जैन ने बताया कि संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । प्रशासनिक प्रधान द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर पहल की जाए तो निश्चित रूप से हिंदी के प्रयोग प्रसार में आशातीत वृद्धि दर्ज होगी ।

इसके उपरांत श्री रेवती लाल मीणा, सचिव नराकास एवं वरि. राजभाषा अधिकारी ने बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा की । चर्चा के दौरान श्री मीणा ने बताया कि इस समिति में कुल 71 सदस्य कार्यालय हैं । श्री मीणा ने आंकड़ों की सत्यता पर बल देते हुए कहा कि बैठक संबंधी आंकड़े इस कार्यालय को भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि ये आँकड़े तथ्यपरक और सही हों ।

श्री मीणा ने बैठक में सहभागिता पर बल देते हुए कहा कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के वर्तमान निर्देशानुसार नराकास की बैठक में सभी कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों को भाग लेना अनिवार्य है । अपरिहार्य कारणों से ही किसी अगले अधिकारी को इस बैठक में सहभागिता के लिए नामित किया जाये । चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री मीणा ने कहा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । इसमें किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। कृपया इस धारा के अंतर्गत जारी होने वाले कागजात आवश्यक रूप से द्विभाषी रूप में जारी करवाएं ।

बैठक के दौरान चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समिति सचिव ने राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2012-13 में वार्षिक कार्यक्रम में निहित लक्ष्यों के बारे में मदवार चर्चा करते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे विभागीय लक्ष्यों के साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करें ।

बुलंदशहर

बुलंदशहर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 19-01-2012 को दोपहर 3.30 बजे पंजाब नैशनल बैंक, बुलंदशहर मंडल प्रमुख, श्री वी.के. शर्मा, उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर-2), गाजियाबाद बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे ।

श्री राकेश कुमार ने कहा कि सदस्य कार्यालय मिल-जुल कर समिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं । उन्होंने कहा कि कुल 29 कार्यालयों में से 18 कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। श्री राकेश कुमार ने कहा कि उन्होंने पाया है कि कार्यालय हिंदी में काम करने की इच्छा रखते हैं किंतु उन्हें जानकारी का अभाव है । उन्होंने आगे कहा कि सदस्य कार्यालय अपने कंप्यूटरों में यूनिकोड लोड करें जिससे हिंदी पत्राचार में बढ़ोत्तरी होगी । उन्होंने कहा कि कंप्यूटरों में हिंदी आ गई, आप उससे जुड़ गये तो समझें कि हिंदी स्वयमेय आ जाएगी । उन्होंने बैंकिंग कार्य को पेपरलैस बनाने का सुझाव भी दिया । अपनी समीक्षा के दौरान उन्होंने राजभाषा नियम 5 और राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के महत्व की जानकारी भी दी । उन्होंने रिपोर्ट भरते समय आंकड़ों की सत्यता पर विशेष ध्यान देने को कहा । श्री राकेश कुमार ने बल दे कर कहा कि सभी सदस्य वर्ष में 2-3 घंटे अपनी हिंदी भाषा के लिये अवश्य निकालें । उन्होंने नराकास बुलंदशहर के तत्वावधान में हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन, पत्रिका प्रकाशन, वैबसाइट निर्माण, राजभाषा शील्ड प्रदान आदि करने, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करने पर भी बल दिया । श्री राकेश कुमार ने सभी सदस्य कार्यालयों को अपनी तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से उनके कार्यालय में भिजवाने के निर्देश भी दिये । उन्होंने हिंदी में टिप्पण-प्रारूपण करने पर भी बल दिया ।

समिति के अध्यक्ष श्री वी.के. शर्मा, मंडल प्रमुख, पंजाब नैशनल बैंक ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि हम सभी हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी में सोचते हैं इसलिये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने कार्यालयों का कार्य भी हिंदी में करें । उन्होंने कहा कि हिंदी आसान है। उन्होंने क्लिष्ट शब्दों को देवनागरी में लिखने का सुझाव दिया । उन्होंने सदस्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि हिंदी में काम करने से बिल्कुल भी न झिझकें । श्री शर्मा ने कहा कि बुलंदशहर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का उद्देश्य सदस्य कार्यालयों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है । उन्होंने समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों से स्वयं भाग लेने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे बैठक में लिये निर्णयों पर अनुपालन शीघ्र संभव हो सकता है । श्री शर्मा ने कहा कि राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) का सहयोग हमेशा मिलता है । उन्होंने श्री राकेश कुमार के बैठक में पधार कर सदस्य कार्यालयों का मार्गदर्शन करने पर आभार व्यक्त किया ।

(घ) कार्यशालाएं

'ग' क्षेत्र

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में 62वीं हिंदी कार्यशाला

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 28 व 29 जून, 2012 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में भारी पानी संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ नराकास सदस्य कार्यालयों से भी नामांकन प्राप्त किए गए जिसमें सीमा शुल्क विभाग, भारतीय डाक विभाग, नमक विभाग, केन्द्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र इत्यादि कार्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित थे ।

कार्यशाला का उद्घाटन भारी पानी संयंत्र के विशेष कार्याधिकारी एवं नराकास, तूतीकोरिन के अध्यक्ष श्री एस. परमसिवम ने किया । श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक ने

विशेष कार्याधिकारी, प्रशासन अधिकारी श्री एस एस भूपति एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया । इस अवसर पर प्रशासन अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की आवश्यकता है । जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं हैं, उन्हें हिंदी में कार्यासाधक ज्ञान देने के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ में प्रशिक्षण सुचारु रूप से दिया जाना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ भी हैं, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। अत: हमें एक साथ बैठकर उस पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए । अपने उद्घाटन भाषण में श्री एस. परमसिवम ने कहा कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सीखाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन एवं सुविधाएं दे रहा है । हमें अपने कार्य समय में से कुछ समय निकाल कर उस दिशा में आवश्यक कदम उठाना है । हमें इसके लिए आगे बढ़ना होगा । तब ही जाकर हमारा लक्ष्य पूरा होगा । हमें इसके लिए अपनी कोशिश एवं समय देना होगी । तब जाकर हम उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

कार्यशाला में कुल 21 प्रतिभागी थे । कार्यशाला में हिंदी व्याकरण, हिंदी शिक्षण योजना पर चर्चा, प्रोत्साहन योजनाएं, हिंदी प्रबोध एवं प्रवीण प्रश्न पत्रों पर चर्चा ताकि लोगों को परीक्षा में बैठने में होने वाली झिझक को दूर किया जा सके। इनके साथ-साथ प्रशासनिक विषय जैसे समय व्यवस्था, सुरक्षा जागरुकता विषय पर भी व्याख्यान दिए गए । व्याख्याता श्री एस.एस भूपति, प्रशासन अधिकारी, श्री पी.टी. मणि, सहायक कार्मिक अधिकारी, श्री महेश कुमार आजाद पोलाकी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री क्रुज मुत्तु, हिंदी अध्यापक, श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक और श्रीमती जी. भाग्यवती, वरिष्ठ लिपिक थे ।

दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का समापन राष्ट्र गीत के साथ हुआ ।

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर भवन, महात्मा गांधी रोड, शिलांग- 793001

राजभाषा के प्रचार-प्रसार तथा सरकारी काम-काज में हिंदी में कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग में गत 28-29 जून को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में आयकर विभाग, शिलांग क्षेत्र के कार्मिक शामिल हुए । एल.आर. लांबा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यशाला में राजभाषा नीति/अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को हिंदी सीखने और उसका उपयोग सरकारी कार्य में करने की अपील की । उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए, जिससे कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग में सार्थक सुधार हो सकें। मनीष कुमार शाह, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने यूनिकोड पर हिंदी कार्य करने के बारे में जानकारी दी । इस आशय की जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई ।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, अरूणाचल प्रदेश पुराना सचिवालय भवन, कैन्टानमेंट एरिया, गुवाहाटी-शिलांग रोड़, शिलांग (मेघालय)

इस मुख्यालय द्वारा राजभाषा संबंधी सांविधिक प्रावधानों, राजभाषा नीति के नवीनतम उपबंधों, राजभाषा नीति का अपने-अपने कार्यालय में कार्यान्वयन, राजभाषा संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से तथ्यात्मक आंकड़ों के प्रेषण एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कार्यालयों में राजभाषा में किए जा रहे कार्यों को पूरी उत्कृष्टता के साथ परिलक्षित करने पर चर्चा आदि के उद्देश्य से 10वीं बटालियन, किमिन, जिला-परम्पारे, अरूणाचल प्रदेश में 22-5-2012 से 24-5-2012 तक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त, एक सामान्य हिंदी कार्यशाला के विषयों को भी शामिल किया गया । इस कार्यशाला में सिक्किम स्थित पेगांग से अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर एवं तेजू तक तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की प्रत्येक ईकाई से एक-एक कर्मी द्वारा भाग लिया गया । इस प्रकार कुल 10 कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया ।

आरंभिक संबोधन में इस कार्यशाला के संचालक श्री संजय गर्ग, सहायक सेनानी (राजभाषा) द्वारा हिंदी कार्यशालाओं के इतिहास से अवगत करवाते हुए इस कार्यशाला के आयोजन के प्रमुख उद्देश्यों से अवगत करवाया गया । तदोपरांत इस कार्यशाला के आरंभ की विधिवत् घोषणा श्री मनीष कटारिया, कमांडेंट 10वीं बटालियन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा की गई । अपने संबोधन में उन्होंने कार्यालयों में सरल और व्याकरण की दृष्टि से भी सही राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। इस कार्यशाला के

समापन भाषण में श्री ए.के. छाड़ी, उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, किमिन द्वारा ऐसी कार्यशालाओं के लगातार आयोजन पर बल देते हुए, कर्मियों से इस कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक सरकारी काम-काज में करने पर बल दिया ताकि इस बल द्वारा राजभाषा के संबंध में दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इस बल में पहले से ही अधिकांशत: हिंदी में किए जा रहे कार्य को उत्कृष्टतापूर्वक दर्शाने पर भी विशेष बल दिया ताकि राजभाषा के क्षेत्र में इस बल की छवि में और अधिक निखार आ सके।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर-742101 जिला- मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)

दिनांक 29-3-2012 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन कर विभिन्न संवर्ग के कुल 29 (02 वैज्ञानिक अधिकारी, 15 तकनीकी सहायक तथा 11 प्रशासनिक) पदधारीगण राजभाषा के विविध पहलुओं पर प्रशिक्षित किए गए। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक माननीय डॉ. बी. बी. बिन्दु द्वारा अधिकारियों एवं पदधारियों को संबोधित करते हुए यह उद्‌गार व्यक्त किया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। यह एक सरल और सहज भाषा है जिसके माध्यम ये हम अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर सकते है। उन्होंने आगे यह भी यह भी कहा कि हमें अपने कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इतना ही नहीं उनके सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि चूँकि हमारा संस्थान एक वैज्ञानिक शोध संस्थान है इसलिए हमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी, इसके प्रचार-प्रसार व समुचित व्यवहार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि यह ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में और भी अधिक सशक्त और जीवंत हो सके।

इस दौरान संस्थान के सहायक निदेशक (राभा) श्री आर.बी. चौधरी द्वारा राजभाषा के विविध प्रावधान, उसके सरल सहज अनुप्रयोग के साथ-साथ कार्यालय प्रयोजनार्थ संक्षिप्त तथा शुद्ध हिंदी लिखने के कौशल से संबंधित विषयों पर विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन विषयों का अभ्यास भी कराया गया।

कैनरा बैंक की वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती मिनी अगस्टीन द्वारा सरकारी कामकाज में प्रयोजनमूलक हिंदी का व्ययहार और इसके प्रयोग के विविध आयाम तथा विविध सरकारी पत्र लेखन के स्वरूप से संबंधित विषयों पर कक्षाओं के संचालन के अलावा इनके प्रयोग के विविध आयाम तथा सहज व संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने की पद्धति से अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त संस्थान के क.अ. (हिंदी) श्री चंदन कुमार साव तथा त.स. श्री संजीव नियोगी के द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "यूनिकोड" हिंदी पैकेज के मार्फत कंप्यूटर पर हिंदी टंकण कार्य करने की विविध प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ इसका अभ्यास भी कराया गया जो अधिकारियों/पदधारियों में काफी रोचक एवं लाभप्रद रहा।

कार्यशाला के समापन समारोह के दौरान उपस्थित संस्थान के वैज्ञानिक-ई श्री एम के मजुमदार द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि सभी अधिकारी/पदधारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में बेहिचक हिंदी भाषा का व्यवहार करें और इस प्रयोजन के लिए चलाए जा रहे विविध प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय, गुवाहाटी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय, गुवाहाटी के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 20 एवं 21 मार्च, 2012 को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त एवं कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों हेतु दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले दिन की हिंदी कार्यशाला का आरंभ 'भारत सरकार की राजभाषा नीति(राजभाषा अधिनियम, 1963 व राजभाषा नियम 1976 सहित)' विषय पर प्रथम सत्र का संचालन श्री अशोक कुमार मिश्र, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा किया गया। जबकि दूसरी घंटी में श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय, गुवाहाटी ने "हिन्दी टिप्पणी लेखन" विषय पर व्याख्यान देकर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया। दूसरे दिन के पहले सत्र में "पत्राचार के विविध रूप" विषय पर श्री राधेश्याम उपाध्याय, सहायक निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना, मालीगांव, गुवाहाटी द्‌वारा व्याख्यान दिया गया। श्री उपाध्याय,

ने ही दूसरी कक्षा में "हिंदी लिखते समय होने वाली सामान्य भूलें" विषय पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया। अंत में कार्यशाला में बताई गई बातों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों के बीच एक 'हिंदी कार्यशाला प्रतियोगिता' आयोजित की गई।

एन एच पी सी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक-डी पी, प्लाट-3, सै-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2012-2013 के अनुपालन में दिनांक 28-6-2012 को राजभाषा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का विषय-भारत सरकार की राजभाषा नीति, शुद्ध हिंदी कैसे लिखें व हिंदी में टिप्पण व आलेखन का अभ्यास रखा गया था। इस विषय पर व्याख्यान व अभ्यास कार्य करवाए जाने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता शाखा से डॉ. आर.बी. सिंह, सहायक निदेशक को आमंत्रित किया गया था।

स्वागत भाषण में श्री अजय कुमार बक्सी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने कहा कि इस हिंदी कार्यशाला का आयोजन का उद्देश्य है-कार्यालयीन कार्य में हिंदी में काम करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा करना एवं उसका समाधान निकाला जाना ।

डॉ. सिंह ने व्याख्यान प्रारंभ करते हुए हिंदी की व्यापकता व वर्तमान समय में उसकी महत्ता पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला । उसके बाद उन्होंने मुख्य विषय राजभाषा नीति पर अपने व्याख्यान प्रारंभ किए । इस क्रम में राजभाषा नीति को समझने के लिए 10 चरण बतलाए । उसके बाद प्रत्येक चरण की विस्तारपूर्वक व्याख्या की, उसके बाद शुद्ध हिंदी लेखन के गुर बतलाए तथा हिंदी में टिप्पण व आलेखन का अभ्यास करवाया गया ।

इस कार्यशाला में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

सभी प्रतिभागियों ने डॉ. सिंह की अध्यापन शैली, विषय वस्तु की प्रस्तुती एवं व्याख्यान की बड़ी तारीफ करते हुए कहा कि उनसे उनकी जानकारियों में काफी इजाफा हुआ है । हम सभी ने इस कार्याशाला में जो ज्ञान अर्जित किया है और वह हमारे लिए काफी उपयोगी रहा, इसका उपयोग हम सभी अपने दैनिक कार्यों में करेंगे ।

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 12, रीजेन्ट पार्क,कोलकाता- 700040

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कोलकाता में दिनांक 19-5-2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 01.00 बजे तक संस्थान के हिंदी सेल के प्रभारी अधिकारी श्री आर.डी. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में "हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन" विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में तकनीकी एवं प्रशासनिक वर्ग के कुल मिलाकर 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

सर्वप्रथम सत्राध्यक्ष श्री आर.डी. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी प्रतिभागियों तथा हिंदी विशेषज्ञ डॉ. रमेश मोहन झा, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत करते हुए सत्र आरम्भ करने का अनुरोध किया ।

परिचयात्मक सत्र में डॉ. रमेश मोहन झा ने सर्वप्रथम सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री आर.डी. शर्मा का विशेष आभार व्यक्त करते हुए आयोजन समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए उनका परिचय लिया। उन्होंने विषय संबंधी सत्र शुरू करने के पहले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पीछे कारण, हिंदी और राजभाषा का तुलनात्मक विवरण समेत राजभाषा का कार्यान्वयन स्वरूप, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी/पारिभाषिक शब्दों, अविधा, व्यंजना और लक्षणा के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए कार्यालयीन टिप्पणी के प्रकारों को सविस्तार सोदाहरण देकर समझाया । उन्होंने प्रतिभागियों को विषय की जानकारी हिंदी, बंगला एवं अंग्रेजी में देते हुए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जोकि प्रतिभागियों के जेहन में समा गए । प्रतिभागियों की भाषा संबंधी अड़चनों से अवगत होते हुए उनकी वैयाकरणिक कमियों को दूर करने के गुर सिखाए। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ डॉ. झा ने हिंदी व्याकरण में वर्तमान, भूत एवं भविष्य तीन कालों के बारे में सविस्तार बतलाया । सभी प्रतिभागियों ने पूरे सत्र में शाँतिपूर्ण ढंग से उत्साहपूर्वक एवं तल्लीन होकर ज्ञानार्जन किया । प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ से राजभाषा नीति विषयक एवं व्याकरण में आने वाली दिक्कतों पर सवाल उठाए, विशेषज्ञ ने उनके उत्तर देकर समाधान किया। कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं बाहर से पधारे हिंदी विशेषज्ञ

के प्रति श्री के. एल. अहिरवार, तकनीकी अधिकारी (राजभाषा) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

राज्य कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं. 362, एम.जे. रोड , गांधी भवन, हैदराबाद-500 001

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद में दिनांक 29-9-2012 को 'हिंदी कार्यशाला' का आयोजन किया गया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में उप निदेशक (प्र) डॉ. एम. ए. खुद्दुस जी ने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में और अधिक प्रयास करना आवश्यक है। इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए जैसे मूल पत्राचार के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी पत्रों के व्याख्या पत्र हिंदी में ही भेजा जाना, कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड साफ्टवेयर इन्सटॉल करना आदि। उन्होंने आगे यह भी बताया कि भविष्य में राजभाषा कार्यान्यवन के क्षेत्र में किसी भी लापरवाही को नहीं सहा जाएगा ।

अध्यक्ष मदोदय के वक्तव्य के पश्चात् मुख्य अतिथि श्री कमालुद्दीन जी ने भाषा का स्वरूप तथा कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दावली के बारे में सभी कर्मचारियों को अवगत कराया ।

अपने भाषण के अन्त में उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सलाह दी कि रोजमर्रा कामकाज में जितने भी हिंदी के पारिभाषिक शब्द उनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उनकी एक सूची तैयार कर अपने पास रखनी चाहिए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके ।

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, चेन्नई टेलीफोन, राजभाषा अनुभाग 10, मिल्लर्स रोड, चेन्नई-600010

बी. एस. एन. एल. चेन्नई टेलीफोन के महाप्रबंधक (विक्रय व विपणन) सीएम अंचल के अधिकारियों के लिए तारीख 28-1-2012 को उक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था अधिकारियों को राजभाषा संबंधी नीतियों से अवगत कराना ताकि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में अधिक काम करने के लिए प्रेरित कर सकें । कार्यशाला में कुल 23 अधिकारियों ने भाग लिया ।

इस एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला के प्रारंभ में श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी ने सभी अधिकारियों का स्वागत किया । फिर श्री वी. प्रभाकर, महाप्रबंधक (विक्रय व विपणन) सीएम ने अपने भाषण में कहा कि हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। ऐसी कार्यशालाओं में अतिथि प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है और इन कार्यशालाओं का उद्देश्य हिंदी में काम करने हेतु अधिकारियों में जो झिझक है वह दूर करना है । कार्यशाला में जो सामग्री दी जाती है वह हिंदी में काम करने के लिए सहायक होगी । उन्होंने आशा की कि कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारी हिंदी की सफल कार्यान्वयन के लिए प्रयास करेंगे ।

अतिथि प्रवक्ताओं के रूप में श्रीमती चित्रा षण्मुगम, राजभाषा अधिकारी, तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल तथा श्री जी. मीनाक्षीसुंदरम, प्राध्यापक को बुलाया गया ।

श्रीमती चित्रा षण्मुगम ने अधिकारियों को राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी । श्री जी.मीनाक्षीसुंदरम ने तकनीकी शब्दावली और फाइल टिप्पणियों पर अधिकारियों को अवगत कराया । श्रीमती जया सूर्या चेल्लम ने दैनिक बोलचाल की भाषा के स्वरूप के बारे में बताया और कुछ विषय देकर अधिकारियों को हिंदी में बोलने के लिए कहा । सभी अधिकारियों ने उत्साह से हिंदी में बात की । प्रतिभागियों को "राजभाषा मार्गदर्शनी" की पुस्तिका एवं फाइल शीर्षक संबंधित सहायक सामग्री प्रदान की गई । प्रत्येक प्रतिभागी से हिंदी कार्यशाला पर पुनर्निवेश संग्रहीत किया गया ।

श्रीमती एस. पद्मावती, सहायक महाप्रबंधक (विक्रय व विपणन) द्वारा प्रस्तुत धन्यवादार्पण के साथ कार्यशाला का समापन हुआ ।

आर.टी.टी.सी अंचल

उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए तारीख 16-6-2012 को क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, मरैमलै नगर-603209 में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने दैनंदिन कार्यालयीन काम में राजभाषा हिंदी के प्रयोगार्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना एवं सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर उनको अद्यतन कराना था।

कार्यशाला में कुल 09 अधिकारियों व 12 कर्मचारियों ने भाग लिया । उपस्थित अधिकारियों व अतिथि प्रवक्ताओं

का औपचारिक स्वागत श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी द्वारा किया गया ।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री के. उलगनाथन, मंडल अभियंता, आर.टी.टी.सी. द्वारा किया गया । अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते हिंदी का प्रचार-प्रसार करना हमारा कर्तव्य है । उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि दैनिक कार्यालयीन काम में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें ।

कार्यशाला में तीन सत्र थे । प्रथम सत्र में डॉ. पी.आर. वासुदेवन, राजभाषा अधिकारी, मुख्य महालेखाकार का कार्यालय ने "राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम" विषय के तहत राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सांवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियम, गृह मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम आदि पर जानकारी दी । साथ-साथ उन्होंने प्रतिभागियों के तकनीकी शब्दावली के ज्ञान का भी अवगत कराया ।

दूसरे सत्र का विषय, "हिंदी में फाइल टिप्पणियां" था। श्रीमती मीरा श्रीनिवासन, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, चेन्नई टेलीफोन ने प्रतिभागियों को हिंदी में फाइल टिप्पणियां लिखने का प्रशिक्षण दिया ।

इसके बाद "बोलचाल हिंदी" विषय का सत्र था । इस सत्र में श्रीमती दीप्ति डी. नायर, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, चेन्नई टेलीफोन ने पावर-पाइंट के जरिए बोलचाल हिंदी पर व्याख्यान प्रस्तुत किया और हरेक प्रतिभागी को दिए गए विषय पर बोलने को प्रोत्साहित किया ।

इसके बाद हिंदी चलचित्र "जंजीर" की एक क्लिपिंग दर्शाई गई तथा प्रतिभागियों की बोलचाल हिंदी भाषा को समझने की दक्षता को भांपने के लिए प्रश्न पूछे गए ।

प्रतिभागियों से प्रतिसूचना पन्ने प्राप्त किए गए जिनसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिभागियों को कार्यशाला अत्यंत उपयोगी थी ।

कार्यशाला सामग्री के तौर पर "राजभाषा मार्ग दर्शिका" पुस्तिका प्रतिभागियों को दी गई ।

श्री ई. इलंगो, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आर.टी.टी. सी. द्वारा ज्ञापित धन्यवाद सहित कार्यशाला संपन्न हुई ।

मध्य अंचल

वरिष्ठ महाप्रबंधक (ने.प्र-मध्य) अंचल के अधिकारियों के लिए तारीख 2-6-2012 को मुख्य महाप्रबंधक के सम्मेलन कक्ष, 78, पुरसैवाक्कम हाई रोड, चेन्नई-10 में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई ।

इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यालयीन काम में राजभाषा हिंदी के प्रयोगार्थ अधिकारियों को प्रोत्साहित करना एवं संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर उनको अद्यतन करना था ।

इस कार्यशाला में कुल 22 अधिकारियों ने भाग लिया । उपस्थित अधिकारियों व अतिथि प्रवक्ताओं का औपचारिक स्वागत श्रीमती जया सुर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी द्वारा किया गया ।

कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती पूंगुळली, वरि. महाप्रबंधक (ने.प्र.-मध्य) द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में कार्यशाला में भाग लेने आए मध्य अंचल के अधिकारियों के उत्साह के प्रति अपनी खुशी अभिव्यक्त की । उन्होंने अनुरोध किया कि वे इस कार्यशाला से सर्वाधिक लाभ उठाएं तथा हिंदी को कार्यालयीन तौर प्रयोग करने की विधियों पर अपने आप को अद्यतन करें ।

कार्यशाला में तीन सत्र थे । प्रथम सत्र श्रीमती के . अरुलसेल्वी, राजभाषा अधिकारी, महाप्रबंधक दूरसंचार, पांडिच्चेरी द्वारा संचालित "राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम" था । उन्होंने प्रतिभागियों को राजभाषा कार्यान्यवन संबंधी सांवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियम आदि पर जानकारी दी ।

दूसरे सत्र का विषय, श्रीमती एस.अमुदा कयालिवळी, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, तमिलनाडु परिमंडल द्वारा प्रस्तुत "तकनीकी शब्दावली व फाइल टिप्पणियां" था। पावर पॉइंट प्रेसेंटेशन व दुहराई अभ्यासों सहित इसे रोचक बनाया गया ।

तीसरा सत्र "बोलचाल हिंदी" का था, जिसे श्रीमती विमला राधाकृष्णन, हिंदी प्रचारक ने संचालित किया । प्रवक्ता ने बोलचाल हिंदी के सूक्ष्म अर्थभेद को विस्तृत करने के लिए व्यावहारिक व सुलभ विधियों को अपनाया था, जिससे प्रशिक्षार्थी हिंदी में बेझिझक बोल सकते हैं ।

दिन की गतिविधियों में दृश्य श्रव्य चक्र सहित अंताक्षरी शामिल की गई, जिससे फिल्म संगीत के लोकप्रिय माध्यम से भाषा को सीखने में प्रतिभागी समर्थ हुए ।

प्रतिभागियों से प्रतिसूचना पन्ने प्राप्त किए गए जिनसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिभागियों को कार्यशाला अत्यंत उपयोगी थी ।

कार्यशाला सामग्री के तौर पर "राजभाषा मार्ग दर्शिका" पुस्तिका प्रतिभागियों को दी गई ।

श्री पी.श्रीधरन, उप महाप्रबंधक (वि.व.ले.) मध्य द्वारा ज्ञापित धन्यवाद सहित कार्यशाला संपन्न हुई ।

आकाशवाणी चेन्नई

आकाशवाणी चेन्नई में प्रति तिमाही एक कार्यशाला एवं वर्ष में चार कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं । इस तिमाही में यह कार्यशाला दिनांक 21-3-2012 एवं 22-3-2012 को आयोजित की गई। कार्यशाला में आकाशवाणी परिसर में स्थित आकाशवाणी के अन्य छोटे कार्यालयों को भी शामिल किया गया ताकि राजभाषा का यथोचित प्रयोग उन कार्यालयों में भी सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक 21-3-2012 को अपराह्न 2.30 बजे कर्मचारियों के लिए टिप्पण एवं आलेखन पर कार्यशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट में हिंदी अधिकारी श्रीमती बिबिना बी ने प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी में टिप्पण/आलेखन के सरल प्रयोग को बताते हुए अभ्यास करवाया । कर्मचारियों ने कार्यशाला का पूरे मनोयोग से लाभ उठाया ।

सहायक निदेशक (रा.भा.) श्रीमती ललिता नायर निर्दोष ने उपस्थित सभी सहकर्मियों को कार्याशालाओं के आयोजन के उद्देश्य के सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र में राजभाषा का प्रयोग एवं उसका उचित प्रचार-प्रसार हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व है। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी अपने अन्य कार्यालयीन कर्त्तव्यों के समान ही इस कर्त्तव्य को भी पूरी निष्ठा से निभायें । राजभाषा के प्रयोग के प्रति सहयोगात्मक मानसिकता का विकास हमें लक्ष्य तक अवश्य पहुँचाएगा ।

22-3-2012 को अपराह्न 2.30 बजे हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नई में सहायक निदेशक श्री कोमल सिंह ने राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम की जानकारी दी । उन्होंने पहले कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता के सम्बन्ध में विशद रूप से समझाया । इस अवसर पर उन्होंने कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन के महत्व पर भी प्रकाश डाला ।

कार्यशाला को प्रभावी बनाने हेतु स्वयं उप महानिदेशक (का.) एवं कार्यालयाध्यक्ष श्री के.पी. श्रीनिवासन भी इस अवसर पर उपस्थित थे । कार्यालयाध्यक्ष की उपस्थिति से कार्यशाला का उद्देश्य सार्थक रहा । सभी कर्मचारी सकारात्मक मानसिकता के साथ आद्यान्त बैठे रहे एवं उन्होंने आत्मगौरव का अनुभव किया । इस प्रकार 20 कर्मचारियों ने इस कार्यशाला का लाभ उठाया ।

आकाशवाणी-हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद में दिनांक 27-6-2012 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

सर्वप्रथम श्रीमती यू. गायत्री देवी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए हिंदी कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार वर्ष में चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जानी है। इस क्रम में यह वर्ष 2012 की दूसरी कार्यशाला है । पहली कार्यशाला मल्टी टास्क कर्मचारियों के लिए दिनांक 13-3-2012 को आयोजित की गई थी ।

श्री मो. खमरुद्दीन, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) एवं कार्यालयाध्यक्ष ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करते समय आने वाले कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे कार्यशाला का पूरा-पूरा लाभ उठाएं और कार्यशाला में प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान को कार्यालयीन काम में प्रयोग करें ।

कार्यशाला में श्री मोहम्मद कमालुद्दीन, वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना ने व्याख्यान दिया। उन्होंने कार्यशाला के प्रथम सत्र में हिंदी के शब्द-वर्ग (Parts of Speech) के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा हिंदी शब्दकोश के जरिए प्रत्येक शब्द किस शब्द-वर्ग के अन्तर्गत आता है, को आसानी से पहचानने के तौर-तरीकों पर प्रकाश डाला ।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में उन्होने हिंदी/अंग्रजी/तेलुगु भाषा में लिंग के प्रकार पर तुलनात्मक जानकारी दी। इसके साथ-साथ उन्होंने कार्यालयीन काम में हिंदी में आम रूप से प्रयोग में आने वाले संस्कृत/हिंदी/अंग्रेजी शब्दों के लिंग को कैसे पहचान सकते हैं, पर नियमों की जानकारी देते हुए सोदाहरण समझाया और प्रतिभागियों से भी अभ्यास करवाया । साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी किया ।

कुछ प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यशाला बहुत उपयोगी रही और भविष्य में ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन के लिए अनुरोध किया ।

हिंदी कार्यशाला का संचालन श्रीमती यू. गायत्री देवी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने श्री डी.के. एस. रेड्डी, हिंदी अनुवादक के सहयोग से किया ।

'ख' क्षेत्र

पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोठी कंपाउन्ड, राजकोट - 360001

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल के सभाकक्ष में दिनांक 12-4-2012 को 16.00 बजे मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्याशाला में राजभाषा अधिकारी द्वारा नीति तथा उसके बाद श्री हितेष रूपारेलिया द्वारा राजभाषा कंम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य एवं यूनीकोड की जानकारी दी गई। कंम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करना सिखाया जिसकी उपस्थित संदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में वित्त-वर्ष 2012-13 की पहली हिंदी भाषा कार्यशाला का आयोजन दिनाँक 18-5-12 को आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए संयंत्र के महाप्रबंधक श्री तुलसी राम ने कहा कि इस संयंत्र में हिंदी भाषा कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है, जिसे सभी कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में स्वयं करने के लिए अग्रसर हो सकें। यहाँ आने के बाद हिंदी की आदत इतनी विकसित हो गई है कि अंग्रेजी कागजों पर भी हिंदी में हस्ताक्षर हो जाते हैं।

प्रशासन अधिकारी-3 श्री एम.वी.श्रीधरन ने इस अवसर पर कहा कि हिंदी में सरकारी काम ज्यादा अच्छी तरह से करने के लिए मैंने खुद को इस कार्यशाला में नामित किया है और जब गृहमंत्री श्री चिदंबरम हिंदी और भोजपुरी बोल रहे हैं, तब तो मुझे सरकारी कामकाज में हिंदी को और भी अधिक अपनाना चाहिए। उनके हिंदी बोलने से सभी को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है।

डॉ. रश्मि वार्ष्णेय, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने हिंदी भाषा कार्यशाला का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए बताया कि गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने संसद में भोजपुरी बोल कर पूरे संसद का दिल जीत लिया था। इससे पहले वे हिंदी दिवस के अवसर पर भी हिंदी में बोले थे। इसी तरह से इस संयंत्र में भी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करना चाहिए, जिससे वे भी सभी के प्रिय मात्र बन सकें और सरकारी कामकाज लक्ष्यानुरूप किया जा सके।

श्री नरेश चंद्र शर्मा, आमंत्रित वक्ता ने कहा कि आकाश में उड़ने के लिए अँग्रेजी चाहिए, तोजमीन से जुड़े रहने के लिए हिंदी की आवश्यकता पड़ती है।

इस कार्यशाला में कार्यकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी तथा इसके अंतर्गत राजभाषा नीति-नियम, हिंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूनीकोड, पारिभाषिक शब्दावली, आदि की जानकारी दी गई थी।

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खड़कवासला पुणे -411024

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के अनुसंधान सहायकों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 2-5-2012 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी ने यूनिकोड, यूनिकोड मैपिंग, हिंदी की वर्तनी, शब्द निर्माण, शब्दावली की समस्याएँ एवं समाधान और जावा स्क्रिप्ट आदि से संबंधित व्याख्यान दिए।

कार्यशाला में 22 अनुसंधान सहायकों ने भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को 'हिंदी कार्यशाला' नामक पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में कर्यालयीन कामकाज में उपयुक्त सामग्री जैसे पत्र, प्रपत्र, अनुस्मारक आदि के मसौदे और वाक्यांश आदि सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा अनुसंधानशाला से संबंधित पदनाम, प्रभागों अनुभागों के नाम तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी।

दूरदर्शन केन्द्र : नागपुर

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में दि. 20 जनवरी, 2012 को प्रसाशनिक स्टाफ के लिए एक अर्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। 'टिप्पण एवं प्रारूप आलेखन' विषय पर आयोजित उक्त कार्याशाला में प्रशासन अनुभाग के सदस्यों तथा निदेशक (कार्यक्रम एवं अभियांत्रिकी) के निजी सहायकों ने भाग लिया। श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रभारी सहायक निदेशक (रा.भा.) ने सरकारी पत्राचार के विविध रूपों की व्याख्या करते हुए 'टिप्पणी एवं प्रारूप

आलेखन' विषय पर उपस्थित स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में कुल 14 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कार्यशाला के समापन अवसर पर उपस्थित स्टाफ को संबोधित करते हुए निदेशक (अभि.) श्री ए. आर. गडपाले ने उक्त आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कर्याशाला के आयोजन की बात कही। श्री सी. एल. नंदनपवार, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) ने भी इस अवसर पर मार्गदर्शन किया। अंत में कार्यक्रम निष्पादन एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी श्री गणेश शर्मा ने अभार व्यक्त किया।

दूरदर्शन : राजकोट

हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सर्वप्रथम प्रभारी हिंदी अधिकारी श्री एस.के.शर्मा ने कार्यालय कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता, प्रशासनिक आवश्यकता, संवैधानिक बाध्यता और सरकार की अपेक्षा के बारे में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत करवाया।

उसके पश्चात् कार्यक्रम अध्यक्ष डा. वोरा ने अपने संबोधन में मुख्य अथिति को 'ख' क्षेत्र में सर्वाधिक हिंदी प्रयोग करने वाले कार्यालय के रूप में दूरदर्शन केंद्र राजकोट को प्राप्त राजभाषा पुरस्कार की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यह उपलब्धि हिंदी के प्रति केंद्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रेम, रूचि व सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है।

अतिथि वक्ता श्री प्रसाद जी ने अपने ज्ञानबर्धक एवं उपयोगी संबोधन में कार्यालीन हिंदी पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के पश्चात् उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों प्रशासनिक शब्दावली, टिप्पणी व आवेदनपत्र का अभ्यास करवाया।

दूरदर्शन केंद्र-राजकोट में दिनांक 22-2-2012 से 24-2-2012 तक तीन दिवसीय राजभाषा डैस्क कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में कार्यरत प्रभारी सहायक निदेशक (रा.भा.) ने इस कार्यशाला में अधिकारियों/कर्मचारियों के टेबल पर जाकर राजभाषा हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग में कार्यालय-स्टाफ को आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का संज्ञान लेकर निम्नलिखित प्रकार से समाधान सुझाया।

डैस्क कार्यशाला के दौरान डा. एस.ए.वोरा कार्यक्रम अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि हिंदी का उन्हें अच्छा ज्ञान है और प्रयोग करने में पूर्ण रूचि है, परंतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई से अधिकांश पत्र अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं। जिनका शीघ्रता में उत्तर अंग्रेजी में देने में आसानी होती है। क्योंकि समय अभाव से और पत्र की प्रतिक्रिया देरी से प्राप्त होने के डर से हिंदी में पत्र नहीं भेजा जाता। फिर भी कार्यालय का मूल कार्य अधिकांशत: हिंदी में ही किया जा रहा है। डा. वोरा ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कृषिदर्शन में शतप्रतिशत, शेष कार्यक्रम अनुभाग में 98 प्रतिशत, और लेखा अनुभाग में भी 90 प्रतिशत से अधिक कार्य हिंदी में किया जा रहा है।

अभियांत्रिकी अनुभाग में श्री ए.ए.वैष्णव, सहा. अभियंता भी कार्यालय का अधिकतम कार्य हिंदी में कर रहे हैं। परंतु देरी से उत्तर मिलने के डर से और तकनीकी प्रकृति संबंधी पत्राचार व उच्च अधिकारियों से संभाषण विवशता अंग्रेजी में करते हैं। कार्यशाला में उनको ऐसी धारणा से मुक्त होने का समाधान करते हुए राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रेरित किया और स्पस्ट किया कि हिंदी प्रयोग से उच्चाधिकारी भी प्रसन्न होंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे।

श्री एम.के. रंगा, प्रशासनिक अधिकारी हिंदी में प्रवीन हैं, वे कार्यालय में अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं। आजतक वे हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी पत्रों को हिंदी पत्र ही समझते थे, अत: हिंदी में पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। कार्यशाला में उनके इस भ्रम को मिटाकर केवल हिंदी में पत्र लिखने के लिए उनको प्रेरित और स्पष्ट किया। श्री रंगा जी ने अब आगे से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का प्रण किया।

लेखा प्रशासन अनुभाग के कर्मियों के टेबल पर जाकर हिंदी प्रगति की स्थिति को देखा गया और संबंधित कर्मियों की हिंदी प्रयोग में आ रही कठिनाईयों का समाधान किया। श्रीमती जीन, अ.श्रे.लि. कार्यालय में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य हिंदी में ही करती है। उसने बताया कि रोकड़ पुस्तक में लेखा प्रकृति के शब्दों को हिंदी में लिखने में अति कठिनता आती है। इसका समाधान करते हुए स्पष्ट किया कि अगर अंग्रेजी शब्द का हिंदी विकल्प उपलब्ध या स्मरण न हो तो फिलहाल सरल, आम बोलचाल वाला पर्यायवाची प्रयोग करें। फिर भी अगर ऐसा न हो सके तो उसे अंग्रेजी शब्द को ज्यों का तयों देवनागरी में लिख लें और बाद में

भविष्य प्रयोग हेतु उसका हिंदी शब्दार्थ किसी जानकार से पूछ लें ।

सुश्री उल्का डी भट्टी, प्रश्रेलि भी कार्यालय कार्य ज्यादातर हिंदी में करने का प्रयास कर रही है और इस कार्यशाला में प्रशिक्षित होने पर उसने पहले से अधिक हिंदी प्रयोग करने के लिए प्रेरणा ही नहीं अपितु दृड़ निश्चय भी किया जबकि इसी वर्षात में वह सेवानिवृत हो रही हैं ।

सहायक निदेशक ने इस दिन उच्च शक्ति प्रेषण केंद्र में ज़ा कर अभियांत्रिकी/तकनीकी स्टाफ की हिंदी प्रयोग संबंधी स्थिति को देखा एवं उनको इसमें आ रही कठिनाईयों का समाधान दिया । प्रयुक्त सभी रजिस्टरों के शीर्षक व मदों के शीर्ष भी हिंदी में लिखवाए गए । रजिस्टरों में अधिक से अधिक प्रविष्टियां केवल हिंदी में ही करने के लिए प्रेरित किया गया, वैसे भी उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के प्रभारी श्री पी. एम.भंकोडिया, सहा. अभि. एवं शेष स्टाफ भी प्रविष्टियां हिंदी में कर रहे हैं । ट्रांसमीटर प्रभारी ने भविष्य में डयूटी चार्ट सहित समस्त कार्य हिंदी में करने का दृड़ निश्चय किया ।

उन्होंने अपनी मुख्य कठिनाई कंप्यूटर में हिंदी टंकन की सुविधा सुस्थिर न होना बताया गया । अत: प्रभारी सहायक निदेशक ने उसी समय अपने पास पैन ड्राईव में रक्षित माइक्रोसाफ्ट इंडिक इनपुट टूल को कंप्यूटर में डाल दिया गया जिससे हिंदी टंकन न जानते हुए भी अंग्रेजी वर्णों की सहायता से हिंदी में कार्य सहज से किया जा सकता है जो हिंदी टंकन करने के लिए वरदान है ।

इस कार्यशाला के दौरान संज्ञान में आया कि भूल वश ट्रांसमीटर लाग पुस्तक अंग्रेजी में छपवाई गई है । अब इस भूल के समाधान हेतू नमूना लिखकर बताते हुए इसमें शीर्ष हिंदी में हाथ से लिखने और यथासंभव प्रविष्टियां हिंदी में लिखने का सुझाव दिया । पहले से लगे अंग्रेजी के कुछ साईनबोर्डो को हिंदी में भी तैयार कराने के लिए कहा । जिसे शीघ्र ही पूरा करने का प्रभारी ने आशवासन दिया ।

इस तीन दिवसीय राजभाषा कार्यशाला की कार्यवाही की जानकारी दिनांक 27 फरवरी, 2012 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी सहायक निदेशक द्वारा दी गई । बैठक में इस प्रसंग पर अपनी भावुक अभिव्यक्ति में श्री के.बी. सोलंकी कार्यक्रम अधिशासी जो कार्यालय कार्य स्वयं हिंदी में करते हैं, ने सुझाव रखा कि यहां सभी हिंदी जानते हों उन कार्यालयों में सरकारी कार्यों के लिए केवल हिंदी का ही पूर्ण प्रयोग करने के लिए सरकार आदेश जारी करे जिससे निज संविधान और देश का गौरव और अधिक बढ़ेगा । पूर्णत: हिंदी अप्रनाने में अब और ज्यादा प्रतीक्षा करने का औचित्य या आवश्यकता नहीं ।

पश्चिम रेलवे, कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक, दाहोद

दिनांक 14-5-12 से 18-5-12 तक दाहोद कारखाना में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस हिंदी कार्यशाला में 26 कर्मचारियों ने भाग लिया । दिनांक 14-5-12 को मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री आर.के.गुप्ता जी ने दीप प्रज्जवलित करके हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया । मुख्य कारखाना प्रबंधक जी ने हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी कार्यशाला के आयोजन के महत्व एवं उद्देश्य के बारे में बताया तथा कार्यालयों में दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने को कहा । इसके अलावा अन्य व्याख्याताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर जैसेकि तकनीकी शब्दों का हिंदी में सरल उपयोग, फाइलों में हिंदी में टिप्पणीयाँ लिखना, राजभाषा संबंधी नियम/प्रावधान आदि की जानकारियाँ दी गई । सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने में कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए सरल हिंदी का उपयोग तथा बर्तनी संबंधी त्रुटियों को दूर करने का अभ्यास कराया गया । हिंदी की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारीयाँ दी गईं । इसके अतिक्ति हिंदी के प्रयोग-प्रसार से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ नवीनतम जानकारियाँ भी कर्मचारियों को दी गई, जिसे सभी कर्मचारियों द्वारा बहुत सराहा गया । हिंदी कार्यशाला के अंत में दिनांक 18-5-12 को एक हिंदी कसौटी परीक्षा आयोजित की गई ।''

निदेशक का कार्यालय राष्ट्रीय बचत संस्थान, चौथा तल, सी.जी.ओ. कंप्लेक्स, ए ब्लाक, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006

राष्ट्रीय बचत संस्थान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्यालय नागपुर के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया । इसका उद्घाटन 5 जुलाई को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनिल भट्टाचार्य, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय संस्थान ने दीप प्रज्वलन कर किया । उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंदी

हमारी जीवन रेखा है तथा यह संपूर्ण भारत में बोली जाती है। उन्होंने कहा कि हिंदी को धीरे-धीरे रोजगार से जोड़ा जा रहा है और रोजगार पूरक सभी परिक्षाएं हिंदी में भी हो रही है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि कार्यशाला में अर्जित ज्ञान का प्रयोग दैनंदिनी हिंदी कार्यों में अवश्य करें। श्री शिव किशोर त्रिपाठी (संयुक्त निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी) ने पूर्व में ही विभाग में हिंदी की प्रगति का लेखा-जोखा संक्षेप में प्रस्तुत किया एवं गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए राजभाषा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्ता जाहिर की। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हिंदी की प्रगति के लिए सराहना की।

श्री पद्म सिंह क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ), राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर ने आभार प्रदर्शन किया। श्री जे.पी. सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में केंद्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

'क' क्षेत्र

पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर

पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर व क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रादेशिक कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 25 जून, 2012 को पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के सभागार हाल में राजभाषा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के 2 अधिकारी तथा 8 कर्मचारियों के अलावा क्षेत्रीय प्रचार इकाईयों के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, तकनीकी सहायक, क्षेत्रीय प्रचार सहायक तथा प्रादेशिक कार्यालय जयपुर के 23अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री जय गोपाल, अपर महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर ने राजभाषा हिंदी कार्यशाला में आये सभी मुख्य वक्ताओं तथा कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालय व इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का उद्देश्य एवं प्रचार-प्रसार में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे हमारे देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी प्रचारित करने में संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की प्रचार इकाईयों के कार्य को देखते हुए जहां आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए स्थानीय बोली व भाषा का प्रयोग में बोलने में चाहे करना जरूरी है साथ ही लिखने में भी अधिकृत शब्दावली को ही उपयोग में लाना चाहिए।

श्री रामनाथ मीणा, आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, जयपुर ने हिंदी कार्यशाला में मुख्य वक्ताओं का स्वागत करते हुए इसके उद्देश्य एवं प्रचार-प्रसार में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री आर. के. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), आयकर विभाग, जयपुर ने राजभाषा नीति की अनुपालना एवं वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रभावी प्रयोग को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाये, इसके लिए हर तिमाही में विभागीय बैठक का आयोजन भी किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक तिमाही में राजभाषा हिंदी की कार्यशाला आयोजित की जाये। उन्होंने बताया कि सभी अधिकृत प्रफोर्मे हिंदी में अथवा द्विभाषी में होनी चाहिए। कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश आवेदन पत्र तथा उपस्थिति रिपोर्ट हिंदी में लिखी जानी चाहिए।

श्री हरीश माखीजा, अनुदेशक, राजभाषा प्रकोष्ठ, महालेखाकार कार्यालय, जयपुर ने मुख्य वक्ता के रूप में बताया कि राजभाषा हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। श्री माखीजा ने बताया कि राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी प्रशिक्षण के दौरान प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण दिए जाते हैं तथा प्रशिक्षण उपरान्त कर्मचारी को मिलने वाले पारितोषक के तौर पर प्रोत्साहन राशि व वार्षिक वेतन वृद्धि की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण पत्राचार के माध्यम से भी होने लग गए हैं। प्रशिक्षण प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहित राशि को आयकर से मुक्त रखा गया है।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल, नई दिल्ली

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए भा.ति.

सी.पुलिस की एस. एस. वाहिनी, सबोली, हरियाणा स्थित लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल में 48वें लिपिकीय कोर्स की समाप्ति के पश्चात्, विभिन्न यूनिटों के 39 है.कां./सी.एम. के लिए दिनांक 21-5-12 से 24-5-12 तक "चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई है ।

सभी प्रशिक्षणार्थियों को एस. एस. वाहिनी, सबोली, हरियाणा स्थित लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल में दि. 24-5-2012 को पूर्वाह्न में लिखित परीक्षा के पश्चात्, सायं 1700 बजे आयोजित एक सादे समारोह में मुख्य अतिथि श्री उमाकान्त, द्वितीय कमान, एस. एस. वाहिनी ने प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला में भाग लेने संबंधी उप महानिरीक्षक (प्रशासन), महानिदेशालय से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान किए ।

हिंदी कार्यशाला के प्रमाणपत्र वितरण समारोह में, सर्वप्रथम, श्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य/सहायक सेनानी (कार्यालय) ने 48वें लिपिकीय पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए उसमें पढ़ाए गए विषयों एवं संकाय के बारे में अवगत कराया । उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को सभी प्रकार से सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया । उन्होंने और सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए । उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षणार्थियों को संकाय के अनुभवों एवं ज्ञान से लाभ प्राप्त हुआ होगा ।

तत्पश्चात्, श्री एम. डी. उपाध्याय, निरीक्षक अनुवादक ने अपने संबोधन में सूचित किया कि महानिदेशालय द्वारा नियमित तौर पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है । उन्होंने हिंदी कार्यशाला में पढ़ाए गए विभिन्न विषयों-राजभाषा की संवैधानिक स्थिति तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों, हिंदी में टिप्पणी लेखन एवं उसका अभ्यास, राजभाषा संबंधी विभिन्न निरीक्षण, निरीक्षण प्रोफार्मा भरवाने का अभ्यास, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन/बैठक का आयोजन, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन, रबड़ की मोहरें/नामपट्ट संबंधी आदेश एवं डायरी/डिस्पेच रजिस्टरों का रख-रखाव/पत्राचार की गणना, हिंदी संबंधी प्रशिक्षण, हिंदी में पत्राचार/टिप्पण लेखन, मानक हिंदी वर्तनी एवं हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली आदि के संबंध में पढ़ाए जाने एवं उनके अभ्यास करवाने के बारे में अवगत कराया ।

मुख्य अतिथि श्री उमाकान्त, द्वितीय कमान, एस. एस. वाहिनी ने हिंदी कार्यशाला के "प्रमाणपत्र वितरण समारोह" में सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें हिंदी कार्यशाला में रुचिपूर्वक भाग लेने और इसके सफल आयोजन के लिए बधाई दी । उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में भाग लेने से विद्यार्थी जीवन का स्मरण हो आता है । पाठ्यक्रम में जो कुछ सिखाया जाता है वह बड़े काम का है। इसमें दिए गए नोट्स बहुमूल्य हैं । इन्हें सदैव अपने पास रखें और जब भी समय मिले इन्हें दोहराते रहें । सफलता यहीं से शरू होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पर कोई विषय समझ नहीं आता उसे अपने वरिष्ठ से पूछ लें, इसमें झिझकें नहीं । आपने पाठ्यक्रम और हिंदी कार्यशाला में जो सीखा है उसे अमल में लाएं । उन्होंने प्रिंसीपल, अन्य अधिकारियों/कर्मियों का धन्यवाद दिया जिन्होंने व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न होने दी । उन्होंने कहा कि लिपिकीय स्कूल यहां पर अस्थायी है । फिर भी हमने अपनी ओर से आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया । आप इनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं । हम समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे । उन्होंने हिंदी कार्यशाला में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर्मियों को बधाई भी दी ।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर-744101

30-6-2012 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण पोर्ट-ब्लेयर द्वारा संस्थान के सभागार में तिमाही अप्रैल - जून 2012 के तहत एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । इस मौके पर वन विभाग के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री मोहन दास, विषय-विशेषज्ञ के रूप में कार्यशाला का संचालन किया ।

कार्यशाला संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एल. रामालिंगम के स्वागत संबोधन से आरंभ हुआ जिसमें उन्होंने संस्थान के सभी प्रशासनिक कर्मचारियों से इस कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया । तत्पश्चात् कार्यशाला "विषय-लेखा एवं भण्डार मामले" पर शुरू हुई। श्री मोहनदास ने अत्यंत सरलता से निविदा सूचनाएं, निविदा टिप्पणियां, बिल सत्यापन, इत्यादि बातों को श्वेत पट्ट पर लिखवाया और सभी कर्मचारियों को एक-एक कर उनको पेश आ रही कठिनाइयों का निवारण किया । तत्पश्चात् उन्होंने कुछ मॉडल अभ्यास प्रश्नपत्र कर्मचारियों को दिया और उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने को कहा । कार्यशाला बहुत रुचिकर लाभप्रद एवं शिक्षाप्रद रही और समापन संबोधन में

श्री मोहनदास ने बताया कि उन्हें इस संस्थान में आते हुए तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि यहां के कर्मचारी रोजमर्रा कार्यों में हिंदी इस्तेमाल करते हैं और उनका स्तर काफी ऊँचा है ।

कार्यक्रम का संचालन संस्थान के आशुलिपिक श्रेणी-I श्री एन वरधन ने किया और श्री धर्मवीर सिंह सेवा अभियंता के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हो गई ।

मंडल कार्यालय, उत्तर रेलवे, अंबाला छावनी

उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग में बढ़ावा देने के उद्देश्य से करने दिनांक 16-3-2012 को अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय, रेल विहार, अंबाला छावनी में मंडल के केवल अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस हिंदी कार्यशाला में उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली से अतिथि वक्ता के रूप में पधारे श्री नवीन कमल, उपमहाप्रबंधक/राजभाषा ने मंडल के अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति की व्यापक जानकारी दी । मंडल के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार शर्मा ने अधिकारियों को शाखाओं द्वारा तीन महीने में राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली राजभाषा प्रगति रिपोर्ट को भरने के बारे में जानकारी दी । इस कार्यालय में मंडल के 22 अधिकारियों ने भाग लिया । इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंडल के सभी अधिकारियों को सभी मदों में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का आग्रह किया ।

एन. एच. पी. सी. लिमिटेड, कार्यालय परिसर सैक्टर-33, फरीदाबाद

दिनांक 18-4-2012 को एक हिंदी कम्प्यूटर कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में एनएचसीसी सहित नराकास के विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कुल 75 कर्मियों ने भाग लिया ।

नराकास के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री रोनेल कुमार, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) महोदय ने किया । उन्होंने अपने उद्बोधन में भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी में काम करते हुए हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए । उन्होंने कहा कि हमें अपने राजकाज में हिंदी का स्वेच्छा से अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए । इसलिए हिंदी का प्रचार व प्रसार करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है । उन्होंने कहा कि यदि हम अंग्रेजी की मानसिकता से उबर कर स्वेच्छा से हिंदी में कार्य करेंगे तो हमें गौरव का अनुभव होगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा । इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आमंत्रित वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण जी ने उपस्थित प्रतिभागियों को अधुनातन हिंदी साफ्टवेयरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और उनके व्यावहारिक प्रयोग के बारे में बताया ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आमंत्रित श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि हमें राजभाषा के नियमों का अनुपालन करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए ।

डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नराकास, फरीदाबाद ने प्रतिभागियों को हिंदी में टिप्पण व प्रारूप विषय पर विस्तार से जानकारी दी एवं अभ्यास कराया । साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कार्यशाला में दी गई जानकारी का उपयोग अपने कार्यालयीन कार्य में करने का आह्वान किया ताकि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में और अधिक प्रगति की जा सके ।

बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, मेन रोड, मोती नगर, बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बालाघाट में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप चालू वर्ष की प्रथम हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । इस अवसर पर केन्द्र प्रमुख श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपने उद्बोधन में राजभाषा नीति की जानकारी देते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत न्यूनतम हिंदी राजभाषा पदों का सृजन, अनुवाद कार्य, निगमों/कंपनियों के

प्रधान कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन, नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन, उद्योगों द्वारा उत्पादित माल पर हिंदी में ही उसका विवरण प्रदर्शित करना, विभागीय/प्रतियोगिता परिक्षाओं में प्रश्नपत्रों का अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी तैयार करना आदि । पहले की भांति ही क, ख एवं ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए, ताकि हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग जारी रहे । इसी प्रकार राजभाषा हिंदी के प्रयोग के तहत जिस कार्यालय में राजभाषा हिंदी की अनदेखी की जाती है, वहां पर निरीक्षण के दौरान कार्यालय प्रमुख का तत्काल इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । कार्यशाला के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि के लिए राजभाषा हिंदी में विभिन्न पत्रों के निर्माण तथा उनमें सरल शब्दों का प्रयोग, सरल व्याकरण के विभिन्न भेदों आदि की जानकारी दी गई तथा कार्यालय में बोल चाल में अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया । अंत में श्री राम जी लाल, वैज्ञानिक-सी द्वारा बाल कविताओं की चार पंक्तियां ''बाबा बडी देल से आये, चिज्जी पिज्जी कुछ न लाये । बाबा क्यों नहीं चिज्जी लाये, इतनी देल से क्यों आए ।'' के साथ उपस्थितजनों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, सहसपुर, देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, सहसपुर, देहरादून में दिनांक 4-5-2012 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय-भारत सरकार, रांची मुख्य व्याख्यायनकर्ता थे ।

कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्य वक्ता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया । कार्यशाला में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने ''राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा नियम-अधिनियम एवं अनुसंधान व तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग'' विषय पर अपना व्याख्यायन दिया । उन्होंने राजभाषा की संवैधानिक स्थिति की विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा व्याख्यायन दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह प्रश्न उठा कि राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए तो संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए । उन्होंने भाषा के संदर्भ में वैश्विक आंकड़े भी प्रस्तुत किए । उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 की सविस्तार व्याख्या की तथा राजभाषा नियम, 1976 से अवगत कराते हुए कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु निर्धारित लक्ष्यों से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया । उन्होंने अनुसंधान व तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी सभी को अवगत कराया । इस अवसर पर उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों की राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित जिज्ञासाओं को भी शांत किया ।

कार्यशाला का संचालन करते हुए श्री कमल किशोर बडोला, वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं की उपादेयता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार किसी वाहन को नियमित अंतराल पर सर्विसिंग के लिए कर्मशाला ले जाया जाता है ताकि वह सुचारू रूप से चल सके, उसी प्रकार कार्यशाला में मिलने वाले प्रशिक्षण के पश्चात् सरकारी कामकाज को हिंदी में सुचारू रूप से करने में कर्मचारियों को सहायता मिलती है । आज के कंप्यूटर युग में हिंदी को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है किंतु हिंदी में सभी चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य है । उन्होंने सरल एवं सुबोध हिंदी के प्रयोग पर बल दिया ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यालय प्रभारी डॉ. पी. के. सिंह, वैज्ञानिक-डी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने तथा हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । हम कार्यशालाओं के माध्यम से जो कुछ भी सीखते व समझते हैं उसका प्रयोग अपने कार्यालयीन कार्यों में करें तभी कार्यशालाओं की सार्थकता है । हिंदी हमारी अपनी भाषा है इसके लिए हमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । हमारी इच्छा शक्ति यदि प्रबल होगी तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी । आज समय की मांग है कि हम हिंदी में क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचें तथा आम बोलचाल व अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनायें ताकि उसमें एक गतिशीलता आ जाये । उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची में 24-5-2012 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री राजू राघवेन्द्र कुमार, विमानपत्तन निदेशक की अध्यक्षता में 24 मई, 2012 को प्रातः 10.00 बजे उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. मंजु सिन्हा, प्राचार्या, मारवाड़ी कॉलेज, रांची मुख्य अतिथि थीं। डॉ. सुनीता कुमारी गुप्ता, विभागाध्यक्ष (हिंदी), मारवाड़ी कॉलेज, रांची विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। विमानपत्तन निदेशक एवं मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भा वि प्रा के सभी अनुभाग अध्यक्ष एवं कार्यशाला के लिए नामित सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम, श्री इन्ताज अली, कनिष्ठ कार्यपालक (राजभाषा) ने हिंदी कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला आयोजन का मुख्य उद्देश्य है–अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने में आने वाली कठिनाईयों एवं झिझक को दूर करना। उन्होंने एक दिवसीय कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं संकाय सदस्यों के परिचय एवं व्याख्यान के विषयों पर भी प्रकाश डाला।

विमानपत्तन निदेशक ने अपने संबोधन में सभी नामित कार्मिकों को सलाह दी कि वे कार्यशाला में कार्यालयीन हिंदी लिखने का अधिक से अधिक अभ्यास करें। उन्होंने कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि डॉ. सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी चिंतन की भाषा है, यह हमारे रग-रग एवं नस-नस में बसी हुई है। हम हिंदी में ही सपने देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अनगिनत ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की लेकिन अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। डॉ. सुनीता ने अपने संबोधन में हिंदी के सरलीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी को बढ़ाने में दूरदर्शन, प्रिंट एवं इल्क्ट्रोनिक मीडिया बहुत बड़ा योगदान है।

संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 04 व्याख्यान दिए गए। इस कार्यशाला में कुल 08 कार्मिकों को हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। श्री इन्ताज अली, कनिष्ठ कार्यपालक (राजभाषा) द्वारा हिंदी कार्यशाला का संचालन किया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विमानपत्तन पर अधिकारी/कर्मचारी वर्ग हेतु दिनांक 22-05-2012 से 24-05-2012 तक तीन दिनों की अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमान श्री पी. श्रीकृष्णा, कार्यवाहक निदेशक विमानपत्तन, जयपुर द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यशाला का महत्व बताते हुए कहा कि कार्यशाला से कार्मिकों के कार्यों में सुधार आता है। जयपुर विमानपत्तन पर हिंदी कार्य का प्रतिशत 99% तक पहुंच गया है जोकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे बनाए रखना है।

इस अवसर पर प्रथम दिन के प्रथम सत्र में व्याख्याता श्री अर्पण, प्रबंधक (राजभाषा), एस.बी.बी.जे., जयपुर को आमंत्रित किया गया जिन्होंने ''संघ की राजभाषा नीति'' विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रथम दिन के दूसरे सत्र में ''प्रशासनिक पत्राचार में हिंदी का प्रयोग'' पर श्री ओ.पी. चस्ता, वरि. प्रबंधक (राजभाषा), केनरा बैंक, जयपुर द्वारा व्याख्यान दिया गया।

कार्यशाला के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती मंजुला वधावा, प्रबंधक (राजभाषा), नाबार्ड जयपुर ने ''संसदीय राजभाषा निरीक्षण'' विषय पर प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

कार्यशाला के दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में श्री ओमप्रकाश मनियारीया, राजभाषा अधिकारी, सैन्ट्रल बैंक, जयपुर ने ''कामकाजी हिंदी का स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दावली'' विषय पर प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

कार्यशाला के तीसरे दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री रोशन लाल चायल, प्रबंधक OBC ने ''यूनिकोड का प्रयोग एवं सूचना प्रोद्यौगिकी में हिंदी का प्रयोग'' विषयों पर प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

कार्यशाला में कुल 23 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली के चार एकांशों में दिनांक 21-3-2012 को डेस्क कार्यशाला का आयोजन किया

गया । इस दौरान इन एकांशों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा हिंदी में अधिकाधिक कार्यालय कार्य संपन्न करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित जानकारी दी गई । कार्यशाला के दौरान संबंधित एकांशों के कर्मचारियों को राजभाषा नीति से भी अवगत कराया गया । साथ ही उन्हें सुचारू रूप से कार्यालय कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए कार्यालय के राजभाषा एकांश द्वारा तैयार 'दूरदर्शन शब्दावली' भी उपलब्ध करवायी गयी ।

डेस्क कार्यशाला के दौरान उन्हें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मदों एवं संबंधित लक्ष्यों के संबंध में जानकारी दी गई और उन्हें ध्यान में रखकर ही कार्य संपन्न करने हेतु प्रेरित किया गया। इस संबंध में उनकी समस्याओं और शंकाओं का समाधान भी रोचक ढंग से किया गया ।

दिनांक: 29-6-2012 को दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली के विभिन्न एकांशों में डैस्क कार्यशाला का आयोजन किया गया । डेस्क कार्यशाला के दौरान विभिन्न एकांशों में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई । साथ ही इन एकांशों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्यालय कार्य करने के दौरान उत्पन्न समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया ।

प्रशासन (सामान्य), संगीत एकांश, एम.एस.आर. में संचिकाओं, प्रपत्रों एवं रजिस्टरों में हिंदी कार्य की समीक्षा की गई। इस कार्यशाला में कुल मिलाकर 25 अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा की गई । इस डेस्क कार्यशाला में राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के निरीक्षण के साथ-साथ नेम प्लेट और मोहरों की भी जाँच की गई ।

आकाशवाणी - बीकानेर

आकाशवाणी, बीकानेर में दिनांक 16 जुलाई, 2012 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्र के उप निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं केन्द्राध्यक्ष श्री एस. के. मीना ने की ।

श्री केशव प्रसाद बिस्सा, प्रशासनिक अधिकारी ने प्रशासनिक कार्यों में हिंदी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बीस कोस में पानी और बानी दोनों बदल जाते हैं । अनेक भाषा -बोलियों में से हिंदी भारत के सबसे बड़े भूभाग पर बोली -समझी जाती है । इसीलिए उसे हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा होने का दर्जा प्राप्त है । हमें इसके प्रयोग पर गर्व होना चाहिए । हिंदी को आत्मसात करने की जरूरत है ।

श्री अनिल शर्मा, सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राजभाषा अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बीकानेर ने अपने विचारों में हिंदी का राजभाषा स्वरूप प्रस्तुत किया । उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 की व्याख्या करते हुए मूल पत्राचार और धारा 3(3) के दस्तावेजों में हिंदी की अनिवार्यता के प्रावधानों को प्रस्तुत किया । कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य की एकरूपता के लिए उन्होंने यूनीकोड को अपनाने पर बल दिया । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में आकाशवाणी की सक्रीय सहभागिता की उन्होंने प्रशंसा की ।

डॉ. सुमन राठौड, हिंदी व्याख्यता, राजकीय महाविद्यालय, नोखा (जिल बीकानेर) ने हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा देश हिंदी का देश है, फिर भी हमें भावनात्मक रूप से हिंदी से जुड़ने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रति जन-जन में चेतना जगाएं ।

श्री एस. के. मीना, उप निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं केंद्राध्यक्ष, आकाशवाणी, बीकानेर ने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि इस कार्यशाला में सुविज्ञ वक्ताओं ने आकाशवाणी के प्रति जो देवतुल्य सम्बोधन व्यक्त किया है, इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं । उन्होंन कहा कि हिंदी केवल कागजों की भाषा बनकर न रहे, इसे हमें अपने मन की भाषा बनाना होगा । तभी हिंदी का प्रसार मनोनुकूल हो सकेगा और इसमें हम सबको बराबर का सहयोग देना होगा ।

श्री ओम मल्होत्रा, प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा), आकाशवाणी, बीकानेर ने राजभाषा के क्षेत्र में केन्द्र की उपलब्धियों से परिचित कराते हुए कहा कि सभी सदस्यों के सम्मिलित प्रयासों से यह हिंदी विकास की ओर अग्रसर है, जिसका साक्ष्य है कि हमें अनेक राजभाषा पुरस्कार और प्रशस्तियां प्राप्त होती हैं ।

आकाशवाणी - इंदौर

दिनांक 24 मई, 2012 को एक दिवसीय व्यावहारिक 'हिंदी कार्यशाला' का आयोजन किया गया ।

आरम्भ में कार्यालयाध्यक्ष श्री सुधीर सोधिया, उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर, इस हिंदी कार्यशाला का शुभारम्भ किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री सोधिया ने कहा कि हिंदी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग न केवल प्रसारण के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है । इसलिए हमें दैनिक कामकाज में भी शब्दों के सही रूप का इस्तेमाल करना चाहिए । उन्होंने कहा कि भाषा में अल्प विराम, पूर्ण विराम अर्थात् व्याकरण का अपना महत्व होता है, इसलिए हमें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए । केन्द्राध्यक्ष ने आगे कहा कि हिंदी कार्यशालाएँ राजभाषा नीति का एक अभिन्न अंग हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण आपस में चर्चा करते हुए कर सकते हैं । उन्होंनं प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि वे इसका लाभ उठाते हुए अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी के सही शब्दों का प्रयोग करें । इस प्रकार हम अधिकाधिक कार्य करते हुए शत-प्रतिशत कामकाज हिंदी में करने के लक्ष्य को पाने में भी सफल होंगे ।

इस त्रैमासिक कार्यशाला में 'प्रसारण कार्यों में हिंदी शब्दों के सही रूप एवं वाक्यों का महत्व' विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कार्यक्रम निष्पादन श्री शशिकांत व्यास ने अपने विचार व्यक्त किए । उन्होंने रोचक अंदाज में पौराणिक कथा और कहानियों के माध्यम से हिंदी की व्याकरणिक गलतियों की ओर प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने कहा कि आज न सिर्फ प्रसारण के लिए बल्कि दैनिक जीवन में भी अर्थपूर्ण शब्दों का महत्व है । उन्होंने आगे कहा कि आकाशवाणी के प्रसारण में केवल अर्थपूर्ण शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, यहाँ अनावश्यक शब्दों का कोई स्थान नहीं है । श्री व्यास ने कहा कि समाज में भी व्यक्ति की अर्थपूर्ण वाणी की वजह से ही प्रतिष्ठा बढ़ती है । यदि हम सम्भल कर नहीं बोलते तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं । इस प्रकार शब्द में बड़ी शक्ति होती है । उन्होंने कहा कि हमें निरन्तर विद्वानों की पुस्तकों से ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए । इस हेतु उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से श्रेष्ठ पुस्तकों में से प्रतिदिन सोने के पूर्व आधा घण्टा कुछ न कुछ पढ़ने -लिखने का आग्रह किया ।

श्री व्यास ने प्रसारण के तहत वार्ता, परिचर्चा, परिसंवाद, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, समाचार इत्यादि में अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि इन सभी का अपना-अपना महत्व होता है । उन्होंने कहा कि आज भी आकाशवाणी के समाचारों में आम बोलचाल की भाषा के अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वह आज भी जन साधारण में लोकप्रिय और सर्वमान्य है । अभी भी लोग आकाशवाणी के समाचारों को प्रामाणिक मानते हैं । इसीलिए श्री शशिकांत व्यास ने कहा कि यदि हिंदी भाषा की शुद्धता या शब्दों के सही उच्चारण का श्रेय आकाशवाणी को दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगीं । उन्होंने अहंकारपूर्ण भाषा के प्रयोग से बचने का भी आग्रह किया और कहा कि समाज में एक ही शब्द के अनेक रूप प्रचलित होते हैं, किन्तु प्रसारण के क्षेत्र में बोलने व लिखने के लिए शब्दों के मानक और सही रूप का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(ङ) विश्व हिंदी दिवस

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अहमदाबाद में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन

अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक नगर राजभाषा समिति के तत्वावधान में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक डॉ. सुदर्शन आयंगार थे । कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं देना बैंक के महाप्रबंधक श्री एस के पटेल ने की । इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपनी बड़ौदा मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना के अन्तर्गत विद्यापीठ की एम. ए.(हिंदी) में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्रा सुश्री दर्शना वैश्य को रु. 5000 का पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के हिंदी विद्यार्थी भी उपस्थित थे।

प्रारंभ में बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक श्री एस के शॉ ने अतिथियों का स्वागत किया । कार्यक्रम के संयोजक डॉ. जवाहर कर्नावट ने विषय प्रवर्तन करते हुए विश्व हिंदी दिवस की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कई ऐतिहासिक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला । मुख्य अतिथि डॉ. सुदर्शन आयंगार ने कहा कि हिंदी का फलक वैश्विक स्तर पर काफी व्यापक हुआ है, किन्तु देवनागरी लिपि की लगातार अवहेलना हो रही है । यदि विनोबा भावे की बात मानते हुए सभी भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपना ली जाती तो हमारा भाषाई परिदृश्य बहुत समृद्ध होता । जापान की छात्रा सुश्री काओटी ने हिंदी में धाराप्रवाह रूप में कहा कि भारतीयों को हिंदी के साथ-साथ उन भाषाओं को भी अपनाना चाहिए जो गांव के लोग बोलते हैं । यहां भाषा के कारण लोगों में आपसी दूरियां बढ़ रही हैं ।

समारोह में कोलम्बिया विश्वविद्यालय की पूर्व प्राध्यापिका डॉ. अंजना संधीर की पुस्तक "अमरिका हड्डियों में जम जाता है" तथा श्री छत्रपाल वर्मा की पुस्तक भाषाई हुड्दंग का विमोचन श्री आयंगार ने किया । कार्यक्रम का संचालन मुख्य प्रबंधक श्री संजय जोशी ने किया । गुजरात विद्यापीठ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. जसवंत भाई पंड्या ने सभी का आभार माना । कार्यक्रम में अहमदाबाद के कई वरिष्ठ साहित्यकार, विद्यार्थी एवं केन्द्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों व बैंकों के अधिकारी भी उपस्थित रहे ।

(च) हिंदी दिवस

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन

नई दिल्ली 14 सितंबर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि थे। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों को तथा हिंदी में उच्च कोटि के मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कर प्रदान किए गए। इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने आशीर्वचन में कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है कि शासन और जनता के बीच संवाद, विश्वास और परस्पर सहयोग तथा समर्थन का भाव बना रहे। इसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत की सामाजिक संस्कृति के संवहन में हिंदी की भूमिका संपर्क भाषा की है। हिंदी देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है।

महामहिम ने कहा कि वर्तमान में हिंदी सामाजिक संवाद और राष्ट्रीय भाईचारे की भावना को मजबूत बनाने का माध्यम है। हिंदी की इस भूमिका का फायदा प्रशासन में अपनाकर विकसित भारत का सपना साकार किया जाना चाहिए। आम आदमी का जीवनस्तर उन्नत बने और प्रत्येक व्यक्ति को तरक्की करने का सुअवसर मिले तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में सभी भागीदार बनें। यह तभी संभव होगा, जब सरकार की विकास योजनाओं के काम आम आदमी की भाषा में हो। तब आम आदमी विकास-योजनाओं को जान पाएगा और उनका लाभ उठा पाएगा। राजभाषा हिंदी के माध्यम से सरकार की विकास योजनाओं को देश के सुदूर गांवों और खेत-खलिहानों तक पहुंचाया जा सकता है यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र शक्तिशाली, प्रगतिशील और न्यायसंगत बना रहे तो संघ सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय राजभाषाओं में सभी प्रशासनिक कार्य करने होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक जीवन में विज्ञान की बड़ी भूमिका है। आजादी के बाद से अंतरिक्ष विज्ञान, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग आदि में हमारे वैज्ञानिकों ने देश की ख्याति को काफी बढ़ाया है। विज्ञान की इन उपलब्धियों को देश की साधारण जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों को राजभाषा में काम को बढ़ावा देना होगा। आज के भूमंडलीकरण के दौर में विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने में हिंदी के साथ-साथ बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं को अपना रही हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने आशा की कि आज इस समारोह में दिए गए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड और उत्तम निष्पादन अवार्ड सभी के लिए प्रेरणा बनेंगे।

इससे पहले माननीय गृह मंत्री जी सुशील कुमार शिंदे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि राजभाषा हिंदी के फलने-फूलने के लिए राष्ट्र के प्रथम नागरिक का आशीर्वचन साथ है। इससे हमें सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान देने में हमारे संकल्प को दोहराने की प्रेरणा मिलेगी। गृह मंत्री जी ने पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि हिंदी एक सहज और सरल भाषा है। अपनी सरलता और सहजता के कारण हिंदी आज समस्त भारत में और भारत के बाहर भी लोकप्रिय भाषा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते परिवेश में हिंदी भाषा अपना स्थान धीरे-धीरे प्राप्त कर रही है। राजभाषा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से हिंदी के कई साफ्टवेयर विकसित किए हैं। विभाग का यह प्रयास सराहनीय है। कंप्यूटर पर यूनिकोड एनकोडिंग सुविधा की उपलब्धता से कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना अत्यंत सरल एवं सहज हो गया है। इससे सॉफ्टवेयरों के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी व माननीय गृह मंत्री जी के कुशल निर्देशन में राजभाषा हिंदी नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगी।

धन्यवाद ज्ञापन में श्री शरद गुप्ता सचिव (राजभाषा) ने कहा कि संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है। इसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंक, उपक्रम, बोर्ड, सोसाइटी, स्वायत्त संस्थाएं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों आदि को उनके राजभाषा हिंदी में किए गए कामकाज के लिए 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' से सम्मानित किया गया है। मौलिक पुस्तक लेखन के जो लेखक पुरस्कृत हुए हैं सभी को बधाई व शुभ कामनाएं देते हुए कहा कि राजभाषा विभाग का प्रयास रहता है कि इन प्रतियोगिताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रविष्टियां प्राप्त हों ताकि इसके माध्यम से सामाजिक तथा ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों और विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें उपलब्ध हों तथा उचित प्रोत्साहन मिलता रहे।

हिंदी के इस समारोह में दिए गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-वर्ष 2010-11

मंत्रालय/विभाग

300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	प्रथम
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय	द्वितीय
3. दूर संचार विभाग	तृतीय

300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

1. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	प्रथम
2. इस्पात मंत्रालय	द्वितीय
3. खान मंत्रालय	तृतीय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क क्षेत्र

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली	प्रथम
2. एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद	द्वितीय
3. टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश	तृतीय

ख क्षेत्र

1.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुंबई	प्रथम
2.	भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई	द्वितीय
3.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई	तृतीय

ग क्षेत्र

1.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम	प्रथम
2.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम	द्वितीय
3.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बास्को-इ-गामा	तृतीय

भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि

क क्षेत्र

1.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली	प्रथम
2.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	द्वितीय
3.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	तृतीय

ख क्षेत्र

1.	कंडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम	प्रथम
2.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई	द्वितीय
3.	भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई	तृतीय

ग क्षेत्र

1.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु	प्रथम
2.	केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलूर	द्वितीय
3.	केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचिन	तृतीय

राष्ट्रीयकृत बैंक

1.	बैंक ऑफ बड़ौदास	प्रथम
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	द्वितीय
3.	पंजाब नेशनल बैंक	तृतीय
4.	इलाहाबाद बैंक	प्रोत्साहन
5.	ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स	प्रोत्साहन
6.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	प्रोत्सहन

वर्ष 2011-12 में प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए गृह पत्रिका पुरस्कार

'क' क्षेत्र

क्रं. सं.	**पत्रिका का नाम**	**प्रकाशित करने वाले संगठन का नाम**	**पुरस्कार**
1.	इस्पात भाषा भारती	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	प्रथम
2.	विद्युत स्वर	एन टी पी सी लिमिटेड, नई दिल्ली	द्वितीय

'ख' क्षेत्र

1. राष्ट्रीय बैंक सृजना	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई	प्रथम
2. अक्षयम	बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई	द्वितीय

'ग' क्षेत्र

1. सुगंध	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम	प्रथम
2. दक्षिण ध्वनि	महाप्रबंधक का कार्यालय, दक्षिण रेलवे, चेन्नै	द्वितीय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

'क' क्षेत्र : पानीपत (कार्यालय)

'ख' क्षेत्र : चंडीगढ़ (बैंक)

'ग' क्षेत्र : भद्रावती-शिमोगा (कार्यालय)

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार

क्रम सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार
(i)	वैश्वीकरण और भारतीय खाद्य सुरक्षा	श्री पी.एस. ब्रह्मानंद, श्री सौविक घोष, श्री अश्वनी कुमार एवं श्री बी. एस. पर्सवाल	प्रथम
(ii)	ब्रह्मांड और टेलीस्कोप	श्री कालीशंकर एवं श्री टी.एन. उपाध्याय	द्वितीय
(iii)	वित्तीय समावेशन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सुबह सिंह यादव श्री राजकुमार मीणा	तृतीय
(iv)	लोक-जीवन के कलात्मक आयाम	डॉ. कालू राम परिहार	प्रोत्साहन

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार

(i)	जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद	डॉ. अनुराग विजयवर्गीय	द्वितीय
(ii)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार	श्री मनोज कुमार पटेरिया	तृतीय
(iii)	जलवायु परिवर्तन-एक गंभीर समस्या	श्री नवनीत कुमार गुप्ता	प्रोत्साहन
(iv)	जंतु व्यवहार	श्री मनीष मोहन गोरे	प्रोत्साहन
(v)	टर्न-आऊट बिछाना-निरीक्षण-अनुरक्षण	श्री मनोज अरोरा	प्रोत्साहन
(iv)	ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण	डॉ. अख्तर अली	प्रोत्साहन
(vii)	जल ही जीवन	डॉ. डी. डी. ओझा	प्रोत्साहन

'ग' क्षेत्र

दक्षिण मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद

दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 3-9-2012 से 14-9-2012 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 3-9-2012 को प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन व हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 4-9-2012 को मुख्यालय स्तर पर तथा दिनांक 5-9-2012 व 6-9-2012 को क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी गीत अंताक्षरी का आयोजन किया गया। जिसमें प्रधान कार्यालय सहित विभिन्न मंडलों/यूनिटों/कारखानों के कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। इसमें मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री एस. के. अग्रवाल, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। दिनांक 7-9-2012 को सिकंदराबाद क्षेत्र के अधिकारियों के लिए भी हिंदी गीत अंताक्षरी का आयोजन किया गया, जिसमें जे. ए. ग्रेड, विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों ने भी बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस रेलवे के महाप्रबंधक श्री जी. एन. अस्थाना जी पधारे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम था। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभा उजागर होती है। उन्होंने इसके लिए राजभाषा संगठन को बधाई दी। मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री महेश चंद्र ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से राजभाषा के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा मिलता है। हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनता है।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए उप महाप्रबंधक/राजभाषा श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए 'हिंदी दिवस' के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि हमारे अधिकारी व कर्मचारीगण अपने काम में हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ाएं।

राजभाषा पखवाड़ा का मुख्य समारोह हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14-9-2012 को भव्य रूप से मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जी. एन. अस्थाना, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे उपस्थित थे और समारोह की अध्यक्षता श्री महेश चन्द्र, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं भडार नियंत्रक ने की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने माननीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे तथा रेल मंत्री श्री मुकुल रॉय के 'हिंदी दिवस संदेश' का पठन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा राजभाषा संगठन की गृह पत्रिका 'रेल सुधा' का विमोचन किया गया, जिसमें छपी रचनाओं से रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की लेखन-प्रतिभा उजागर होती है।

उप महाप्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि हिंदी गीत अंताक्षरी में सिकंदराबाद, हैदराबाद के अलावा, विजयवाड़ा, गुंतकल, गुंटूर जैसे पूर्णतया अहिंदी भाषी क्षेत्र के कर्मचारियों ने वड़े उत्साह से भाग लिया, जो हिंदी के प्रति उनके रुझान का द्योतक है।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., गुवाहाटी रिफाइनरी, नूनमाटी, गुवाहाटी

हर वर्ष की तरह पूरे देश के साथ गुवाहाटी रिफाइनरी ने इस वर्ष भी गत 14 सितंबर से 21 सितंबर, 2012 तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हिंदी सप्ताह मनाया। दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सरकारी हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, नॉर्थ गुवाहाटी के प्रधानाचार्य डॉ. मनिदीपा बरुआ जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर हिंदी सप्ताह का शुभारंभ किया। केंद्रीय विद्यालय, आईओसीएल के विद्यार्थियों द्वारा एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। डॉ. बरुआ जी ने अपने भाषण में हिंदी को भारतीय की छवि बताया। अगर हिंदी पीछे रहेंगे तो भारत भी पीछे रहेगा, इसीलिए हिंदी को दिल से अपनाने के लिए उन्होंने सभी से अपील की। अपने अध्यक्षीय भाषण में महाप्रबंधक (तकनीकी) श्री जे. बरपुजारी जी ने कहा कि सभी विकासशील राष्ट्र अपनी राजभाषा के जरिए विश्व में ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गए हैं तो हमें भी इन राष्ट्रों से सीख लेनी चाहिए। इसी अवसर पर हिंदी विशेषांक 'हिंदी ई-तरंग' पत्रिका का भी मुख्य अतिथि द्वारा कंप्यूटर के कुंजी पटल में क्लिक करके उद्घाटन किया गया।

हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए कुल 15 प्रतियोगिताएं और एक कार्यशाला आयोजित की गई।

कर्मचारियों, गृहिणियों, स्कूली बच्चे, केंद्रीय सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा नराकास सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित इस प्रतियोगिताओं का विषय थे हिंदी नोटिंग व मसौदा लेखन, अनुवाद, प्रश्नोत्तरी, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग, रजिस्टर में हिंदी प्रविष्टियां, चुटकुला कथन, कविता पाठ, हिंदी श्लोगान, वर्ग पहेली, तथा नकद राशि सामूहिक देशभक्ति गीत प्रतियोगिता।

इस वर्ष ग्रीण इनिसिएटिव की बढ़ावा के लिए कंप्यूटर के माध्यम से रिफाइनरी कर्मचारियों के लिए तीन ई-प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इसमें सभी ने बढ-चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त विभागों में हिंदी प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले विभागों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के तौर पर शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार क्रमशः अग्नि व सुरक्षा, सूचना प्रणाली तथा चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुए।

दिनांक 21-9-2012 को आयोजित हिंदी सप्ताह के समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक (कार्यान्वयन) निदेशक श्री अशोक मिश्र जी ने अपने उद्घ्बोधन में कहा कि हिंदी भारतीयता का आगाज कराता है। भाषा ही पूरे देश को जोड़ने में अहम् भूमिका निभाती है। हिंदी प्रयोग के तात्पर्य को विस्तारित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि दीप जलाना है तो पहले अपने मन में जलाना है बाद में घर और विश्व में। इस अवसर पर नगद राशि सामूहिक देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त दो कोरॉस टीमों द्वारा प्रस्तुत कोरॅस तथा केंद्रीय विद्यालय, आईओसीएल नूनमाटी के अध्यापक तथा अध्यापिका क्रमशः श्री एस. के. मंडल एवं श्रीमती चंपा सिंहा ने स्वरचित कविता पाठ करके सबको मनमोहित कर दिया। सभी पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार मिश्र जी, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी. सी. डेका, मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) श्री एस. के. गोगोई, मुख्य प्रबंधक (सामग्री) श्री एस. सी. यादव तथा मुख्य प्रबंधक (सूचना प्रणाली) श्री पी. एन. शर्मा ने प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., ई.सी.आई.एल. (पो.) हैदराबाद

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) का उद्यम, हैदराबाद में दिनांक 14 सितंबर, 2012 से 21 सितंबर, 2012 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। श्री एन. नागेश्वर राव, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने 14 सितंबर, 2012 को आयोजित हिंदी दिवस के दिन हिंदी सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. सी. रमेश चंद्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्री रमेश अमिन्हा, प्रमुख (कार्मिक एवं प्रशासन) तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति आमंत्रित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप-प्रज्ज्वलन और श्री मुकेश दास द्वारा ईश-वंदना से हुआ।

श्री एन. नागेश्वर राव, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने अतिथिगण, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगणों और निगम के उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए भाषा की महत्ता के विषय में कहा कि भारत जैसे विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने और सुदृढ़ बनाने वाली भाषा हिंदी ही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी भी देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र-संप्रतीक उस देश के सम्मानसूचक होते हैं, उसी प्रकार देश की राजभाषा भी उसके सम्मान का सूचक होती है। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का हृदय से सम्मान करते हुए अपने राजकाज में हिंदी का स्वेच्छा से प्रयोग करना चाहिए। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

समारोह में श्री रमेश अमिन्हा, प्रमुख (कार्मिक एवं प्रशासन) ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-343 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखित हिंदी होगी। इस अवसर पर ई. सी. आई. एल. अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री एम. कृष्ण प्रसाद तथा वर्कर्स एवं स्टाफ संघ के अध्यक्ष श्री जी. यादगिरि राव ने भी समारोह को संबोधित किया तथा आश्वासन दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में पूरा ई.सी.आई.एल. हिंदी अनुभाग के साथ है। समारोह में सभी गणमान्य अतिथियों और अधिकारियों ने इसका करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस अवसर पर

श्री जी. यादगिरि राव ने कविता के माध्यम से हिंदी के प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त कीं। इसी क्रम में श्री पी. प्रभुदास, उप महाप्रबंधक (कार्मिक) तथा श्री सुनील कुमार शर्मा, लेखा परीक्षक ने भी अपना काव्य-पाठ प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि महोदय ने अपने ओजपूर्ण प्रभावशाली उद्‌बोधन में कहा कि संस्कृति और भाषा के रूप में हमारे पास अमूल्य धरोहर है तथा हिंदी और संस्कृत के माध्यम से प्रत्येक विषय का गहन चिंतन होता आया है। स्वतंत्रता के पूर्व महात्मा गांधी सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों ने देश के सभी नागरिकों को एक मंच पर लाने के लिए एक सामूहिक और संघर्ष भाषा की आवश्यकता महसूस की तथा इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। उन्होंने इसके साथ ही हिंदी की भाषाई संस्कृति और मातृभाषा में ज्ञान संप्रेषण की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. जायसवाल ने कहा कि दक्षिण भारत की द्रविड़ वर्ग की भाषाओं को जानने वालों के लिए हिंदी सीखना और उसमें काम करना आसान है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई सी आई एल जैसे उच्चप्रतिष्ठित परमाणु ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक संस्थान में राजभाषा नीतियों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करना एक गौरवपूर्ण बात है। इसके लिए डॉ. जायसवाल ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों की प्रशंसा की।

राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान नं. 8, बेल्लारी रोड, बेंगलूर-560003

संस्थान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी सप्ताह दिनांक 7 सितंबर, 2012 से 13 सितंबर, 2012 और हिंदी दिवस दिनांक 14 सितंबर, 2012 को मनाया गया। संस्थान के सभी विभागों में हिंदी पोस्टर एवं मुख्य द्वार पर हिंदी सप्ताह समारोह के बैनर लगाए गए। दिनांक 7-9-2012 हिंदी सप्ताह समारोह का शुभारंभ इस बारे बच्चों के रंगारग कार्यक्रम ''एक शाम बच्चों के नाम'' से किया गया।

संस्थान के राजभाषा अध्यक्ष डॉ. सी. रविचंद्रा ने मंच पर उपस्थित अतिथि एवं कार्यक्रम में मौजूद सभी स्टाफ एवं बच्चों के अभिभावक का स्वागत किया और साथ ही मुख्य अतिथि के राजभाषा के योगदान के बारे में सभी को अवगत भी कराया। इसी तरह मुख्य अतिथि एवं संस्थान के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सलाहकार ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में प्रगति लाने एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिंदी सप्ताह के आखिरी दिन दिनांक 14-9-2012 को हिंदी दिवस कार्यक्रम मनाया गया है। जिसमें दो मुख्य अतिथि महोदया ग्रेस सी. डी., प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, बेंगलूर एवं डॉ. (श्रीमती) प्रभा जगोता, सेवानिवृत्त निदेशक, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बेंगलूर-03 को आमंत्रित की गई।

सभी अतिथि एवं मुख्य अतिथियों द्वारा हिंदी में भाषण दिए गए और हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित की गई सभी प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि एवं संस्थान के निदेशक, सलाहकार एवं अध्यक्ष राजभाषा द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण किए गए।

अंत में श्रीमती उमादेवी जी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों को धन्यवाद समर्पण किया और साथ ही हिंदी सप्ताह एवं हिंदी दिवस कार्यक्रम में पिछले वर्ष की तुलना से अधिक लोगों का भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना उत्साहजनक रहा। जिसे अगले वर्ष में और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद सभी सभागणों को धन्यवाद समर्पण करते हुए हिंदी सप्ताह समारोह कार्यक्रम को संपन्न किया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तृश्शूर (केरल)

राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वृहत् प्रगति सुनिश्चित कर इसके इसी अधिकार को बरकरार कखने के उद्‌देश्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कार्यालय में मुख्यालय के निदेशानुसार 1 सितंबर से 14 सितंबर, 2012 तक राजभाषा-पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़ा का समापन 14 सितंबर को ''हिंदी-दिवस समारोह'' हर्षोल्लास के साथ मनाकर किया गया।

इससे पहले हिंदी-पखवाड़े से संबंधित बैनर कार्यालय के प्रवेश-द्वार पर लगाया गया। संपूर्ण कार्यालयी माहौल हिंदीमय बनाने के प्रयोजनार्थ सभी शाखाओं में व शाखाधिकारियों को अपने कामकाज तथा बोलचाल में सरल हिंदी का प्रयोग किए जाने, सभी पत्रादि के शीर्ष पर 'राजभाषा-पखवाड़ा-2012' अंकित करने तथा हस्ताक्षर

हिंदी में किए जाने के लिए परिपत्र प्रेषित कर विशेष आग्रह किया गया।

राजभाषा-पखवाड़े के उपलक्ष्य पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रतियोगिताओं के साथ-साथ कुछ अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

दिनांक 14 सितंबर, 2012 को 'हिंदी दिवस समारोह' का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त डॉ. श्री एन. के. खत्री ने की। समारोह में दक्षिण-भारत हिंदी समाचार सभा, तृश्शूर के प्राध्यापक श्री जॉय मास्टर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉ. श्री एन. के. खत्री, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त ने कहा–"हिंदी में पढ़ना, लिखना बहुत ही आसान है। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी ने एक संपर्क भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सिनेमा तथा आवागमन के आसान साधनों के कारण देश के अधिकांश नागरिक अब हिंदी पढ़ने, लिखने तथा बोलने लगे हैं। अत: अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में कठिनाई नहीं है। सिर्फ उन्हें समर्पित भाव से कार्य प्रारंभ करना है।"

मुख्य अतिथि महोदय ने अपने भाषण में हिंदी भाषा के स्वरूप तथा वर्तमान समय में इसकी उपादेयता पर विस्तार से चर्चा की। उनहोंने कहा–"हिंदी अंग्रेजी की तुलना में सहज, सरल एवं बोधगम्य है। इस भाषा में काम करना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है क्योंकि अंग्रेजी की तरह हिंदी व्याकरण में अधिक नहीं जकड़ा है। हमारा हिंदी में काम करना राष्ट्रसेवा का ही एक भाग है। अत: हिंदी को आधार मानकर सरकारी कामकाजों में उसका भरपूर प्रयोग ही राष्ट्रभाषा की गरिमा है, उसका सम्मान है।"

प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक श्री जोस मार्टिन ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में विदेशी भाषा में काम-काज किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

राजभाषा के उप निदेशक श्री के. विजयन ने हिंदी भाषा को वर्तमान समय की अहम जरूरत बताया और कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम सरकार की राजभाषा नीति का मन से अनुपालन करें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती राजश्री वर्मा ने भी हिंदी का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदी राजभाषा होने के साथ जनमानस की भाषा बने।

एनएचपीसी लि., लोकताक पावर स्टेशन, मणिपुर

लोकताक पावर स्टेशन में दिनाक 1 सितंबर, 2012 से दिनांक 14 सितंबर, 2012 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़ा का समापन समारोह हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14 सितंबर, 2012 को आयेजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सुरेश चंद्र, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय के साथ-साथ लोकताक पावर स्टेशन के प्रभारी मुख्य अभियंता, श्री वी.के. कर्ण, 32 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेट, श्री जगमोहन भगत, सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट, श्री भानु प्रताप सिंह चौहान, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, लोकताक, अन्य अतिथि, अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

बाल विद्या मंदिर, पावर चैनल, निंग्थौखोंग के बालिकाओं द्वारा वंदना की प्रस्तुति के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। श्री गोपाल कुमार, सहायक राजभाषा अधिकारी ने स्वागत भाषण दिया एवं कार्यक्रम का संचालन किया। श्री वी.के. कर्ण हिंदी दिवस के अवसर पर एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश सुनाने के साथ-साथ अपने अभिभाषण में वैश्वीकरण के दौर में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मणिपुरी लोगों के लिए हिंदी के ज्ञान के फायदे को रेखांकित किए। डॉ. सुरेश चंद्र अपने संबोधन में हिंदी से संबंधित तथ्यपूर्ण एवं सारगर्भित आंकड़े प्रस्तुत किए। केंद्रीय विद्यालय, लोकताक के विद्यार्थियों एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात् पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में श्री आर. के. शीतलजीत सिंह, उप प्रबंधक (प्रशासन) के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

'ख' क्षेत्र

मध्य रेल, पुणे मंडल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पुणे

मध्य रेल के पुणे मंडल ने दिनांक 31-8-2012 से 14-9-2012 तक राजभाषा पखवाड़ा उत्साहपूर्वक मनाया। इस वर्ष राजभाषा पखवाड़े की यह विशेषता रही कि इसे "भारतीय भाषाओं के सौहार्द पखवाड़े" के रूप में मनाया गया। संपूर्ण पखवाड़े के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन, हिंदी निबंध, हिंदी वाक्, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि तथा प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन की कार्यशाला के आयोजन के अलावा विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लघु हिंदी कार्यशालाएं चलाई गई तथा हिंदी कुंजीयन के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। राजभाषा विभाग की ओर से इस वर्ष पहली बार रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 9 से 12 एवं 15 वर्ष के दो आयु समूहों में हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी रेल कर्मचारियों ने भरपूर सराहना की। पखवाड़े के दौरान संपूर्ण मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं कार्यालयों में राजभाषा के संबंध में मराठी भाषी महापुरुषों के विचारों का प्रदर्शन करने के अलावा मंडल के गैर-हिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को समझने एवं दूर करने का प्रयास किया गया।

समापन समारोह के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में श्री विशाल अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक के कर-कमलों से प्रतियोगिताओं में विजेता अधिकारियों कर्मचारियों एवं बच्चों को तथा वर्ष भर हिंदी में सर्वाधिक एवं सराहनीय कार्य करने वाले 153 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसके पश्चात् मंडल रेल प्रबंधक की राजभाषा की सर्वश्रेष्ठ विभागीय शील्ड सुरक्षा विभाग को, सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की शील्ड डीजल लोको शेड, घोरपड़ी को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय की ट्रॉफी रामधारी सिंह 'दिनकर' हिंदी पुस्ताकलय एवं वाचनालय, मिरज को एवं सर्वश्रेष्ठ स्टेशन की ट्रॉफी पुणे स्टेशन को प्रदान की गई।

समारोह को संबोधित करते हुए मंडल के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री विपिन पवार ने यूनिकोड के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते चरण से अपने वक्तव्य का प्रारंभ करते हुए हिंदी को लोकप्रिय संस्कृति एवं ग्राहक संतुष्टि की भाषा बताया। आगे आपने हिंदी ई-बुक्स की महत्ता प्रतिपादित करते हुए राजभाषा नीति के प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के स्वरूप की चर्चा की।

समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री ए. के. गुप्ता, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक ने पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में छिपी प्रतिभा को उजागर करना, साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना, हिंदी भाषा के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न करना तथा हिंदी में शतप्रतिशत काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना है। आपने आगे हिंदी के संबंध में अनेक महापुरुषों के विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि यहां हिंदी में सराहनीय काम किया जा रहा है क्योंकि हिंदी एक सहज, सरल एवं सर्वव्यापी भाषा है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व निर्विवाद है, फिर मराठी और हिंदी दोनों की लिपि एक ही अर्थात् देवनागरी होने के कारण हिंदी लिखने में कोई परेशानी नहीं होती।

भारी संख्या में उपस्थित रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को संबांधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विखाल अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक ने हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए अपने भाषण में बताया कि हिंदी दिवस किसी भाषा विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी की ही नहीं बल्कि संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन की बात करता है। आपने राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों अर्थात् अनुच्छेद 345, 346, 347, 350 एवं 351 की विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए सभी भारतीय भाषाओं के सहयोग एवं समन्वय से हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने एवं उसका विकास कर भारत की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने की अपील की।

कार्यक्रम का संचालन श्री अशोक पोलके, राजभाषा सहायक ग्रेड-1 तथा आभार प्रदर्शन श्री जी. पी. सातव,

राजभाषा सहायक ग्रेड 2 ने किया। पखवाड़े के संपूर्ण आयोजन में राजभाषा विभाग के सर्वश्री राजू तलेकर, उदय ताजणे, जयवंत भुजबल, प्रकाश गाडिलकर, श्रीमती मीनाक्षी साकरे तथा श्री भीमराव झेंडारे की भूमिका सराहनीय रही।

उपक्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, गणेशपेठ, नागपुर

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नागपुर में दिनांक 14-9-2012 को अपराह्न में हिंदी दिवस समारोह बहुत ही उत्साह एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख प्रभारी संयुक्त निदेशक श्री एस. सी. भारद्वाज के द्वारा की गई।

हिंदी पखवाड़े का आयोजन 3 से 14 सितंबर तक किया गया था। इस अवधि में विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थीं मंचासीन अधिकारी व अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए। इस अवसर पर परिषदीय विद्यालयों के लिए आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने वार्षिक मूल टिप्पण/आलेखन पुरस्कार दिए। राजभाषा अधिकारी ने वर्ष के दौरान सर्वाधिक काम हिंदी में करने के लिए संयुक्त रूप से रोकड़ शाखा और शाखा कार्यालय-बगड़गंज को चल राजभाषा शील्ड प्रदान की।

मुख्य अतिथि डॉ. बंदना खुशालानी ने हिंदी के कृत्रिम व उलझाऊ प्रयोग को गलत बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उम्रभर सीखना चाहिए। ज्ञान एक अथाह सागर के समान है, हिंदी सीखकर दैनिक कार्यालयी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। हिंदी और हिंदुस्तान एक हैं। हमें हिंदी से संबंधित भ्रम दूर करना चाहिए। हिंदी का अपमान राष्ट्र का अपमान है, मां का अपमान हैं उन्होंने हिंदी की व्यापकता पर बल देते हुए कहा कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो पूरे भारत में क्यों बोली जाती है? हिंदी एक समर्थ भाषा है जो आज विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जा रही है। यह गौरव की बात है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर में ही आयोजित किया गया था और आज ये सम्मेलन विदेशों में हो रहे हैं जो इसकी व्यापकता को सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका आदि में हिंदी संबंधी अपने अनुभव सुनाए। हिंदी मातृभाषा है जो आत्मा की भाषा है, इसलिए हिंदी की भाषायी मौलिकता उसके सहज प्रयोग में है। अपनी भाषा के लिए हममें आत्मगौरव अवश्य होना चाहिए। मुख्य अतिथि के विचारों को सुनकर सभी आनंदित हुए और उनकी वक्तव्यता पर मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख श्री एस. सी. भारद्वाज ने अपने वक्तव्य में कहा कि पखवाड़े के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान कर्मचारियों के मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन भी होता है। उन्होंने कर्मचारियों से हिंदी के प्रति वचनबद्धता पर जोर दिया। कार्यालय प्रमुख ने हिंदी की प्रगति को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों से अपील करते हुए अपना भाषण समाप्त किया।

हिंदी पखवाड़े के सकुशल समापन एवं पखवाड़े के दौरान सहयोगी व्यक्तियों सहित मुख्य अतिथि, विशेष अतिथियों एवं उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीगण को शाखा कार्यालय हिंगणा रोड के शाखा प्रबंधक श्री सुरेश कुमार पाण्डेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आकाशवाणी पणजी

"भारत एक विशाल देश है जहां कई भाषाओं और अनेक बोलियों का व्यवहार होता है। इन भाषाओं में काफी समानताएं हैं। अपने गुणों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से संपर्क भाषा हिंदी रही है। भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत भारत सरकार की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी की शब्दावली इस तरह विकसित करें कि वह भारत की सामासिक संस्कृति (कंपोजिट कल्चर) की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके"—यह उद्गार आकाशवाणी पणजी के केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदान ने 4 सितंबर, 2012 को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन कर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में यिा। हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती आशा गहलोत हिंदी विभागाध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय खांडोला गोवा का पुष्प गुच्छ से स्वागत श्रीमती मनीषा शेट ने किया। आकाशवाणी पणजी राजभाषा समिति के सदस्य सचिव श्री खगेश्वर प्रसाद यादव सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समारोह का संचालन करते हुए हिंदी पखवाड़े की भूमिका प्रतिपादित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 का उल्लेख

किया जिसके अंतर्गत राज्यों के लिए भी राजभाषा का निर्देश है।

श्री वेणिमाधव बोरकार सहायक केंद्र निदेशक आकाशवाणी पणजी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि भारतीय भाषाओं का विकास आकाशवाणी केंद्रों का उद्‌देश्य है। आकाशवाणी पणजी से कोंकणी, मराठी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

हिंदी पखवाड़े के उद्‌घाटन समारोह के साथ आयोजित हिंदी कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती आशा गहलोत ने भारतीय भाषाओं के विकास पर अपने उद्‌बोधन में कहा कि आकाशवाणी पणजी में भारतीय भाषाओं का समन्वय प्रशंसनीय हैं भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है और भारतीय भाषाएं उसकी बहनें हैं। भारतीय भाषा परिवार को मजबूत करना भारतीय संविधान के निदेश है। भारती की भाषाओं में एकात्मता और विश्वात्म भावना है। हिंदी और मराठी के भक्ति काव्य में जो मिठास है वह उसके ऐक्य में हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा है जहां हृदय से हृदय दूर हो रहा है। हमारी भाषाओं में जो मानवीय मूल्य हैं उन्हें बिखरने न दें, इन मूल्यों को, इन भाषाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं।

'क' क्षेत्र

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक II, सी.जी.ओ. कंप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालना के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2012 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं इनमें से हिंदी टिप्पण एवं मसौदा, हिंदी निबंध, हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिंदी व्याकरण व सामान्य ज्ञान, हिंदी श्रुतलेख व सुलेख, राजभाषा नियम ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी हास्य काव्य पाठ प्रतियोगिता व समूह घ से समूह ग में आए कर्मचारियों के लिए हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वालों को नकद राशि व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। दिनांक 17-9-2012 को ब्यूरो में महानिदेशक महोदय श्री कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में ब्यूरो के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। समारोह का प्रारंभ महानिदेशक महोदय के स्वागत के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद डॉ. अंबष्ठ द्‌वारा गृह मंत्री जी द्‌वारा हिंदी दिवस के अवसर पर जारी अपील को सभी के समक्ष पढ़ कर सुनाया। इसके पश्चात पुरस्कार वितरण हुआ तथा सभी पुरस्कार विजेताओं को नकद राशि व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक महोदय ने अपनी आशीष वचन देते हुए ब्यूरो के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भारत सरकार द्‌वारा भाषा हिंदी के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों व योजनाओं में भरपूर रूप से भाग लेने का आग्रह किया तथा एक बात उन्होंने अपने उद्‌बोधन में यह भी कही कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सप्ताह में एक बार किसी भी दिन पूर्वाह्न अथवा अपराह्न निर्धारित करके अपना पूर्ण सरकारी कार्य हिंदी में करें। इस अवसर पर उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि प्रयोग में लाई जा रही हिंदी सुबोध, सरल व प्रभावी हो यह भी प्रयास किया जाए। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर पु. उपमहानिरीक्षक श्री सुनील कपूर ने सभी का आभार प्रकट किया। समारोह का संचालन संपादक हिंदी श्री दिवाकर शर्मा व मंच संचालन श्री दीपक कुमार बिष्ट ने किया।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टोडरमल मार्ग, अजमेर

केंद्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यकलापों का विस्तृत विवरण आपको प्रेषित किया जा रहा है इसके अतिरिक्त हिंदी पखवाड़े के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर द्‌वारा पहली बार हिंदी समाचारिका 'संकल्प' का प्रकाशन भी किया गया है जिसका विमोचन निर्णायक मंडल की उपस्थिति में हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के दिन किया गया था।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) मुख्यालय में हिंदी सप्ताह का दिनांक 7-9-12 से 14-9-12 की अवधि के दौरान आयोजन किया गया जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित उच्च कोटि के संपादक, प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद, स्थापित स्तम्भकार व हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयरों, वेबपोर्टलों व वर्ड प्रोसैसरों के विकासकर्ता डॉ. बालेन्दु शर्मा दाधीच द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी जैसे बोझिल विषय को बोझिल न माना जाए। यदि प्रौद्योगिकी बोझिल होती तो आज भारत के लगभग हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल न होता जिसका स्वरूप लगभग कम्प्यूटर जैसा है। समय की मांग यही है कि प्रौद्योगिकी से मुंह मोड़ने की बजाय उसका आनंद उठाएं। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि प्रौद्योगिकी के साथ जुड़कर हिंदी technology oriented language कैसे बन सकती है। उन्होंने "तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की प्रगति यात्रा" विषय पर अपना सारगर्भित व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का अत्यंत तकनीकी ढंग से रुचिपूर्ण प्रस्तुतीकरण किया। साथ ही उन्होंने सभागार में उपस्थिति लोगों को यूनिकोड की उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में भी जानकारी दी। उनके अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुतीकरण की दर्शकों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

वित्त सलाहकार, सीएसआईआर सुश्री अनु जे. सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि भारत की सभी भाषाएं अच्छी हैं, हमें निज भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा भी सीखनी चाहिए और अपने अनुभव आपस में बांटने चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु में आयकर विभाग में अपनी तैनाती के दौरान घटे कुछ रोचक अनुभव और प्रसंग भी श्रोताओं के साथ सांझा किए।

इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (प्रशा.) डॉ. के. जयकुमार ने मुख्य अतिथि डॉ. बालेन्दु शर्मा दाधीच को सीएसआईआर में आने और उनके सुंदर व्याख्यान व प्रस्तुतीकरण के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस भाषा में भी आप बोलें, दिल से बोलें। भाषा चाहे जो भी हो, लोगों को आपस में जोड़ने वाली होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका हिंदी का शब्द भंडार बहुत सीमित है फिर भी वे हिंदी में बोलने की चेष्टा करते हैं और हिंदी में कार्य करने का अनुकूल वातावरण बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं।

इस दौरान कविता-पाठ, शब्दावली/हिंदी व्यवहार (भाषांतरण), टिप्पण/प्रारूपण, वाद-विवाद, निबंध आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

दिनांक 14-9-12 को हिंदी दिवस तथा हिंदी सप्ताह समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी दिवस एवं हिंदी सप्ताह समापन समारोह के मुख्य अतिथि, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी पीएससी) के पूर्व अध्यक्ष व लब्ध प्रतिष्ठ रसायनज्ञ प्रो. कृष्ण बिहारी पाण्डेय ने अपने व्याख्यान का आरंभ भारतेन्दु हरिशचंद्र की उक्ति "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कर मूल" से किया। तत्पश्चात उन्होंने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से श्रोताओं का परिचय कराया और विश्वविद्यालय के कुल गीत की विस्तारपूर्वक व्याख्या की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (प्रशा.) ने की, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए परिषद मुख्यालय में आने के लिए अपना अमूल्य समय निकालने और अपने ज्ञान और अनुभवों को परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों में बांटने के लिए प्रो. पाण्डेय के प्रति आभार प्रकट किया और उनके प्रस्तुतीकरण को पुस्तकाकार देने और इस कार्य में सीएसआईआर को जोड़ने का विचार व्यक्त किया।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पुराना मिन्टो रोड, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की देख-रेख में दिनांक 01-09-2012 से 14-09-2012 तक "हिंदी पखवाड़े" कर आयोजन किया गया। दिनांक 14-09-2012 को हिंदी दिवस के अवसर पर डॉ. राहुल खुल्लर, माननीय अध्यक्ष, भादूविप्रा का राजभाषा संदेश परिचालित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान प्राधिकरण में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का प्रेरित-प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी व्यवहार, हिंदी टिप्पण/आलेखन, हिंदी टंकण गति, कविता पाठ, हिंदी आशुलिपि गति, हिंदी डिक्टेशन, हिंदी निबंध, पारिभाषिक, श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमानुसार दो विभिन्न वर्गों अर्थात् हिंदी एवं हिंदीतर के लिए अलग-अलग किया

गया । बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग लिया ।

दिनांक 14-09-2012 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में डॉ. राहुल खुल्लर, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया । हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कुल 16 राजभाषा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 56 अधिकारियों/कार्मिकों ने अध्यक्ष, भादूविप्रा से प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्राप्त किए । अध्यक्ष महोदय ने हिंदी पखवाड़े के सफल आयोजन की प्रशंसा की तथा साथ ही पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए सभी से आह्वान किया कि वे प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में अपना पूर्ण योगदान दें । प्राधिकरण के माननीय सचिव ने भी इस समारोह की शोभा बढ़ाई ।

कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, भोपाल

दूरसंचार जिला भोपाल में हिंदी पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर, 2012 तक मनाया गया । इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया । वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री मेहश शुक्ला द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए । अपने उद्‌बोधन में श्री शुक्ला ने रेखांकित किया कि 'हिंदी की महत्ता सर्वविदित है । दिनोंदिन इसका विकास हो रहा है । मेरा मानना है कि हिंदी सबके सामूहिक प्रयासों से और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी ।'

शेष पृष्ठ 26 का शेष

बिस्कुट, केक, तले उत्पाद जैसे मटर, नमक पारा, पापड़, शकरपार, पकौड़ा आदि व्यंजन भी बनाये जाने लगे हैं । बाजरा में मक्का के समतुल्य तथा ज्वार से अधिक प्रोटीन होती है । बाजरा में ज्वार की भांति अधिक पोलीफिनोल नहीं होते जो पाचक क्रिया को कम या धीमा करता है । मक्का व ज्वार की तुलना में बाजरा से हरा चारा शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं । इसका हरा चारा ज्वार की तुलना में एच.सी.एन. से मुक्त होता है इस कारण जहां पर हरा चारा आसानी से उपलब्ध नहीं होता वहां बाजरा का चारा पशुओं को हर अवस्था में खिलाया जा सकता है । बाजरा में सूखा चारे की उत्पादन क्षमता 6-12 टन प्रति हैक्टर है । आमतौर पर बाजरा का सूखा चारा पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन वैज्ञानिक हरे चारे के लिए जीनप्ररूप की खोज में प्रयासरत हैं ताकि गर्मियों में (अप्रैल से जून तक) किसान बरसीम की तरह बाजरा को काटकर पशुओं को खिला सकें । बाजरा का तना जलाने, छप्पर बनाने, बाड़ लगाने, चटाई बनाने में भी उपयोग होता है और बच्चों के खिलौने भी तैयार किए जाते हैं । इस फसल में और भी बहुत से गुण हैं जैसे कि—अनुवांशिक अध्ययन के लिए आदर्श पौधा, अच्छी गुणवता की स्प्रिट और अंग्रेजी शराब, बीज उत्पादन में कम लागत से अधिक आय तथा दक्षिण भारत में वर्ष में दो या तीन बार फसल उगाना आदि । अब यह कहना मिथ्या है कि बाजरा गरीब लोगों एवं भारत के ऊष्म क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ही फसल है ।

बाजरा अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जहां बाजरा की फसल के बाद गेहूं, सरसों और चने की बुवाई अक्तूबर या नवंबर माह में की जाती है । इन फसलों की समय पर बुवाई के लिए बाजरा की जल्दी पकने वाली प्रजातियों का विकास आवश्यक है । इस आवश्यकता को काफी हद तक संकर किस्म एच.एच.बी.-67 के ही समतुल्य की अन्य संकर किस्मों का विकास करना अति आवश्यक है । इसके अलावा ऐसी प्रजातियों का विकास भी आवश्यक है जिनसे दाना और चारा दोनों ही अधिक मात्रा में मिलें । बाजरा अनुसंधान कार्य के अन्तर्गत ऐसी प्रजातियों का विकास भी होना चाहिए जो गेहूं की फसल की कटाई के पश्चात् अप्रैल माह में बोई जा सके तथा जून के अंतिम सप्ताह तक पक जाएं । इस दिशा में विशेष अनुसंधान कार्य तो अभी नहीं हो रहा लेकिन जहां पानी की सुविधा है वहां प्रचलित किस्मों पर प्रारंभिक रूप से काश्त शुरू हो चुकी है तथा कुछ किसानों के खेतों पर ऐसी फसल ली जा चुकी है । गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून तक) में हरे चारे के अभाव को मद्‌देनजर रखते हुए अधिक प्रोटिन, वसा और खनिज पदार्थ वाली किस्मों के विकास के लिए भी कृषि वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं । बाजरा से बीयर या स्प्रिट तैयार करने की दिशा में ऐसे अनुवांशिक समूहों पर शोध जारी है जिनसे उत्तम किस्म की बीयर या स्प्रिट तैयार की जा सके । ■

संगोष्ठी/सम्मेलन

दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

दक्षिण मध्य रेलवे के विद्युत विभाग और राजभाषा अनुभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 21-6-2012 को "ऊर्जा संरक्षण" विषय पर हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी की अध्यक्षता श्री जी.आर. अग्रवाल, मुख्य विद्युत इंजीनियर ने की । उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस संगोष्ठी के आयोजन के मुख्यत: दो उद्देश्य हैं, पहला राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार और दूसरा ऊर्जा संरक्षण के प्रति सभी में जागरूकता उत्पन्न करना । उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी अपने इन दोनों उद्देश्यों में सफल रही है । उन्होंने इस बात पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया कि अधिकाधिक वक्ताओं ने, जो हिंदीतर भाषी थे, अपने विचार हिंदी में अत्यंत सहजता और सही उच्चारण के साथ व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि उनका विद्युत विभाग राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने में सतत अग्रसर रहेगा ।

इस संगोष्ठी में विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने "ऊर्जा संरक्षण" के विभिन्न पहलुओं, जैसे ऊर्जा का स्रोत, घर और कार्यालयों में ऊर्जा की बचत के नुस्खे, रेलवे प्रणाली में ऊर्जा की बचत के उपाय आदि पर पावरपाइंट के जरिये अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत किए । इस संगोष्ठी में लगभग 22 वक्ताओं ने भाग लिया ।

दिनांक 10-9-2012 को चिकित्सा विभाग की ओर से हिंदी में संगोष्ठी का अयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर इस रेलवे के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. जे. स्वाई, उप मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. प्रसाद जी और केंद्रीय रेलवे अस्पताल के डॉ. साई जी ने सामान्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर, हृदय रोग से बचने के पूर्वोपाय, पोषण और मधुमेह जैसे समसामयिक विषयों पर पावरपाइंट के जरिए अपना वक्तव्य दिया । इस संगोष्ठी में विशेष अतिथि के रूप में मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री महेश चंद्र उपस्थित थे । श्रीमती मंगला अभ्यंकर, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस बात की सराहना की कि संगोष्ठी के वक्ताओं ने बहुत ही सरल और सहज हिंदी में स्वास्थ्य से संबंधित अहम् विषयो पर महत्वपूर्ण जानकारी दी और यह संगोष्ठी अत्यंत लाभदायक रही ।

पूर्व रेलवे, महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय, 17, एन एस रोड, कोलकाता

पूर्व रेलवे द्वारा "स्वास्थ्य एवं खान-पान" विषय पर एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन हुआ । मुख्य वक्ता डॉ. एस. प्रमाणिक, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, बी.आर. सिंह अस्पताल, पूर्व रेलवे/सियालदह ने संगोष्ठी में स्लाइड शो के जरिए वायु और जल के पश्चात् हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता-भोजन और सन्तुलित भोजन के अभाव में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले शारीरिक दुष्परिणामों से हमें सचेत रहने को कहा । उन्होंने कहा कि, अच्छी-बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध हैं । हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए । तभी हमें सन्तुलित भोजन प्राप्त हो सकता है । शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना ही सन्तुलित भोजन का उद्देश्य होता है । ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध प्रोटीन, कैल्शियम और फॉसफोरस, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शक्कर, वसा, लवण और विटामिन जैसे अलग-अलग तत्वों से पूरे होते हैं । जल भी सन्तुलित भोजन का एक अंग है । पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए । खाने की वस्तुएं, साफ-सुथरी और ठीक प्रकार से पकायी गई चीजें खाकर शरीर को नीरोग रखा जा सकता है । बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने डॉ. प्रमाणिक को उनके उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए सराहा एवं उन्हें साधुवाद दिया ।

मध्य रेल, पुणे मंडल पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती संपन्न

दिनांक 04 अप्रैल, 2012 को मध्य रेल के पूणे मंडल पर विख्यात साहित्यकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाई गई। भारतीय रेल

सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे की राजभाषा अधीक्षक श्रीमती अरूणाभा ठाकुर ने माखनलाल जी के जीवन एवं लेखन पर प्रकाश डालते हुए उनकी कुछ रचनाओं का पाठ किया।

कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री विपिन पवार ने माखनलाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हुए रेल कार्यालयों में इस प्रकार के आयोजनों की उपादेयता पर प्रकाश डाला एवं देश एवं हिंदी साहित्य के प्रति माखनलाल जी के योगदान को रेखांकित किया। आपने आगे कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रप्रेम एवं देशभक्ति की भावनाओं को तो अभिव्यक्ति दी ही, साथ ही प्रकृति चित्रण एवं भारत भूमि की महानता को उजागर किया।

मुख्य नियंत्रण सुविधा सालगामे रोड, पोस्ट बॉक्स सं 66, हासन-573201

मुख्य नियंत्रण सुविधा, भोपाल में दिनांक 18-04-2012 को डॉ. सी.जी. पाटिल, निदेशक एमसीएफ की अध्यक्षता में "अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष मौसम की उपग्रहों पर प्रभाव" विषय पर बेंगलूर आधारित केन्द्र/यूनिटों के लिए एक दिवसीय हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री अरूण कुमार भट्ट जी ने इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा भारत में लायी गयी अंतरिक्ष क्रांति की खूब सराहना की उन्होंने अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की अपील की और कहा कि विज्ञान से जुड़े छात्रों का भी इस प्रकार की संगोष्ठियों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उत्सुक छात्र अंतरिक्ष को अपना कैरियर बनाने की प्रेरणा पा सकें।

मुख्य अभिभाषक श्री विलास पलसुले जी ने उपग्रह आधारित नेवीगेशनल प्रणाली पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए प्राचीनकाल से अब तक हुए नौवहन प्रणाली के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस प्रणाली में प्रयुक्त तकनीकियों और यंत्रों पर भी रोचक पाइंट प्रस्तुति दी।

परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

तूतीकारिन स्थित भारी पानी संयंत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग में दिनांक 07 फरवरी, 2012 को एक पूर्ण दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन राजभाषा में किया गया।

उद्घाटन के अवसर पर भारी पानी बोर्ड, मुम्बई के उप निदेशक श्री अचलेश्वर सिंह को यह बताते हुए खुशी हो रही थी कि राजभाषा हिंदी का प्रचार स्थानीय भाषा के सहयोग से तुतीकारिन में बहुत ही अच्छे ढ्ग से हो रहा है। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हो रही थी कि भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में इस प्रकार की वैज्ञानिक संगोष्ठी आठवीं बार आयोजित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय कार्यक्रमों में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए।

इस अवसर पर अध्यक्ष-राभाकास श्री आई. सेनगुप्ता ने राजभाषा वार्ता के अपने उद्बोधन में कहा कि देश को एक जुट में बाँधने में हिंदी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और इस प्रकार की वैज्ञानिक संगोष्ठी अपने आप में एक उपलब्धी है और सिद्ध करती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हिंदी के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति को एक जुट में बांधने का काम कर रही है। उन्होंने हिंदी के महत्व को बताते हुए कहा कि हमारे देश में बहुत कम लोग है जो विदेशी भाषा में प्रवीण हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक राज्य हैं जिनके स्कूलों की प्रथम भाषा हिंदी होती है। अत: हमें अपना काम हिंदी में करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी ही हमारी ताकत है। सरकार भी धीरे-धीरे कामकाज हिंदी में बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अत: हमें भी अपने वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में पढ़ना-लिखना चाहिए।

श्री एस. परमसिवम, अध्यक्ष-नराभाकास ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि भारी पानी संयंत्र द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में कई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। हम अपने संयंत्र के कार्मिकों के साथ-साथ नराकस कार्यालयों को भी राजभाषा में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने हेतु अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हिंदी सीखने के लिए कोई आयु की सीमा नहीं है। हम किसी भी उम्र में हिंदी सीख सकते हैं। यह प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारी है कि वे हिंदी सीखें।

उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली

उत्तर रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2012 का वार्षिक राजभाषा समारोह दिनांक 27 जनवरी, 2012 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के सभागार में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री एस.के. बुढलाकोटी द्वारा हिंदी का सराहनीय

प्रयोग करने वाले 65 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 18 विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

बैंक ऑफ इंडिया 'जीवन भारती', लेवल-5, टावर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

दिनांक 10 फरवरी, 2012 को राष्ट्रीय स्तर का एक दिवसीय सेमिनार **"अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट बनाम भारतीय अर्थव्यवस्था"** विषय पर स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, नोएडा में आयोजित किया गया, जिसमें भारत वर्ष के विभिन्न वर्गों के बैंकरों, बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों द्वारा इस विषय से संबंधित विविध मुद्दों पर आलेख तैयार कर प्रस्तुत किए गए। सेमिनार की अध्यक्षता श्री डी.पी. भटेजा, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय ने की। उन्होंने अपने संबोधन में वित्तीय संकट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित डॉ. तरसेम चन्द, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने वक्तव्य में वित्तीय संकट के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की और कहा कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस ज्वलंत विषय पर किया जा रहा यह सेमिनार सराहनीय है। विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित श्री एस.के. मल्होत्रा, निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय संकट जैसे बैंकिंग विषय को राजभाषा के माध्यम से उठाये जाने एवं लेख प्रस्तुत किए जाने की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में उठाया गया यह सराहनीय कदम है। अंतिम (समापन) सत्र की अध्यक्षता श्री डी.पी. भटेजा, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया ने की। सत्र संचालकों द्वारा विभिन्न सत्रों के दौरान हुए विचार-विमर्श से निकले निष्कर्षों के सारांश भी प्रस्तुत किये गये एवं समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री डी.के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार की सराहना की। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ने इस सेमिनार का अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से आयोजन किया है जो अन्य बैंकों के लिए भी एक मिसाल है। हमारा मुख्य उद्देश्य/प्रयोजन यही है कि बैंकिंग कामकाज राजभाषा में हो और आज वित्तीय संकट जैसे वित्त मामलों संबंधी विषय पर राजभाषा में पहल कर बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशंसनीय कार्य किया है। मेरा अन्य बैंकों/संस्थाओं से आग्रह है कि वे राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में बैंक ऑफ इंडिया का अनुसरण करें। अंत में श्री कल्हण, प्राचार्य, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, नोएडा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अंचल की शाखाओं में कार्यरत मुख्य प्रबंधकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी

दिनांक 14 जून, 2012 को आंचलिक कार्यालय के सभा कक्ष में "बैंकों में विपणन का महत्व" विषय विशेष पर अंचल की शाखाओं में कार्यरत मुख्य प्रबंधकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया।

संगोष्ठी में श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (नीति/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऐसी राजभाषा संगोष्ठी की सराहना की एवं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपणन के माध्यम से विभिन्न तरीकों के द्वारा ग्राहकों को अधिक से अधिक जोड़ना एवं राजभाषा संबंधी भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं नवोन्मेषी योजनाओं से अवगत कराते हुए अपने डेस्क से संबंधित काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया। हिंदी में कार्य करने में आने वाली किसी प्रकार की समस्या के लिए उनके विभाग को सम्पर्क करने हेतु अनुरोध किया। संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए श्री आर.सी. खुराना, महाप्रबंधक, नेशनल बैंकिंग समूह (उत्तर) ने भी समस्त प्रतिभागियों को शाखा में हिंदी में अपना कार्य करने हेतु प्रेरित किया एवं जनता की भाषा हिंदी में विपणन करते हुए अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया।

आकाशवाणी बीकानेर-334001

दिनांक 19 मार्च, 2012 को एक राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में आकाशवाणी बीकानेर के केन्द्राध्यक्ष श्री एस.के. मीना ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में व्यक्त किया कि राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान को प्राप्त करने में आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों का हिंदी के प्रति समर्पण झलकता है। इस गौरव को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर अपने कार्यों में हिंदी को शतप्रतिशत रूप से अपनाना होगा।

इस संगोष्ठी का संचालन करते हुए केन्द्र के प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा) ओम मल्होत्रा ने बताया कि राजभाषा हिंदी को पूरे देश में लागू करने की दृष्टि से केंद्रीय सरकार की नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार के आधार पर रही है। फिर भी हिंदी के प्रति हमारा समर्पण मन-वचन और कर्म से होना चाहिए।

प्रतियोगिता/पुरस्कार

दक्षिण मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद

दिनांक 11-9-2012 को प्रधान कार्यालय स्तर पर हिंदी प्रश्न-मंच (खुला सत्र) और गृह मंत्रालय पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया । प्रश्नमंच में राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्नों के साथ-साथ खेलकूद, हिंदी फिल्म, रेलवे आदि से संबंधित विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे गए । उत्तर देनेवालों को तत्स्थान पुरस्कार प्रदान किए गए ।

इस समारोह के आरंभ में उप महाप्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती मंगला अध्यंकर ने इस प्रश्न-मंच के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी होने के नाते सभी को राजभाषा नीति और नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है । ताकि वे राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, नीति-नियमों का अपने सरकारी काम-काज में पालन कर सकें । मुख्य अतिथि के रूप में श्री के.शेषसाई, मुख्य कार्मिक अधिकारी उपस्थित थे । उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इतने बड़े स्तर पर हिंदी प्रश्न-मंच का आयोजन करना एक सराहनीय बात है । उन्होंने कहा कि हिंदी में काम करना शुरू करने पर झिझक अपने आप मिट जाएगी और भाषाएं सीखने से हमारे ज्ञान में वृद्धि ही होगी । उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग जारी रखेंगे । समारोह के अध्यक्ष श्री महेश चंद्र ने भी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि ये पुरस्कार विजेता आगे भी हिंदी में काम जारी रखेंगे।

इसके बाद, हिंदी में काम करने वाले और हिंदी में सराहनीय योगदान देनेवाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता घोषित कर्मचारियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

तत्पश्चात् वर्ष के दौरान, हिंदी में सराहनीय काम करनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों को महाप्रबंधक पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। महाप्रबंधक ने कार्यक्रम के सफल व सुंदर आयोजन के लिए राजभाषा संगठन को बधाई दी । उन्होंने कहा कि दक्षिण मध्य रेलवे के राजभाषा संगठन द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों को 'ए' ग्रेड में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से हिंदी के प्रयोग-प्रसार को अवश्य बढ़ावा मिलता है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर हमारे अधिकारी व कर्मचारी अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करेंगे ।

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली अंचल: 'जीवन भारती', लेवल-5, टावर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

दिनांक 13 जुलाई, 2012 को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिल्ली स्थित समस्त बैंकों के प्रतिभागियों के बीच 'हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण एवं पत्र लेखन प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया । उक्त प्रतियोगिता में डॉ. जयप्रकाश कर्दम, निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया । अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंदी में काम करने के लिए मन से जुड़ने एवं मन के संकोच को खत्म करने पर बल दिया। साथ ही साथ भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं नवोन्मेषी कार्यक्रमों से अवगत करवाते हुए डेस्क से संबंधित काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया। डॉ. कर्दम ने ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की तथा कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये जा रहे ऐसे प्रयास प्रशंसनीय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री आर.सी. खुराना, महाप्रबंधक, नेशनल बैंकिंग समूह (उत्तर) ने भी समस्त प्रतिभागियों को शाखा/कार्यालय में हिन्दी में अपना कार्य करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर श्री ए.के. वर्मा, आंचलिक प्रबंधक, नई दिल्ली अंचल भी उपस्थित थे ।

प्रशिक्षण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का दिनांक 29 अगस्त, 2012 का पत्र सं. 19011/07/2012 केहिप्रस/गहन भाषा प्रशि 1428-1428

विषय : वर्ष 2013 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10-09-1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18015/6/86-रा.भा.ई. में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों/विभागों उनके नियंत्रणाधीन संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/लोक उद्यमों/निगमों/स्वायत संस्थानों, संगठनों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके ।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा का प्रशिक्षण वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । अतः सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें । हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के लिए प्रशिक्षार्थी की पात्रता का निर्धारत निम्नानुसार करें ।

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की दिनांक	पात्रता
1.	प्रबोध	25 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम कार्य दिवस	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है । इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।
2.	प्रवीण	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम कार्य दिवस	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है । इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।

क्र.सं. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की दिनांक	पात्रता
3.	प्राज्ञ	15 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम कार्य दिवस	यह अंतिम पाठ्यक्रम है । यह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हें मिडिल/माध्यमिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है । कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

विशेष : वर्ग "घ" से "ग" में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा. (प्र.) दिनांक 6 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1967 के आदेशानुसार, वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अत: वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए । इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें ।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक-II में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व अवश्य भिजवा दी जाए ।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, इस कार्यालय से, नामांकन की पुष्टि का पत्र भेजा जाता है।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण द्वारा भेजी गई नामांकन की पुष्टि प्राप्त होने पर ही, अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त करें।
- प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक-III में दी गई है।

परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती है।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क है, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु. 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

पाठ्य पुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें प्रशिक्षण केंद्र पर, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का, वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को, नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

क्र.सं.		प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600	रु. 1800	रु. 2400
2.	60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 800	रु. 1200	रु. 1600
3.	55% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 400	रु. 600	रु. 800

विशेष

- सभी मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबंध कार्यालयों, इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने की कृपा करें ।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो और निर्धारित समय में प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।
- यह भी सुनिश्चित करने की कृपा करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की पुष्टि संस्थान द्वारा भेजी जाती है, उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए । यदि किसी कारणवंश उन्हें भेजना संभव न हो, तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को भेजा जा सकता है । नामित अधिकारी/कर्मचारी को अगले सत्र में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें ।
- यात्रा भत्ता आदि जो भी देय होगा, उसे प्रशिक्षार्थी को कार्यालय द्वारा ही वहन किया जाएगा ।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कार्यमुक्ति आदेश दिया जाता है ।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए, संबंधित सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 पर संपर्क करें ।
- केंद्र के अधिकारी का संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता तथा बस रूट अनुलग्नक iv पर देखें ।

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं इसके चेन्नै, हैदराबाद, बैंगलूरू, मुंबई एवं कोलकाता स्थित उप संस्थानों एवं उप केंद्रों वडोदरा एवं कोचीन द्वारा वर्ष 2013 में

आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की अवधि
प्रथम	प्रबोध	25	01-01-2013 से 05-02-2013 तक
	प्रवीण	20	06-02-2013 से 05-03-2013 तक
	प्राज्ञ	15	06-03-2013 से 26-03-2013 तक
द्वितीय	प्रबोध	25	01-05-2013 से 04-06-2013 तक
	प्रवीण	20	05-06-2013 से 02-07-2013 तक
	प्राज्ञ	15	03-07-2013 से 23-07-2013 तक
तृतीय	प्रबोध	25	02-09-2013 से 07-10-2013 तक
	प्रवीण	20	08-10-2013 से 05-11-2013 तक
	प्राज्ञ	15	06-11-2013 से 27-11-2013 तक

अनुलग्नक-II

नामांकन का प्रपत्र

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित किया गया है	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	कर्मचारी के कार्यालय का पता व फोन नं. ई-मेल आई.डी.

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान/कार्यालय का पूरा पता ....

टेलीफोन नं. .... फैक्स नं ....

ई मेल आई डी ....

अनुलग्नक-III

(प्रशिक्षण केंद्रों की सूची)

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं. 449-ए उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाषा 011-23063321 एक्स. 2207 फैक्स 011-23062626
   फैक्स 011-23018740 (पृथ्वीराज रोड)
2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै-600090. (दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 (दूरभाष 040-24747211)
4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वां तल, केंद्रीय सदन, 17वां मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बैंगलूर-560034 (फैक्स 080-25537089) (दूरभाष सं. 080–25537087)

5. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन, सी विंग, छठा माला, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष-022-27572705, 27572706) फैक्स नं. 022-27565417
6. उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वां तल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (दूरभाष-033-22870793 और 22890038) फैक्स नं. 033-22870793
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल, सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र वडोदरा-390002
8. सर्वकार्यभारी अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पी तथा ई), विलेसरील बिल्डिंग, दूसरा तल, 27/649, एम.जी. रोड, पेरमनूर, कोचीन-682015 ।

अनुलग्नक-IV

संपर्क सूत्र

1	2
निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी ब्लॉक सी.जी.ओ. कॉप्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं. 011-24361852 फैक्स नं. 011-24361852 ई-मेल-dirchti-dol@nic.in	सहायक निदेशक कक्ष सं. 449-ए, चौथा तल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष सं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 फैक्स नं. 011-23062626 ई-मेल-luxmikeswani@gmail.com

प्रशिक्षण केंद्र तथा हॉस्टल का पता तथा उनके बस रूट नं.

प्रशिक्षण केंद्र का पता	हॉस्टल का पता
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्ष सं. 449-ए, चौथा तल, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष सं. 011-23063321 एक्सटेंशन 2207 फैक्स नं. 011-23062626 नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और बस अड्डे से मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है । मेट्रो स्टेशन का नाम "उद्योग भवन" है ।	वार्ड (हॉस्टल), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल, देवनगर, लिबर्टी सिनेमा के पास करोल बाग के पास, नई दिल्ली-110005 दूरभाष सं. 011-28716509 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 181 पु.दि. रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926 बस स्टॉप का नाम लिबर्टी सिनेमा हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय (सीएसआईआर मु.) के राजभाषा अनुभाग तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी), गाजियाबाद

''राजभाषा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम''

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मुख्यालय (सीएसआईआर मु.) के राजभाषा अनुभाग तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी), गाजियाबाद के संयुक्त तत्वाधान में सीएसआईआर के भंडार एवं क्रय नियंत्रकों/भंडार एवं क्रय अधिकारियों के लिए एचआरडीसी, गाजियाबाद में दिनांक 01-03-12 से 03-03-12 तक ''राजभाषा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम'' का आयोजन किया गया जिसमें सोलह (16) अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एचआरडीसी के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. मनु सक्सेना ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि सीएसआईआर मुख्यालय और एचआरडीसी द्वारा विगत अगस्त से आरंभ की गई इस प्रशिक्षण श्रृंखला के अंतर्गत अब तक तीन सफल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और यह कार्यक्रम इस श्रृंखला का चतुर्थ कार्यक्रम है । इन कार्यक्रमों की सफलता इस बात से पुष्ट होती है कि पिछले अगस्त माह में एचआरडीसी में जितना काम हिंदी में होता था उसकी तुलना में अब यह कार्य कम से कम चार गुणा बढ़ गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में काम करने में अब अधिकारी/कर्मचारी अपने को अत्यधिक सहज अनुभव करते हैं । निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम अधिकारियों/कर्मचारियों को न केवल स्वयं हिंदी का कार्य करने के लिए स्वत:स्फूर्त व सहज बनाते हैं वरन इससे कार्यालय में हिंदी में काम करने का स्वाभाविक एवं सर्वस्वीकार्य वातावरण भी बनता है । इस अवसर पर परिषद् मुख्यालय के वरिष्ठ उप सचिव श्री आर. के. शर्मा ने प्रतिभागियों को ऐसे सरल उपाय बताए जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त श्रम एवं समय के अपना काम राजभाषा हिंदी में आसानी से कर सकते हैं ।

कार्यक्रम के प्रथम दो सत्रों में भारत सरकार के पूर्व वरिष्ठ निदेशक (राजभाषा) व विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. महेश चंद्र गुप्त ने प्रतिभागियों को संघ की राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थांओं और उनके अनुपालनार्थ हमारे दायित्व विषयक सारगर्भित व अनुभवजन्य जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा अपने गौरवशाली अतीत की अत्यंत प्रेरणास्पद जानकारी दी । उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी का सहज ज्ञान बढ़ाने के लिए अनेक ऐसे सरल उपाए बताए जिससे न केवल भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है वरन भाषा की वैज्ञानिकता, अध्यात्मिकता तथा संस्कारिता स्वत: सिद्ध होती है । उन्होंने इस अवसर पर प्रतिभागियों की जानकारी बढ़ाते हुए बताया कि भारत में राजाओं और महाराजाओं के समय में ऐसी अनेक रियासतें थी जहां हिंदी में काम किए जाने के उल्लेखनीय उदाहरण मौजूद हैं । उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल के दौरान जो अंग्रेज भारत आते थे, उन्हें पहले से ही हिंदी सिखा कर भारत देश में भेजा जाता था ।

भोजनावकाश के बाद परिषद् मुख्यालय के वरिष्ठ उप सचिव (राभा) श्री राकेश कुमार शर्मा ने भंडार एवं क्रय के कार्यों को करते हुए राजभाषा हिंदी के उपयोग को कैसे अमलीजामा पहनाया जाए व किन विधियों, उपकरणों की सहायता से परिषद् की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों में राजभाषा हिंदी के उपयोग में वृद्धि की जाए, विषय पर स्वरचित सलाइड शो पर पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया । उन्होंने प्रतिभागियों को www.msn.co.in/ilit. गुगल ट्रांस्लिट्रेशन व गुगल ट्रांस्लिट्रेशन जैसे डिजिटल टूल्स की जानकारी दी और प्रतिभागियों को www.msn.co.in/ilit. सुविधा पर कार्य करने का अभ्यास भी कराया ।

दूसरे दिन के प्रथम दो सत्रों में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण ने यूनीकोड की उपयोगिता तथा उसके महत्वादि के साथ-साथ प्रतिभागियों को विभिन्न डिजिटल टूल्स यथा msn.co.in/ilit, की उपयोगिता व राजभाषा से संबंधित अनेक वेबसाइटों आदि की जानकारी दी । साथ ही उन्होंने राजभाषा विभाग की साइट rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध अनेक सरकारी आदेशों/कार्यक्रमों/तकनीकी जानकारियों के बारे में भी बताया । उन्होंने ACE Translation Tool-http:// acetools. biz/atrans.exe के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इस विधि से 80 प्रतिशत अनुवाद शुद्धता प्राप्त की जा सकती है ।

तत्पश्चात् परिषद् मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (एसजी) पूरन पाल ने सीएसआईआर में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों को अत्यंत अभिनव, व्यावहारिक तथा

उपयोगी जानकारी दी । इस दौरान राजभाषा के प्रति प्रतिभागियों के सामूहिक और व्यक्तिगत दायित्वों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, साथ ही उनकी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण भी किया गया ।

कार्यक्रम के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में सुश्री मीता लाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अरविंद भाषा विज्ञान संस्थान ने वैज्ञानिक/कार्यालयी लेखन में ''द पैंगुइन इंग्लिश-हिंदी/हिंदी-इंग्लिश थिसारस ऐंड डिक्शनरी'' की भूमिका और कार्यालयी कार्य को राजभाषा हिंदी में संपन्न करने में उसकी उपयोगिता पर अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक प्रस्तुतीकरण किया तथा विभिन्न हिंदी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दों के पर्यायों के संबंध में प्रतिभागियों की शंकाओं का निवारण भी किया ।

कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम दो सत्रों में बीएचईएल के पूर्व महाप्रबंधक श्री गोपेश गोस्वामी ने प्रतिभागियों को वर्तमान व्यापारिक परिदृश्य में विकासमान हिंदी के बारे में अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरक एवं उत्साहवर्धक जानकारी प्रदान की । उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों के अलावा देश में अनेक क्षेत्रों यथा मीडिया, फिल्म, व्यवसायादि में हिंदी अपने बलबूते पर द्रुतगति से न केवल विकासमान है वरन अपनी अनिवार्यता भी सिद्ध कर रही है ।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर

21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष दो 21 दिवसीय विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे कार्यालय में आयोजित किए जाते हैं जो प्रशिक्षणार्थी जुटाने के साथ अन्य सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा भी लेने के लिए तैयार हो ।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उ.प.रे., जयपुर द्वारा आवश्यक सभी व्यवस्थाएं करते हुए अनुवाद एवं अनुवाद से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु विशेष अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करवाया । यह प्रशिक्षण केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के हिंदी पुस्तकालय में दिनांक 11 अप्रैल 2012 से 09 मई 2012 तक आयोजित किया गया । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में रेल कार्यालय के अतिरिक्त हिंदुस्तान साल्ट्स, आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों ने भी इस प्रशिक्षण में भाग लिया । केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली के दो-दो प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन दो सत्रों में कक्षाएं आयोजित की गई । पाठ्यक्रम में संघ की राजभाषा नीति और अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रक्रिया/सिद्धांत, प्रशासनिक शब्दावली/वाक्यांश एवं विदेशी अभिव्यक्तियां, अनुवाद और शब्दकोश, देवनागरी लिपि का मानकीकरण/वर्तनी, वर्णक्रम अवधारणा, शब्द संरचना/निर्माण की प्रक्रिया, सारानुवाद सिद्धांत, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप एवं विशेषताएं, मुहावरे और लोकोक्तियां/अंतर/अनुवाद में आने वाली समस्याएं, टिप्पणी/पत्राचार का अनुवाद, एक अच्छे अनुवादक के गुण/दायित्व एवं अपेक्षाएं, अनेकार्थी शब्दों का अनुवाद और उनके अनुवाद में आने वाली समस्या पर विशेष पाठ तैयार किए गए ।

पाठ्यक्रम के साथ-साथ दिनांक 13-04-2012 को प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान विधानसभा के चालू सत्र में ले जाया गया । प्रशिक्षणार्थियों ने देखा हमारी विधायिका में आज की आवश्यकता के अनुरूप अपनी बात को श्रोता तक पहुंचाने के लिए कैसे हिंदी, क्षेत्रीय भाषा एवं मिश्रित शब्दों युक्त भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ।

पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षा का आयोजन किया तथा सभी भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रदर्शन के अनुरूप ग्रेड देते हुए प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए । सभी प्रशिक्षणार्थियों ने फ़ीड बैक देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह पाठ्यक्रम उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहा तथा अनुवाद के प्रति उनके मन में बैठी भ्रांत धारणाएं इससे दूर हुई ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय गतिविधियां

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में 24 जनवरी, 2012 को अनुवाद-कौशल-अभिवृद्धि विषय पर एक आंतरिक परिसंवाद का आयोजन किया गया । इस परिसंवाद में मुख्य अतिथि के रूप में रूसी-हिंदी के विश्व प्रसिद्ध अनुवाद-विशेषज्ञ श्री मदनलाल मधु ब्यूरो में उपस्थित थे ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अप्रैल-जून, 2012 त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण सत्र के समापन अवसर पर 29 जून, 2012 को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया । दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री डी.के. पांडेय द्वारा प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-सामग्री के तौर पर 'संस्कृति के चार अध्याय' ग्रंथ भेंट किए । श्री पांडेय की बाईं ओर ब्यूरो के निदेशक डॉ. एस. एन. सिंह दर्शित हैं ।

कार्यालय ज्ञापन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 13 अगस्त, 2012 का का.ज्ञा. सं. 12011/02/2012-राभा. (का-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना : वर्ष 2011

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08 अगस्त, 2005 के संकल्प सं. 11/12013/1/2000-रा.भा. (नी. 2) के तहत तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिंदी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी ।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं ।

3. **पात्रता एवं शर्तें**

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा पर लिखी हो सकती है । उदाहरणार्थ :-

(i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि ।

(ii) समसामयिक विषय–जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि ।

(2) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं ।

(3) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है ।

(4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेशणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(5) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उससे पिछले तीन वर्षों में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी ।

(6) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(7) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(8) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

(9) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए ।

4. **पुरस्कार :**

प्रथम पुरस्कार (एक)	- दो लाख रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार (एक)	- एक लाख पच्चीस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार (एक)	- पचहत्तर हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
सांत्वना पुरस्कार (दस)	- दस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को,

5. **प्रविष्टि भेजने की विधि :**

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी ।

(iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हो ।

(iv) प्रविष्टियां 10 अक्तूबर, 2012 या इससे पूर्व तक डाक द्वारा राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए ।

(v) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. **पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :**

(i) पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर हिंदी के किसी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान की अध्यक्षता में सक्षम स्तर द्वारा गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा । मानदंडों का विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर है ।

(ii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले अपने विवेकानुसार संबंधित विषय के किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(iii) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(iv) मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर सक्षम स्तर की स्वीकृति ली जाएगी ।

7. **पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :**

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

8. **सामान्य**

(i) पुरस्कार पुस्तक पर लेखक का कापीराइट बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(iii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

(iv) इस योजना के बारे में सूचना हमारी वैबसाइट http:/rajbhasha.gov.in तथा http:/www. rajbhasha. nic.in पर भी उपलब्ध है ।

9. **विनियम शिथिल करने का अधिकार :**

जहां केंद्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

10. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस पुरस्कार योजना को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं, आदि में भी परिचालित कर दें ।

11. **प्रविष्टि भेजने का पता व संपर्क सूचना :-**

उप निदेशक (कार्यान्वयन),

कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

अनुलग्नक

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना--वर्ष 2011-12

1. पुस्तक का नाम.....
2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है.....
3. (i) लेखक/लेखकों का नाम.....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित).....
   (iii) दूरभाष/फैक्स संख्या.....
   (iv) ई-मेल का पता.....
4. (i) प्रकाशक का नाम.....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता .....
   (iii) मूल्य.....
   (v) कापीराइट किसके अधीन है.....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था ? यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें
   (क) किस वर्ष में भेजी गई.....
   (ख) किसे भेजी गई पूरा पता.....
   (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें.....
   .....
6. क्या लेखक को राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें-
   (i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का नाम.....
   (ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ.....
   (iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि.....
   (iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई.....

(v) प्रकाशक का पूरा पता.....

(vi) पुस्तक का मूल्य.....

7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि

(i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।

(ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम बचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

स्थान : .....

दिनांक : .....

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 19 सितंबर, 2012 का का.ज्ञा. 12011/01/2012-रा भा (का-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु वर्ष 2011 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 के लिए केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों की प्रविष्टियां आमंत्रित हैं ।

2. **पात्रता तथा शर्तें :**

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों । अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(ii) पुस्तक 01 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 के दौरान प्रकाशित की गई हो । पांडुलिपि स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(iv) पुस्तक के लेखक केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों ।

(v) पीएच.डी. के लिए लिखे गए शोध, मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं ।

(vi) पुस्तक में कम से कम 100 पृष्ठ हों ।

(vii) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो ।

(viii) पुस्तक लेखक की मौलिक रचना हो और कापीराइट एक्ट (यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता हो ।

3. **प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया**

(i) लेखक अनुलग्नक 'क' पर दिये गये प्रोफार्मा के साथ प्रविष्टि भेजें ।

(ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ (अनुलग्नक 'ख' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें ।

(iii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां अवश्य भेजी जाएं ।

(iv) प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 05 नवंबर, 2012 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(v) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।

(vi) प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :-

उप निदेशक (कार्यान्वयन),
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

4. **पुरस्कार राशि :** इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार	-	40,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार	-	30,000 रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार	-	20,000 रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	10,000 रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

5. **पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया**-पुस्तकों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के आधार पर हिंदी के किसी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है । मानदंडों का विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर है ।

6. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें । इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट http:/www.rajbhasha.gov.in तथा http://www.rajbhasha.nic.in पद पर भी उपलब्ध है ।

अनुलग्नक "क"

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2011

1. (क) लेखक का नाम...

(ख) पदनाम या पूर्व पदनाम...................................

(ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम और पता...

(घ) मंत्रालय/विभाग का नाम.................................

(ङ) लेखक का पूरा डाक पता (पिनकोड सहित).....

.....

(च) दूरभाष नं. (एस.टी. कोड सहित)/फैक्स.....

(छ) लेखक का ई-मेल पता.....

2. पुस्तक का नाम.....

3. पुस्तक का विषय.....

4. प्रकाशक का नाम व पता.....

5. प्रकाशन का वर्ष.....माह.....

6. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय .....में कार्यरत हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है ।

लेखक के हस्ताक्षर

दिनांक :

नोट : जो लागू न हों काट दें ।

अनुलग्नक "ख"

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा संबद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2011 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है ।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2011 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/ दूसरी/ तीसरी/चौथी पुस्तक है ।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है ।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मोहर सहित हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

दिनांक :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2012 का का. ज्ञा. सं. 1/14011/01/2012-रा.भा. (नीति/के.अनु. ब्यूरो)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश ।

संघ के कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग से समय-समय पर सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश जारी किए गए हैं । इस विषय पर तत्कालीन सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा जारी पत्र सं. 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1), दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में निम्न पूर्व निर्देशों का उल्लेख किया गया है :-

(क) कार्यालय ज्ञापन सं. 2/13034/23/75-रा.भा. (ग), दिनांक 17-3-1976

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/1/88 (ग), दिनांक 27-4-1988

(ग) अ.शा. पत्र सं. 1/14013/04/99-रा.भा. (नीति), दिनांक 30-6-1999

(घ) कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/04/2010-रा.भा. (नीति-1), दिनांक 19-7-2010

2. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने हिंदी के ज्ञान के स्तर पर आधारित, आवश्यकतानसार दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर सकता है । तथापि ऐसे शब्दों की कोई मानक या निर्देशात्मक/उदाहरणार्थ सूची बनाना न तो अपेक्षित है और न ही संभव है । अत: यह महसूस किया गया है कि ऊपर लिखित चार निर्देशों के अतिरिक्त और कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी । मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि केवल ऊपर लिखित दिनांक 17-3-1976, 27-4-1988, 30-6-1999 और 19-7-2010 के चार संदर्भों में उल्लिखित मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया जाए ।

जून, 2012 माह में राजभाषा विभाग (मुख्यालय) के कार्यालय लोकनायक भवन से कनाट प्लेस स्थित एनडीसीसी-II भवन में स्थानांतरित होने के कारण राजभाषा विभाग (मुख्यालय) का वर्तमान नया पता निम्न प्रकार है–

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सैंटर) भवन,
'बी' विंग चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs
NDCC-II (New Delhi Citi Centre) Bhawan,
'B' Wing 4th Floor, Jai Singh Road,
New Delhi-110001

पाठकों के पत्र

'राजभाषा भारती' अंक 132 (अक्तूबर से दिसंबर, 2011) में समाहित लेख 'हिंदी के प्रति बढ़ती उदासीनता, कारण और निवारण' तथा 'हिंदी को लुप्त प्रजाति की भाषा होने से बचाओ' सरीखे आलेख रोचक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ सोच के दायरे को भी बढ़ाते हैं। आज, जहां सभी ओर हिंदी की बजाए अंग्रेजी दिखाई देती है वहां ऐसी स्तरीय हिंदी पत्रिका पाठकों तक पहुंचाना वास्तव में राजभाषा हिंदी की सच्ची सेवा करने सरीखा है।

–राहुल चौधरी

ऑयल इंडिया लि., 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, पी.बी. नं. 2039 कोलकाता-700001

'राजभाषा भारती' अंक 132 (अक्तूबर-दिसंबर, 2011) पत्रिका के माध्यम से 'हिंदी दिवस' के अवसर पर विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी मिली। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं पठनीय है। 'तनाव प्रबंधक' नाम लेख बहुत अच्छा लगा।

–श्रीमती एन.वी. मयेकर प्रबंधक-राजभाषा

एअर इंडिया लि., हिंदी अनुभाग, मुख्यालय सांताक्रुज मुंबई

'राजभाषा भारती' विगत कई दशकों से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के पुनीत कार्य में लगी हुई है। इसमें संकलित सभी लेख एवं रचनाएं स्वयं में एक मानक स्थापित करती है और पाठकों का ज्ञानवर्धन करती है। वस्तुतः यह राजभाषा का दर्पण है। आशा है, आगे भी यह पत्रिका इसी प्रकार हिंदी-प्रेमियों का मार्ग दर्शन करती रहेगी।

–बी.सी. भट्ट

सहायक निदेशक (रा भा.)

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, क.रा.बी. योजना, औषधालय परिसर, तिलक विहार, नई दिल्ली-110018

'राजभाषा भारती' पत्रिका अत्यंत ही मूल्यवान एवं एक धरोहर के रूप में हिंदी भाषा का मार्ग प्रशस्त कर रही है। चूंकि इसके अंदर कई ऐसे महत्वपूर्ण लेखों का समावेश है जो कि वर्तमान की विशेष आवश्यकता भी है। चूंकि हिंदी विश्वव्यापक अभिरूचि की द्योतक है इसलिए इस विशेष पत्रिका के माध्यम से हिंदी प्रगति की अहम् पहल के प्रयोजन से कार्यालयीन कर्मचारी एवं सैनिक अफसरों में देश की राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेरणादायी माहौल विकसित होगा।

–सी. आर. चौधरी

मेजर, एड्जुटेंट, 4 असम राइफल्स, पिन-932004

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका वास्तव में हिंदी भाषा का चहुंमुखी प्रचार-प्रसार कर रही है। पत्रिका में समाविष्ट सभी सामग्री पठनीय, ज्ञानवर्दधक एवं उच्च स्तरीय है। विशेषकर डॉ. बालशौरि रेड्डी का लेख 'राजभाषा हिंदी और उसका भविष्य', डॉ. अताउल्लह खान युसुफजई का लेख 'हिंदी भाषा की प्रयुक्तियां और कार्यालयी हिंदी', श्री एन. गुरूमूर्ति का लेख 'हिंदी में दक्षिण भारतीय साहित्य-अनूदित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में', श्री क्षेत्रपाल शर्मा का लेख 'तनाव प्रबंधन', डॉ. के.सी. गुप्ता का लेख 'मधुमेह (डायबिटीज) रोग की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण' विचार प्रधान एवं चिंतनशील लेख है। राजभाषा गतिविधियों का विस्तृत एवं सचित्र विवरण आपकी पत्रिका में चार चांद लगाता है।

–उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम का कार्यालय, मध्य प्रदेश लेखा भवन, ग्वालियर-474002

'राजभाषा भारती' अंक 132 वर्तमान परिदृश्य में समग्र रूप से राजभाषा हिंदी की दशा और दिशा पर केंद्रित है तथा राजभाषा हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में निश्चित ही प्रभावी है। इसके मार्गदर्शन में निश्चय ही राजभाषा हिंदी को उसका गौरव एवं गरिमा प्राप्त होगी। इस अथक प्रयास हेतु आप बधाई के पात्र हैं।

-अनीता गोस्वामी

प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय विमान पत्तन

प्राधिकरण, एन.एस.सी.बी.आई हवाई अड्डा, कोलकाता-700052।

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका में राजभाषा संबंधी ज्ञानवर्धक आलेखों के साथ-साथ पाठकों की रूचि के अनुरूप साहित्यक, स्वास्थ्यवधक, तकनीकी तथा संस्कृति से संबंधित लेखों का समन्वय निसंदेह संपादक मण्डल द्वारा किया गया एक उत्कृष्ट प्रयास है। राजभाषा भारती का प्रकाशन न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देता है बल्कि इसे एक नई दिशा भी प्रदान करता है। पत्रिका की भाषा शैली अत्यंत सरल, सुबोध एवं बोधगम्य है और इसके लिए संपादक मण्डल हार्दिक बधाई का हकदार है।

-के.एम. मोहापात्रा, कर्नल

एस ओ (शिक्षा) पश्चिम कमान, मुख्यालय, चण्डीमंदिर-134107

'राजभाषा भारती' अंक 132, में संकलित सामग्री काफी उपयोगी एवं ज्ञानप्रद है । डॉ. बालशौरि रेड्डी का लेख 'राष्ट्रभाषा हिंदी और उसका भविष्य' तथा डॉ. परमानन्द पांचाल का लेख 'हिंदी के प्रति बढ़ती उदासीनता, कारण और निवारण' अवश्य ही पठनीय है ।

-डॉ. एन.पी. कुट्टन पिल्लै
190, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कालोनी, गांधी नगर, हैदराबाद-500080

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में उपयोगी अनेक सूचनाएं, राजभाषा अधिकारियों को प्रेरणादायक सिद्ध हुई हैं । संपादक मण्डल का कार्य प्रशंसनीय है ।

-नगेश आर. अय्यर
निदेशक, सी.एस.आई.आर. संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, सी.एस.आई.आर. कैंपस, तरमणी, चैन्नई-600113

'राजभाषा भारती' अंक 131 पत्रिका में डॉ. सीताराम अधिकारी का लेख 'अनुवाद कला' एक परिचय', डॉ. कमलेश सिंह का लेख 'देवनागरी लिपि, समस्याएं एवं समाधान', गुलाबराव हाडे का लेख 'वैश्वीकरण और भारतीय भाषाएं' कैलाशनाथ गुप्त का लेख 'भारतीय सिक्कों में 'नागरी लिपि' इत्यादि के लेख बहुत ही रोचक एवं उत्तम हैं । इसके अतिरिक्त इस पत्रिका के माध्यम से कई कार्यालयों के हिंदी संबंधी गतिविधियों की अद्यतन सूचनाएं मिलती रहती हैं । पत्रिका के माध्यम से अवश्य ही हिंदी का प्रचार-प्रसार हो रहा है ।

-मीनू सरदार
सहायक निदेशक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भुवनेश्वर, ओडिशा

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका में समाहित सभी विषय ज्ञानवर्द्धक एवं सारगर्भित है । डॉ. के. मंजुला द्वारा लिखित 'हिंदी के वर्चस्वी कवि त्रिलोचन' एवं श्री एन.आर. मार्तोडक द्वारा लिखित 'एक पेड़ की आत्मकथा' अत्यंत रोचक है ।

-इरफान अहमद खान
2-बी/696 यसुंधरा, गाजियाबाद-201012

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय एकता एवं आत्मीयता की भाषा के स्तर पर ले जाने के लिए, जो कार्य कर रही है वह सराहनीय है । पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पूर्णतया सहायक हैं । संपादक मंडल का कार्य प्रशंसनीय है ।

-विमला शास्त्री
एम-32, सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद-201009

'राजभाषा भारती' अंक 131 में प्रकाशित आलेखों की विविधता आकर्षक बन पड़ी है । 'भारतीय सिक्कों में नागरी लिपि', जीव जंतुओं का अजीबोगरीब संसार' जहां नई जानकारियां देता है वहीं 'वैश्वीकरण और भारतीय भाषाएं' समस्या को समझने में सहायक है ।

-प्रतिमा वर्मा,
के-64/5, गोला दीनानाथ, वाराणसी-221001

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका पूर्ण रूप से राजभाषा हिंदी को समर्पित है । पत्रिका में प्रकाशित हिंदी संबंधी लेखों के साथ-साथ तकनीकी व साहित्यक लेख भी काफी पठनीय, ज्ञानवर्धक व उच्च स्तरीय है । पत्रिका के श्रेष्ठ संपादन व संकलन के लिए संपादन मंडल बधाई का पात्र है ।

-पी.सी. आहूजा
प्रमुख (रा.भा.) वाप्कोस लि., 76 सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-18, गुड़गांव-122015

'राजभाषा भारती' अंक 132 पत्रिका चिंतन, साहित्यकी, तकनीकी, संगोष्ठी, आदि विविध स्तंभों को परोसती यह पत्रिका 'गागर में सागर भरती बिम्बित होती है । राजभाषा संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत समग्र राष्ट्र क्रियाशील दृष्टिगत होता है ।

-डॉ. अशोक पण्ड्या
उमा पैलेस, खोड़न, जिला : बांसवाड़ा-(राज)-327022

'राजभाषा भारती' का अंक : 131 जुलाई-सितम्बर, 2011, पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री रोचक एवं ज्ञानवर्धक है । डॉ. सीता राम अधिकारी का लेख 'अनुवाद कला--एक परिचय' महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 3(3) एवं दिभाषिकता के मानकों के अनुपालन में अनुवाद की सशक्त भूमिका है । 'जीव जंतुओं का अजीबो गरीब संसार', 'एक पेड़ की आत्मकथा' एवं 'स्वास्थ्य बूटी-एलोवेरा' लेख हमें पुनः प्रकृति से जुड़ने का अहसास दिलाते हैं । इसके साथ-साथ देश के विभिन्न शहरों में संपन्न होने वाली नराकास की बैठकों एवं कार्यशालाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई । 'राजभाषा भारती' के माध्यम से हमें राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी निरंतर प्राप्त होती रहती है ।

पत्रिका के आगामी अंकों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

-यश वर्धन
राजभाषा अधिकारी
दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि., क्षेत्रीय कार्यालय-1, नई दिल्ली,
10वीं मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

MGIPRRND—4202HA/2012—5,000

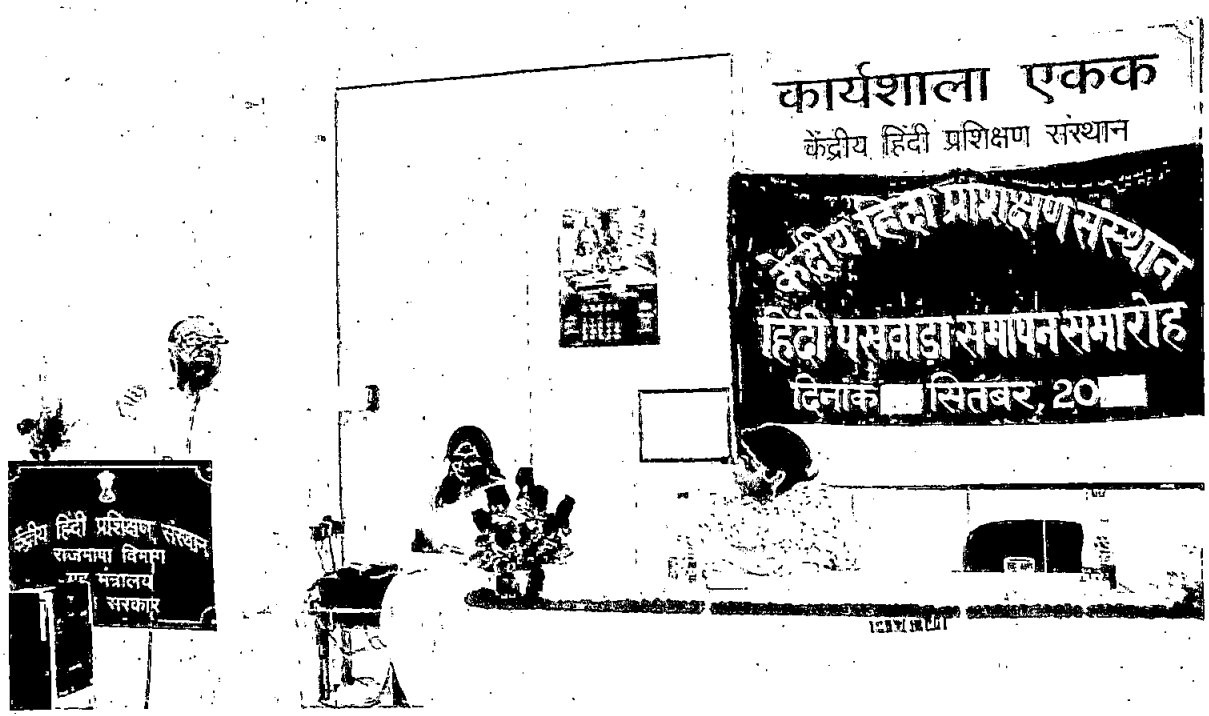

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री आर. के. कालिया, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, संबोधित करते हुए ।

नराकास (बैंक) देहरादून की बैठक में श्री जे. पी. कर्दम, निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय उनके दाएं बैठे हैं श्री अशोक अनेजा, उप महा प्रबंधक तथा बाएं बैठे हैं श्री राकेश कुमार उप निदेशक (कार्या.) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ।

सुशीलकुमार शिंदे
SUSHILKUMAR SHINDE
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियों,

हिन्दी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं !

हिन्दी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश की अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। हिन्दी के इसी महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा हिन्दी में सरकारी कामकाज करने से सरकार और जनता के बीच परस्पर विश्वास बढ़ता है, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अत्यंत आवश्यक है। देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा हिन्दी के प्रति जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है।

आज वैश्वीकृत और उदारीकृत अर्थव्यवस्था ने भाषाओं का महत्व उजागर कर दिया है। हिन्दी भी विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसलिए भारत को जानने–समझने वालों के अलावा आज व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के लोग भी हिन्दी सीख रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दें। इससे हम सभी लाभान्वित होंगे।

अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी से उबरने के लिए ज्ञान का प्रसार आज की अहम् जरूरत है। ज्ञान ही अंततोगत्वा धन–दौलत में बदलता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, संरक्षण, कृषि, इंजीनियरी, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें हमें महारत हासिल हैं। इन क्षेत्रों में हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय–समय पर पुरस्कार योजनाएं लागू की हैं। लेखक और प्रकाशन आधुनिक ज्ञान को सभी भारतीयों तक पहुंचाने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं और भारत के एक महान शक्ति बनने में अपना योगदान दे सकते हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मैं केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से वर्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने का आग्रह करता हूं। मैं अपील करता हूं कि इस संबंध में भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाएं। साथ ही केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की वेबसाइटों पर नवीनतम एवं पूर्ण जानकारी हिन्दी में उपलब्ध कराई जाए।

कार्यालयों में हिन्दी में मूल टिप्पण व पत्राचार को प्रोत्साहित किए जाने पर विषेश ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग हिन्दी की व्यापक पहुंच एवं प्रचार में सहायक साबित होगा।

संघ की राजभाषा नीति का आधर सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है, किन्तु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। आइए, हिन्दी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व का पालन करने का संकल्प लें।

जयहिन्द!

नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2012

सुशीलकुमार शिंदे

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (... मंत्रालय) एन डी सी सी II भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित ... भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।